

**नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन।**

अवधि 1.4.2011 से 31.3.2013

भाग—एक

1 (क) प्रारम्भिक :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.20011 से 31.3.2013 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

इस अंकेक्षण अवधि में नियन्त्रक व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रमांक	नाम	अवधि
2	श्री कुल राकेश पंत	1.4.2011 से 31.3.2013

कार्यकारी अधिकारी:-

1	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	1.4.2011 से 19.6.2012
2	श्री पुरषोत्तम सिंह	21.6.2012 से 17.3.2013
3	श्री बी0 आर0 नेगी	18.3.2013 से 31.3.2013

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2013 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि ₹लाखों में
1	चैक वाउंस होने के कारण हानि	4 (घ) (4)	8.5
2	बैंक में जमा अधिक राशि बारे स्थिति स्पष्ट न करना	4 (घ) (5)	8.85
3	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	4 (घ) (8)	22
4	निवेशों के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	5 (क) व 6 (क)	8.21
5	निवेशों पर कम ब्याज प्राप्त होने के कारण हानि	5 (ख) व 6 (ख)	3.4
6	अनुदानों का उपयोग न करना	9 (क) (1) व 9 (ख) (1)	421
7	गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि	10	881
8	मलवहन कर की शेष वसूली	11	170
9	स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की शेष वसूली	12	98
10	पानी के बिलों की शेष वसूली	13	24
11	मोहन मिकिन लिमिटेड ब्रूरी से सफाई शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	14	34
12	पार्किंग शुल्क की शेष वसूली	15	12
13	संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय	48	238
14	संविदाकारों से तारकोल व सीमेन्ट की वसूली न करना	90	6.12
15	विभागीय प्रभार पेंशन फण्ड में जमा न करना	115	72.8
16	अग्रिम समायोजन हेतु शेष	116	7.38

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "I" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष

अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2013 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं, दिनांक 20.5.2013 से 28.9.2013 तक श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी तथा श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आप के लिए माह 3/2012 तथा 03/2013 एवं व्यय के लिए 03/2012 तथा 08/2012 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद कार्यालय सोलन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित हैं तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹106800/- आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79 दिनांक 28.9.2013 द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसे नगर परिषद द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ड्राफ्ट संख्या 135134 दिनांक 21.10.2013 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) नगर परिषद की अवधि 1.4.2011 से 31.3.2013 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "2" पर संलग्न) के आधार पर निम्नानुसार थी:-

वर्ष	आय का स्रोत	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2011-12	स्वस्रोत	2758265.12	47151179.00	1767816.54	51677260.66	47846002.89	3831257.77
	अनुदान	23891064.00	52554866.11		76445930.11	52347900.11	24098030.00
	कुल	26649329.12	99706045.11	1767816.54	128123190.77	100193903.00	27929287.77
2012-13	स्वस्रोत	3831257.77	64996613.00	1760762.37	70588633.14	68402833	2185800.14
	अनुदान	24098030.00	77918462.00		102016492.00	59874744	42141748.00
	कुल	27929287.77	142915075	1760762.37	172605125.14	128277577	44327548.14
	दिनांक 31.3.2013 को अपने साधनों से आय का अन्तिम शेष						₹2185800.14
	दिनांक 31.3.2013 को अनुदान राशि का अन्तिम शेष						₹42141748.00
	दिनांक 31.3.2013 को लेखा बहियों/वित्तीय स्थिति के अनुसार कुल अन्तिम शेष						₹44327548.14

(ख) बैंक में जमा का विवरण:-

बचत खातों एवं सावधि जमा खातों में उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-3 पर संलग्न) के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:-

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	राशि (₹)
1	नगद बकाया		339351
2	ऐक्सिस बैंक	11228	2056312.20
3	बैंक ऑफ बडौदा	2031	5781944.34
4	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	5450	85850.00
5	आई०डी०बी०आई०	0019	3679572.10

6	आई0डी0बी0आई0	9942	3323193.00
7	इण्डियन ओवरसीज बैंक	117	11530.80
8	ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स	3500	14511.00
9	पंजाब नेशनल बैंक	19477	22990.06
10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	123350	1851010.03
11	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	128257	717855.91
12	जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को0ओ0 बैंक	16858	67719.00
	16858		
13	एफ0डी0आर0 एस0बी0ओ0पी0	65137358479	7057844.67
14	एफ0डी0आर0 एस0बी0ओ0पी0	65126437922	136105.00
15	एस0बी0ओ0पी0 संख्या 161476	161476	194074.93
	आई0डी0एस0एम0टी0		
16	एस0जे0एस0आर0वाई0बी0सी0	7000	1432768.50
17	हुडकों यूको बैंक	11247	210561.03
18	हुडकों यूको बैंक	11246	46238.56
19	हुडकों यूको बैंक	11245	38028.53
20	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	0085	2021936.24
21	परवाणु अर्बन को0ओ0 बैंक	3100	239240.00
22	दी बघाट अर्बन को0ओ0 बैंक	631	771771.50
23	दी बघाट अर्बन को0ओ0 बैंक	1908	386820.00
24	देना बैंक	2663	5999966.00
25	आई0डी0बी0आई0	16311	8201587.00
	कुल योग		₹44688781.40

(ग) बैंक समाधान विवरण:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट 4 पर संलग्न) के आधार पर बैंक समाधान विवरण निम्नानुसार था:-

दिनांक 31.3.2013 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष

₹44688781.40

जमा:-

1 वह राशि जिस का निजी दुर्घटना बीमा के रूप में नगर परिषद कार्यालय ₹277.00 द्वारा भुगतान तो किया गया है किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की कटौती नहीं की गई।

2 पेंशन की वह राशि जिसे बैंक ने दिनांक 31.3.2009 को डेबिट तो कर ₹175243.00 दिया है किन्तु यह राशि रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं हो रही जैसा की गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित है

3 आय जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा 31.3.2013 के पश्चात दिया गया ₹44193.00

चैक सं०	दिनांक	राशि	बैंक द्वारा क्रेडिट देने की तिथि
039323	28.3.2013	10343	02.4.2013
432770	29.3.2013	22970	02.4.2013
144561	29.3.2013	10000	02.4.2013
309305	28.3.2013	530	02.4.2013
190354	28.3.2013	350	02.4.2013

4 ₹190.00 की आय का चैक (संख्या 373751) का बैंक द्वारा ₹110.00 का ₹80.00 ही क्रेडिट दिया गया।

5 ₹285.00 की आय का चैक (संख्या 252137) का बैंक द्वारा ₹280.00 का ₹5.00 ही क्रेडिट दिया गया

6 ₹3250.00 का चैक (संख्या 044899) जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹280.00 ₹3530.00 का भुगतान कर दिया गया

7 आय के चैक जो बाउंस होने पर बैंक द्वारा लौटा दिए गए ₹853281.00

चैक सं०	दिनांक	राशि
327110	10.6.2011	63730
0066310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2013	162000
0066594	12.3.2012	125000
0066595	15.3.2012	125000
0066596	15.3.2012	125000
252137	14.8.2012	4800

936748	12.8.2012	8580
692117	31.12.2012	1983
265500	16.2.2012	280
954618	25.4.2013	1408
045211	26.2.2013	1500

कुल योग

₹45762140.40

माईनस:-

- 1 बघाट को0ओ0 बैंक खाता संख्या 631 जिसका अन्तिम शेष रोकड़ वही में ₹2326.50 नहीं लिया गया
- 2 बैंक खाते में अधिक राशि गत अंकक्षण प्रतिवेदन में वर्णित ₹2265.03
- 3 ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2011 से ₹7991.00 पूर्व की गई किन्तु इस तिथि तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया, गत अंकक्षण प्रतिवेदन में वर्णित
- 4 वर्ष 2007-2009 के अंकक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व रोकड़ ₹879518.73 वही के शेषों में भिन्नता, गत अंकक्षण प्रतिवेदन में वर्णित
- 5 जारी किये गए चैक जिनको 31.3.13 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत ₹138832.00 नहीं किया गया

चैक सं0	दिनांक	राशि	बैंक द्वारा भुगतान करने की तिथि
086129	15.3.2013	62735	04.04.2013
022101	13.7.2011	2844	—
009954	5.12.2012	400	—
009984	29.12.2012	171	—
010205	8.3.2013	8500	02.04.2013
010230	18.3.2013	8024	02.04.2013
010231	18.3.2013	27550	02.04.2013
010228	18.3.2013	17195	04.04.2013
010233	18.3.2013	770	04.04.2013
010103	13.2.2013	8700	30.4.2013
010211	8.3.2013	868	01.05.2013

010229 18.3.2013 1075 16.05.2013

6 वह राशि जो ठेकेदारों के बिलों से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत काटी गई ₹377099.00 परन्तु भुगतान हेतु इस राशि का बैंक से आहरण दिनांक 31.3.2013 के पश्चात किया गया।

(नोट:— इस राशि को नगर परिषद द्वारा ना तो लेखा बहियों में आय में शामिल किया गया था और न ही व्यय में)

मद/शीर्षक	राशि
प्रतिभूति	175519
स्त्रोत पर आयकर	51253
बिक्रीकर	48697
सेस	101630

7 ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2013 से ₹23690.00 पूर्व की गई किन्तु इस तिथि तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया

8 आय का ₹1560.00 का चैक (संख्या 343125) का बैंक द्वारा ₹1566/- ₹6.00 का क्रेडिट दिया गया

9 बैंक खाते में अधिक राशि/भिन्नता ₹2864.00

नगर परिषद की लेखा बहियों/वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.2013 को ₹44327548.14 अन्तिम शेष

अतः उपरोक्त ₹2864.00 की राशि का समाधान/मिलान करके वस्तुस्थिति से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) बैंक समाधान विवरण के अवलोकन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई:—

(1) कर्मचारियों से निजी दुर्घटना बीमा के रूप में किये गए ₹277.00 के भुगतान की कटौती न करना:—

नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के निजी दुर्घटना बीमा का भुगतान किया गया परन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से ₹277.00 की कटौती नहीं की गई। कर्मचारियों से कटौती न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा वांछित कटौती कर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

(2) पैनशन भुगतान की राशि को रोकड़ वही में प्रविष्ट न करना:—

₹175243/—पैनशन का भुगतान 31.3.2009 को किया गया परन्तु इस राशि को रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं किया गया यह आपत्ति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी परन्तु इतनी लम्बी अवधि के पश्चात भी इस राशि को रोकड़/लेखा वही में प्रविष्टि न करना अनियमित ही नहीं अपितु संदेहास्पद भी है। इस त्रुटि बारे आवश्यक जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाये एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(3) बैंक द्वारा आय के कम क्रेडिट व अधिक भुगतान किये जाने के कारण ₹365 की हानि:—

बैंक द्वारा ₹190/— की आय का चैक (संख्या 373751) का ₹110.00 का एवं ₹285.00 की आय का चैक (संख्या 252137) का ₹280/— का ही क्रेडिट दिया गया। इसी प्रकार परिषद द्वारा ₹3250/— का चैक (संख्या 044899) जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹3530/— का भुगतान कर दिया गया। अतः इस प्रकार बैंक द्वारा अनियमित रूप से परिषद को ₹365/— की हानि पहुंचाई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं सम्बन्धित बैंक में मामला उठाकर उपरोक्त राशि की भरपाई की जाये।

(4) चैक अस्वीकार होने के कारण परिषद को ₹853281/— की हानि:

बैंक समाधान विवरण के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा जारी किये गए चैकों के अस्वीकार हो जाने के कारण परिषद को ₹853281.00 की हानि हुई जो की एक गम्भीर मामला है। इस राशि की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने की आवश्यकता है तथा यदि आवश्यक हो तो उक्त राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(5) बैंक में ₹884647.76 की अधिक जमा राशि के बार में स्थिति स्पष्ट न करना:—

बैंक समाधान विवरण के अनुसार विभिन्न बैंकों में ₹884647.76 अधिक जमा थी जिसमें से ₹881783.76 का विवरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी दिया गया है। बैंकों में अधिक जमा राशि बारे आवश्यक जांच पड़ताल पर अधिक जमा की गई राशि के उचित स्रोत क्या है। इस बारे विस्तार से विवरण दिया जाए। इस राशि की प्रविष्टि रोकड़/लेखा वही में की जानी सुनिश्चित की जाये।

(6) बैंक समाधान विवरणानुसार परिषद निधि से चैक संख्या 022101 दिनांक 13.7.2011 ₹2844.00 चैक संख्या 009954 दिनांक 5.12.2012 ₹400.00 तथा चैक संख्या 009984 दिनांक 29.12.2012 ₹171.00 अर्थात् कुल ₹3415.00 के चैक जारी किये गए जो कि दिनांक 31.3.2013 को कालातीत हो गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित बैंक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़/लेखा वही में इन्हें पुनः लेखांकित नहीं किया गया। अतः ₹3415.00 के कालातीत चैकों के सामाधान हेतु आवश्यक उचित कार्रवाई नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन चैकों का लेखाकरण रोकड़/लेखा वही में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(7) बैंक खातों के रख-रखाव बारे में:-

(क) नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक विभिन्न बैंकों में कुल 23 खाते क्रियाशील हैं, जिनमें इस तथ्य का स्पष्ट अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (स्व स्त्रोत, अनुदान, पेंशन/ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 एवं सी0पी0एफ0) से प्राप्त आय कौन से खातों में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था। जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग-अलग वित्तीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में अनावश्यक खातों को बन्द/इकटठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग-2 कुल पांच खाते खुलवाये जाएं तथा रोकड़/लेखा वही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त सही खातों में जमा की जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षकों की आय-व्यय का लेन-देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अलग-2 शीर्षकों की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण किया जा सके।

(ख) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0-एच(बी)(15)-2/91-III दिनांक 2/2013 के द्वारा नगर परिषदों को उनकी राशि राज्य सरकार के सहकारी बैंकों में रखने के लिए निर्देश जारी किये गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जा रहा है जैसा कि पैरा संख्या 4 (ख) से स्पष्ट होता है एवं परिषद द्वारा अधिकतम राशि को सहकारी बैंकों में न रखकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा था। उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में परिषद निधि को सहकारी बैंकों में रखना सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹2196000.00 की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होना:—

परिषद निधि में करोड़ों रुपये की राशि बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी। उदाहरणार्थ वर्ष 2012-13 के अन्तिम शेष ₹44688781.00 का केवल 16% भाग (₹7193950.00) ही सावधि जमा योजना में निवेशित था। यदि इस राशि को समय-2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेशित किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अंकेक्षणाधीन अवधि में अतिरिक्त ब्याज की हुई हानि ₹2196000.00 (लगभग) का आंकलन निम्न दिया गया है। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो उक्त अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिषद निधि में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र०सं०	वर्ष	31 मार्च को अन्तिम शेष	75% राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकती थी (लगभग)	वर्ष में सावधि जमा में निवेशित राशि	सावधि जमा में कम निवेशित राशि (लगभग)	5% अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (लगभग)
1	2011-12	31285763	23500000	6702530	16800000	856000
2	2012-13	44688781	33500000	7193950	26300000	1340000
					कुल योग	₹2196000

निवेश:-

5 (क) निवेशों के कुप्रबन्धन के कारण नगर परिषद को हुई लगभग ₹688935/- की हानि:-

अंकेंक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा किये गए निवेशों (सावधि जमा खातों) की पड़ताल पर पाया गया कि ये निवेश लघु अवधियों (46, 60, 99 आदि दिनों) के लिए किये गए थे तथा इन लघु अवधियों की समाप्ति उपरान्त इन निवेशों के परिपक्व होने पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा अपने स्तर पर ही इनका पुनः नवीनीकरण उतनी ही लघु अवधियों के लिए किया जा रहा था तथा अवधि 01.04.11 से 31.3.13 के दौरान बैंकों द्वारा कई बार इन लघु अवधियों के लिए इन निवेशों का नवीनीकरण किया गया था। यदि ये निवेश इन लघु अवधियों के स्थान पर एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए किये जाते तो नगर परिषद को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सकती थी तथा इन निवेशों के कुप्रबन्धन के कारण नगर परिषद को निम्नविवरणानुसार लगभग ₹688935/- की हानि उठानी पड़ी है। अतः इन निवेशों के कुप्रबन्धन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में किये जाने वाले निवेशों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

क्र० सं०	सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि	जितनी अवधि के लिए निवेश किया गया था	दिनांक (जब तक सावधि जमा खाते का नवीनीकरण जारी रखा गया)	निवेश रजिस्टर के अनुसार जितना ब्याज प्राप्त हुआ (रूपये) (क)	9% की दर से जितना ब्याज (लगभग) एक वर्ष में प्राप्त किया जा सकता था (ख)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (रूपये) (ख-क)
1	65112915453 / 6. 5%एस0बी0ओ0पी0 सोलन	6215058	2.4.11 से 18.5.11 (46 दिनों के लिए)	28.3.12 (लगभग एक वर्ष)	363851	578518	214667
2	65112915204 / 5. 5%एस0बी0ओ0पी0	6472379	2.4.11 से 18.5.11	28.3.12 (लगभग	336158	602470	266312

	सोलन		(46 दिनो के लिए)	एक वर्ष)			
3	65137358479 / 7 % / एस0बी0ओ0प ी0 सोलन	6578909	28.3.12 से 27.5.12 (60 दिनों के लिए)	23.3.12 (लगभग एक वर्ष)	478935	612387	133452
4	65126437922 / 7 %एस0बी0ओ0पी0 सोलन	127218	17.3.12 से 16.4.12 (31 दिनों के लिए)	12.3.13 (लगभग एक वर्ष)	8887	11842	2955
5	65112915395 / 5. 5%एस0बी0ओ0पी0 सोलन	1126047	2.4.11 से 18.5.11 (46 दिनों के लिए)	1.10.12 (लगभग एक वर्ष छः माह)	106895	160828	53933
6	65123961858 / 7 %एस0बी0ओ0पी0 सोलन	1000000	15.9.11 से 31.10.11 (46 दिनों के लिए)	1.10.12 (लगभग एक वर्ष)	75467	93083	17616
						कुल योग	688935

(ख) ₹277709 / – ब्याज के रूप में कम प्राप्ति:–

नगर परिषद के निवेश रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये निवेशों (सावधि जमा खातों) तथा उनके परिपक्वता होने पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल के पर पाया गया कि नगर परिषद को निम्नलिखित निवेशों, जिनका लघु अवधियों के लिए निवेश तथा नवीनीकरण किया जाता रहा, पर निम्नानुसार बैंकों द्वारा लगभग ₹277709 / – (48289+86922+72446+1656+33769+34627) कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अपने स्तर पर पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए व अपेक्षित ब्याज की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(i)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग)
65112915453 / 6.5% / एस0बी0ओ0 पी0 सोलन	6215058	2.4.11	47	18.5.11	52020	6267078		
	6267078	19.5.11	46	3.7.11	51339	6318417		
	6318417	4.7.1	46	18.8.11	51759	6370176		
	6370176	19.8.11	46	3.10.11	52183	6422359		
	6422359	4.10.11	46	18.11.11	52611	6474970		
	6474970	19.11.11	46	3.1.12	53042	6528012		
	6528012	4.1.12	46	18.2.12	53476	6581488		
	6581488	19.2.12	39	28.3.12	45710	6627198		
				योग	412140	-----	363851	48289 (412140-363851)

(ii)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख) (र)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग) (र)
PS-1820/4.5% / पी0एन0बी0 सोलन	2500000	16.3.10	121 दिन	14.7.10	37295	2537295	4623 (दिनांक 20.4.11 पृ0	

							सं0 80)	
	2537295	15.7.10	121	12.11.10	37850	2575146	28048 (दिनांक 15.7.10 पृ0सं0 80)	
	2575146	13.11. 10	140	1.4.11	44448	2619594		
				योग	119593	-----	32671	86922 (119593-32671)

(iii)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग)
PS-1820/7%/पी0एन0बी0 सोलन	2500000	2.4.11	99	9.7.11	47466	2547466		
	2547466	10.7.11	99	16.10.11	48367	2595833		
	2595833	17.10. 11	99	23.1.11	49285	2645118		
	2645118	24.1.12	32	24.2.12	16233	2661351		
				योग	161351		88905	72446 (161351-88905)

(iv)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख) (₹)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग) (₹)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग) (₹)
30030300003009/	2000000	16.9.11	46	1.11.11	11973	2011973		

4.75% बी0ओ0पी0 सोलन								
	2011973	2.11.11	46	17.12.11	12044	2024017		
	2024017	18.12.11	46	1.2.12	12116	2036133		
	2036133	2.2.12	29	1.3.12	7684	2043817		
				योग	43817		42161	1656(43817-42161)

(v)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग)
07331050000016 63/7% आई0डर0ओ0आई0 सोलन	5000000	1.10.11	46	16.11.11	44110	5044110		
	5044110	17.11.11	46	1.1.12	44499	5088609		
	5088609	2.1.12	46	16.2.12	44891	5133500		
	5133500	17.2.12	44	31.3.12	43318	5176818		
				योग	176818		143049	33769(176818-143049)

(vi)

सावधि जमा खाता संख्या/ब्याज की दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये) (क)	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	अवधि (दिन)	दिनांक जब सावधि जमा खाता परिपक्व हुआ	जितना ब्याज प्राप्त होना चाहिये था (रूपये) (ख)	कुल राशि (क+ख)	निवेश रजिस्टर के अनुसार प्राप्त कुल ब्याज (ग)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (ख-ग)
03877500004488 / 7%/	2000000	1.10.11	46	16.11.11	17644	20176		

एच0डी0एफ0सी0 सोलन						44		
	2017644	17.11.11	46	1.1.12	17799	20354 43		
	2035443	2.1.12	46	16.2.12	17957	20534 00		
	2053400	17.2.12	43	30.3.12	16934	20703 34		
				योग	70334		35706.95	34627 (70334— 35707)

6 (क) भविष्य निधि एवं सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित राशियों के सावधि जमा में किये गये निवेशों के कुप्रबन्धन के कारण नगर परिषद को लगभग ₹132178/- की हानि:-

नगर परिषद द्वारा सामान्य भविष्य निधि एवं सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित राशियों के सावधि जमा में किये गये निवेशों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त न करके प्रत्येक तिमाही बार साधारण ब्याज प्राप्त किया जा रहा है जोकि प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर बचत खाते में स्थानान्तरित (क्रेडिट) किया जा रहा है। चूंकि बचत खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की प्रतिशतता सावधि जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज से बहुत ही कम होती है। अतः नगर परिषद को सावधि जमा से प्राप्त होने वाले ब्याज को पुनः सावधि जमा में निवेश न करने से प्राप्त होने वाले ब्याज की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट होता है:-

क्र0सं0	सावधि जमा खाता संख्या/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि (रूपये)/ब्याज की दर	निवेश की तिथि/परिपक्वता की तिथि	निवेश की तिथि से 31.3.13 तक बचत खाते में स्थानान्तरित किये गए अर्जित ब्याज की कुल राशि	निवेश की तिथि से 31.3.13 तक यदि अर्जित ब्याज बचत खातों में स्थानान्तरित किया जाता तो लगभग जितना ब्याज प्राप्त किया जा सकता था	कम अर्जित ब्याज
1	65112931666	119164 @ 9.75%	29.3.11	23240	25319 (लगभग दो वर्ष)	2079

			12.12.13		को ब्याज)	
2	6511293256	549957@ 9.75%	29.3.11 22.12.13	107240	116851 (लगभग दो वर्ष को ब्याज)	9611
3	65112932569	1482195@ 9.75%	30.3.11 23.12.13	289032	314925 (लगभग दो वर्ष को ब्याज)	25893
4	65112931292	988130 @9.75%	30.3.11 23.12.13	192688	209950 (लगभग दो वर्ष को ब्याज)	17262
5	65112932241	1121083@9.75%	29.3.11 22.12.13	218608	238199 (लगभग दो वर्ष को ब्याज)	19591
6	31695602855	2564244@ 9.25%	28.3.11 3.1.13	426073	445020 (लगभग एक वर्ष नौ माह को ब्याज)	18947
7	31696168811	1000000@9.25%	2.4.1 8.1.13	161495	173548 (लगभग एक वर्ष नौ माह को ब्याज)	12053
8	03 / 2308	1000000@7.25%	1.11.10 26.3.13	176841	190212 (लगभग दो वर्ष पांच माह को ब्याज)	13371
9	03 / 2309	1000000@7.25%	1.11.10 26.3.13	176481	190212 (लगभग दो वर्ष पांच माह को ब्याज)	13371
						132178

अतः भविष्य में भविष्य निधि एवं सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित राशियों के सावधि जमा में किये गये निवेशों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

(ख) सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निवेशों ₹63085 / – कम ब्याज प्राप्ति:-

नगर परिषद के निवेश रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निवेशों (सावधि जमा खातों) तथा उनके परिपक्व होने पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद को निम्नलिखित निवेशों पर

निम्नानुसार बैंकों द्वारा लगभग ₹63085/- कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अपने स्तर पर पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा उक्त कम प्राप्त हुए ब्याज की वसूली करके परिषद खाते में जमा कराया जाए।

क्र०सं०	सावधि जमा खाता की संख्या/ब्याज दर/बैंक का नाम	सावधि जमा खाता की राशि	दिनांक जब सावधि जमा खाता किया गया	परिपक्वता तिथि	जितना ब्याज प्राप्त हुआ	जितना ब्याज (त्रैमासिक चक्रविधि ब्याज की दर से) प्राप्त होना चाहिए था	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ
1	PS- 2726/9%/पी०एन०बी० सोलन	573803	28.3.11	28.3.12	42432	53411 (एक वर्ष)	10979
2	PS- 2717/9%/पी०एन०बी० सोलन	2405449	28.3.12	28.3.12	177884	223907 (एक वर्ष)	46023
3	30324-2975/8. 6%/यू०बी०आई० सोलन	135163	4.4.11	4.3.13	18871	24030 (23 माह)	5159
4	PS- 2726/9.25%/पी०एन०बी० सोलन	616235	28.3.12	28.3.13	58086	59010 (एक वर्ष)	924
						कुल योग	63085

7 ₹2466/- की स्रोत पर नियमों के विपरीत आयकर की कटौती किये जाने बारे:-

निवेशों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा निम्नलिखित सावधि जमा खातों में ब्याज जमा (क्रेडिट) करते समय ₹2466/- की कटौती स्रोत पर आयकर के रूप में की थी जोकि आयकर अधिनियम की धारा 196 में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल प्रतीत होती है तथा यह कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा मामला सम्बन्धित बैंक से उठा कर ₹2466/- की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्र० सं०	किये गए निवेश की खाता सं०	बैंक का नाम	निवेश की राशि/निवेश किये जाने की तिथि	जिस तिथि को आयकर की कटौती की गई	स्रोत पर की गई आयकर कटौती की राशि
1	651264337922	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	127218 / 173.12	16.4.12	74
	—यथोंपरि—	—यथोंपरि—		16.5.12	148
2	65112915395	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1126047 / 2.4.11	4.4.12	137
	—यथोंपरि—	—यथोंपरि—		20.5.12	2107
				कुल योग	2466

8 नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.13 को निवेश की गई राशि बारे:-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "15" के अनुसार दिनांक 31.3.13 को निम्नानुसार ₹7193949/- का निवेश विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में किया गया था:-

क्र० सं०	निवेश खाता सं०	बैंक का नाम	निवेश की गई राशि	निवेश की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि
1	65137358479	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	7057844	23.3.13	7%	22.5.13
2	65126437922	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	136105	17.3.13	7%	11.4.13

अतः उपरोक्त निवेशों पर अर्जित ब्याज की गणना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान:-

(क) अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद को विभिन्न स्रोतों से ₹130473328/- का अनुदान प्राप्त हुआ था जैसे कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई (परिशिष्ट -5 (क) से (घ) पर संलग्न) सूचनाओं से विदित होता है। अनुदान राशियों के लेखों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(1) ₹28516343/- अनुदानों की राशि का उपयोग न करना:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹28516343/- राशि अनुपयुक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन अनुदान राशियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त अनुदान राशियों को समयवध नियमानुसार व्यय किया जाए अन्यथा सम्बन्धित विभाग जहां से यह प्राप्त हुई है, लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) अनुदान रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 56 के अवलोकन में पाया गया कि उक्त पृष्ठ पर 13 वें वित्त आयोग से ₹62880/- बकाया अनुदान के रूप में प्राप्त दिखाए गए थे परन्तु पड़ताल में पाया गया कि उक्त राशि वास्तव में पालिका निधि में प्राप्त ही नहीं की गई थी। अतः इस बारे आवश्यक जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाए।

(3) लेखा वहियों की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 04.4.2012 को पालिका निधि में ₹1240000/- अन्य अनुदान के रूप में प्राप्त की गई थी एवं यह दिनांक 31.3.2013 तक अनुपयुक्त पड़ी थी परन्तु न तो इस अनुदान/राशि की प्रविष्टि अनुदान रजिस्टर में की गई थी और न ही इस अनुदान से सम्बन्धित कोई पत्र और अनुदान का स्रोत एवं उद्देश्य ही वर्णित किया गया था जिस के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह अनुदान राशि किस स्रोत से प्राप्त की गई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस

अनुपयुक्त अनुदान राशि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाए जिस हेतु इसे प्राप्त किया गया था अन्यथा सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(4) व्यय किए गए अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अग्रेषित न करना:-

प्राप्त अनुदान राशियों के लेखों की जांच करने पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उन सभी अनुदान राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए हैं, जिनका व्यय नगर परिषद कार्यालय द्वारा कर लिया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः परिशिष्ट 4 से 7 पर संलग्न अनुदानों की विवरणी के अनुसार सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ख) 01.04.2011 से पूर्व प्राप्त अनुदानों में से अंकेक्षण अवधि में व्यय किए गए अनुदानों व इसमें से अनुपयुक्त राशियों का विवरण परिशिष्ट 5 (ड) पर संलग्न है। इन लेखों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(1) ₹13625405/- के अनुदानों का उपयोग न करना:-

दिनांक 01.04.2011 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹13625405/- की अनुदान राशियाँ अंकेक्षण अवधि तक अनुपयुक्त ही पड़ी थी जबकि इनमें से दो अनुदान राशियाँ ₹9475405/- व ₹1000000/- क्रमशः वर्ष 2007 तथा 2008 में प्राप्त हुई थी तथा इन राशियों का इतने लम्बे समय तक अनुपयुक्त पड़े रहना एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। अतः इन राशियों के इतने लम्बे समय से अनुपयुक्त पड़े रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इन अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए इन अनुदान राशियों को उन्ही उद्देश्यों जिन हेतु इन्हें प्राप्त किया गया था पर यथाशीघ्र व्यय किया जाना सुनिश्चित कर अन्यथा उक्त राशि का सम्बन्धित विभाग को प्रत्यापन किया जाए।

(2) व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:-

01.04.2011 से पूर्व प्राप्त उन अनुदानों जिनका व्यय अंकेक्षण अवधि के दौरान किया गया है से सम्बन्धित समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जैसा कि परिशिष्ट 8 पर उपलब्ध करवाई गई विवरणिका के अन्तिम स्तम्भ में अंकित

अभियुक्तियों से भी स्पष्ट होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः अंकेक्षण को उक्त उपलब्ध न करवाए गए समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

आयः—

10 गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को ₹88054407 /— की वित्तीय हानिः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0(1)/9/94 दिनांक 28.8.1997 की अनुसूची क्रमांक 2 द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र सोलन में दिनांक 1.9.1997 से 10% वार्षिक वृद्धि पर गृहकर अधिरोपित करने निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच(सी)(9)2/91—II दिनांक 20.4.1998 तथा यू0एल0बी0—एच(सी)(9)—1 दिनांक 6.11.1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 271 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये गृहकर की वसूली का परामर्श देने तथा इसके पश्चात भी निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0एच(सी) (10)—10/97 दिनांक 4.12.1999 द्वारा प्रदेश की समस्त नगर परिषदों/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों व उनके कार्यान्वयन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये गृहकर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कहें जाने के बावजूद भी नगर परिषद अधिसूचना क्षेत्र में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया।

अंकेक्षण द्वारा यह मुद्दा अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 के पैरा संख्या 4 (घ) अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2009 के पैरों संख्या 4 (ख) तथा अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/2011 के पैरा संख्या 6 (क) द्वारा भी प्रकाश में लाया गया था परन्तु इस मामले पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिस से इस मामले के प्रति नगर परिषद की उदासीनता, परिलक्षित होती है। अवधि 3/2011 तक गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को लगभग ₹65992891 /— की वित्तीय हानि का आंकलन किया गया था जोकि अवधि 3/2013 तक बढ़ाकर ₹88054407 /— आंका गया है। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। नगर परिषदों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार—2 इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करने के उपरान्त भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए। गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित किया जाये।

11 मलवहनकर (Conservancy Tax) की ₹16992668/- की शेष वसूली:-

नगर परिषद द्वारा मलवहनकर की वसूली पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है तथा दिनांक 31.3.2013 को ₹16992668/- की वसूली योग्य शेष थी विस्तृत विवरण (परिशिष्ट 7 पर संलग्न) है। अतः बकाया राशि की वसूली किये जाने हेतु ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए।

इस के अतिरिक्त मलवहन कर की वसूली सरकार के किस प्राधिकार के अन्तर्गत की जा रही है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की ₹9799523/- की वसूली शेष:-

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को प्रदान किये गये स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की जा रही है जिस कारण बकाया वसूली की राशि जो दिनांक 31.3.11 को ₹6122201/- थी, दिनांक 31.3.2013 को बढ़कर ₹9799523/- हो गई है विस्तृत विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है। नगर परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जोकि अत्यन्त चिंता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

13 पानी बिलों की ₹2407668/- की शेष वसूली:-

नगर परिषद सोलन को वित्त वर्ष 2011-12 व 2012-2013 के दौरान पीने के पानी की आपूर्ति से प्राप्त आय की जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को पानी के बहुत से

उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बिलों का भुगतान नियमित रूप नहीं किया जा रहा है जैसा कि परिशिष्ट-9 पर संलग्न सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है। दिनांक 31.3.2013 तक विभिन्न उपभोक्ताओं से ₹2407668/- की राशि वसूली हेतु शेष है तथा नगर परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जिस कारण नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों की बकाया देय राशि में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। अतः पानी के बिलों की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं शेष बकाया राशि की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 मोहन मिकिन लिमिटेड ब्रूरी से ₹3441592/- की सफाई शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद सोलन को मोहन मिकिन लिमिटेड ब्रूरी से सफाई शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली बकाया राशि में वृद्धि होकर दिनांक 31.03.2013 को ₹3441592/- हो चुकी है जो कि दिनांक 31.3.2011 को ₹3072710/- थी, जैसा कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के पैरा संख्या 6 (ड) में दर्शाया गया था जिस की वसूली नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः बकाया राशि की वसूली किये जाने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

15 पार्किंग शुल्क के रूप में ₹1206520/- वसूल न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पार्किंग शुल्क से प्राप्त आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में परिषद क्षेत्र में स्थित पार्किंग स्थलों को संचालन हेतु टैंडर आधार पर उच्चतम बोली दाता को आबंटित किया जा रहा था परन्तु निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में आबंटियों से पार्किंग शुल्क के रूप में ₹1206520/- की वसूली न करने के कारण परिषद को हानि उठानी पड़ी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है।

बकाया राशि को शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	पार्किंग स्थल का विवरण	आंबटी का नाम	अवधि	आंबटित राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1	सन्नी साईड	गुरचरण सिंह	1.4.11 से 31.3.12	41000	32250	8750
2	पुराना बस स्टैंड	मंदीप	1.4.11 से 31.3.12	935000	317730	617270
3	परिषद कार्यालय के पीछे	रोहित गुप्ता	1.5.11 से 31.3.12	1005000	796250	208750
4	यथोपरि	पृथ्वी राज	1.4.12 से 31.3.13	1025000	686250	338750
5	बघाट पार्किंग नजदीक पुरानी कचहरी	मनीष शर्मा	1.4.12 से 31.3.13	505000	472000	33000
					कुल योग	<u>₹1206520</u>

16 विज्ञापन शुल्क की ₹171920/- की वसूली योग्य शेष:-

नगर परिषद ने अवार्ड पत्र संख्या MC/Work/2010-971-72 दिनांक 9.3.2010 के द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में 3/2010 से पांच वर्षों की अवधि के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन लगाने हेतु निम्न दरों पर मै० नवनिर्माण मीडिया पब्लिसिटी एस०जी०ओ०-193, सेकिण्ड फ्लोर, सैक्टर-16, पंचकुला, हरियाणा को अधिकृत किया था।

क्र०सं०	विज्ञापन का स्थान	संख्या	दर (प्रति वर्ष)	राशि
1	यूनीपोल्स	20	8000	160000
2	बिजली के खम्बे	75	725	54375
3	वर्षा शालिका	5	1550	7750
4	शहर के मुख्य स्वागत द्वार	2	1030	2060
5	निजी सम्पत्ति	—	360	—
				₹224185

अंकेक्षण अवधि में विज्ञापन शुल्क से प्राप्त आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में मै० नवनिर्माण मीडिया पब्लिसिटी, पंचकुला, हरियाणा से क्रमशः ₹131950/- व ₹144500/- की आय की वसूली विज्ञापन शुल्क के रूप में की। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से विज्ञापन शुल्क की निर्धारित राशि की वसूली जो की ₹224185/- प्रति वर्ष बनती थी न करने के कारण परिषद को वर्ष 2011-12 व 2012-13 में क्रमशः ₹92235 व ₹79685/- की कुल ₹171920/- की हानि उठानी पड़ी। इस राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त फर्म से अनुबन्ध की बकाया अवधि में भी विज्ञापन शुल्क की निर्धारित राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 राशन कार्ड शुल्क के रूप में ₹39680/- की अनाधिकृत राशि वसूल करना:-

अंकेक्षण अवधि में राशन कार्ड से प्राप्त आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 286/2012 दिनांक 04.09.2012 द्वारा राशन कार्ड शुल्क ₹5/- से बढ़ाकर ₹10/- कर दिया गया था। जबकि जिला नियंत्रक, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन के पत्र संख्या 388-93 दिनांक 28.2.2013 जो कि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन व अन्य को प्रेषित है में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2003 द्वारा राशन कार्ड शुल्क

₹5/- प्रति कार्ड निर्धारित किया गया है। नगर परिषद द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2012-13 में राशन कार्ड शुल्क की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर न करते हुए ₹10/- प्रति कार्ड की दर से करते हुए ₹39680/- वसूली अनाधिकृत रूप से की गई। अनाधिकृत रूप से की गई वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में राशन कार्ड शुल्क की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 पालतु कुत्ता शुल्क (Dog Tax) की ₹43500/- की शेष वसूली:-

पालतु कुत्ता शुल्क पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पंजीकृत कुत्तों को टोकन संख्या आंबटित की जा रही है और मार्च 2013 तक नगर परिषद द्वारा 494 टोकन आंबटित किये जा चुके थे जबकि इन आंबटित टोकनों के विरुद्ध कुत्ता शुल्क के रूप में क्रमशः वर्ष 2011-12 में 19 प्रकरणों में मात्र ₹950/- की तथा वर्ष 2012-2013 में 93 प्रकरणों में ₹4650/- की ही वसूली की गई। इस प्रकार कुत्ता शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹43500/- की वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः कुत्ता शुल्क की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में अपेक्षित वसूली समय रहते की जाए एवं अनुपालना अंकक्षण को दर्शाई जाये।

वर्ष	पंजीकृत कुत्तों की सं०	कुत्तों की सं० जिनसे शुल्क प्राप्त किया गया	कुत्तों की सं० जिनसे शुल्क प्राप्त नहीं किया	शुल्क दर (प्रति कुत्ता)	शेष वसूली
2011-12	488	19	469	50	23450
2012-13	494	83	401	50	20050
				कुल योग	₹43500

19 ठोडो ग्राउंड, रैन बसेरा, विश्राम गृह, हाल आदि से उपयोग प्रभार (User charges)
के रूप में ₹32250/- की कम वसूली:-

लेखा परीक्षा के दौरान नगर परिषद के ठोडों ग्राउंड, रैन बसेरा, विश्राम गृह, हाल आदि से आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अंकक्षणाधीन अवधि में ठोडों ग्राउंड, रैन बसेरा, विश्राम गृह, हाल आदि के उपयोग प्रभार या तो निर्धारित दरों से कम दरों से लिए या लिए ही नहीं गए जिस कारण परिषद को ₹32250/- की हानि हुई। अतः कम प्राप्त की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

क्र० सं०	आरक्षण का मद	आरक्षण जिस तिथि के लिए करवाया गया	आरक्षणकर्ता का नाम व पता	आग्रह दैनिकी सं०	आरक्षण प्रभार जो देय था	आरक्षण प्रभार जो जमा करवाया गया	आरक्षण प्रभार जो कम जमा करवाया गया	टिप्पणी
1	न०प० हाल व कमरा	5.12.2011	रामो देवी, निवासी आदर्श नगर वा०नं० 7	4300	5300	3000 (र०स०179/95)	2300	
2	ठोडो ग्राउंड व शूलिनी मंच	6.11.2011	प्रदीप सूर्या, सूर्या बिहार, राजगढ़ रोड सोलन	4223	1500	500 (र०स० 179/78)	1000	
3	ठोडो ग्राउंड	19.4.2011 24.4.2011 (6 दिन)	7 ए साईड जिला फुटबाल एसोशिएन	7010	1500	1200 (र०स० 124/88)	300	
4	विश्राम गृह के 3 कमरे	15.3.2011 20.3.2011	आर्ट ऑफ लिविंग	—	3600	1350 (र०स० 124/80 व 81)	2250	
5	हाल व 3 कमरे	13.11.2011	एथेना पब्लिक स्कूल, सोलन	—	3900	3000 (र०स० 179/38)	900	
6	अम्बेडकर हाल	1.5.2011	उदय फोरम	—	500	—	500	

7	ठोडो ग्राउंड	11.3.2012	अशोक कुमार गुप्ता	—	50000	25000 (10स0 221/01)	25000	न0प0 के प्रस्ताव सं0 185/2011 दिनांक 28.12.11 के द्वारा शादी के लिए ठोडों ग्राउंड का प्रभार ₹25000/- से बढ़ा कर ₹50000/- कर दिया गया था।
						योग	32250	

20 मोबाईल टावरस शुल्क की ₹40000/- की वसूली न किए जाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005 दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की एक मुश्त राशि ₹10000/- प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000/- प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट 10 में दिए गए विवरणानुसार स्थापना शुल्क तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹40000/- की वसूली नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस कम प्राप्त की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 मलवहनकर के गलत निर्धारण के कारण ₹22156/-प्रतिवर्ष की हानि:-

नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में मलवहन कर आरोपित किया गया है जिसका निर्धारण भवन की वार्षिक रेंटल वैल्यू पर या सेल डीड/भवन मालिक द्वारा घोषित भवन/निर्माण की कीमत जो भी अधिक हो के 10% भाग पर 10% छूट देने के उपरान्त बची राशि पर 5 (वार्षिक) की दर से किया जाता है। मलवहन कर निर्धारण के कुछ प्रकरणों

की पड़ताल में पाया गया कि कर का निर्धारण गलत रूप से करने के कारण परिषद को ₹22156/- प्रतिवर्ष की हानि उठानी पड़ी जिसका विस्तृत परिशिष्ट 11 पर संलग्न है। इन प्रकरणों में आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए कर निर्धारण नियमानुसार सही रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं इस हानि की भरपाई उचित स्रोत से अनुपालना से आगामी अंकक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं/चौकीदार से बिजली प्रभार ₹18442/- की कम वसूली:-

नगर परिषद सोलन के कामकाजी महिला आवास के लेखों की पड़ताल में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में परिषद द्वारा बिजली प्रभार के रूप में ₹47242/- का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को किया गया एवं कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं/चौकीदार से बिजली प्रभार की केवल ₹28800/- की ही वसूली की गई अर्थात् ₹18442/- की कम वसूली की गई। कम वसूल की गई ₹18442/- राशि की वसूली सभी कामकाजी महिलाओं एवं चौकीदार से अनुपातिक आधार पर करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए।

23 कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से किराए की ₹2740/- की राशि वसूल न करना:-

कामकाजी महिला आवास के लेखों की पड़ताल में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से ₹2740/- की किराए की वसूली नहीं की गई। इस राशि की वसूली सम्बन्धित महिलाओं से करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	महिला का नाम	माह/अवधि जिसका किराया प्राप्त नहीं किया गया	राशि
---------	--------------	---	------

1	पूजा	12/2011	735
---	------	---------	-----

2	वंदना	12/2012	735
3	शीला	1.5.12 से 28.6.12	1270
कुल योग			₹2740

24 कामकाजी महिला आवास से आय ₹60170/- की शेष वसूली:-

उप निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5-9/75-Wel-e दिनांक 3.4.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल Emoluments सम्बन्धी प्रमाण पत्र बहुत ही कम राशि के प्रस्तुत किये गये हैं जिस कारण कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से नगर परिषद को बहुत ही कम आवास किराया प्राप्त हो रहा है और कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नियोक्ता प्रमाण पत्र उचित व सही प्रतीत नहीं होता है। अंकक्षण अवधि में ही निम्न आंकलन अनुसार ₹60170/- का आवास शुल्क कम प्राप्त किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1.10.10, 1.4.12 एवं 1.9.12 से क्रमशः ₹120, ₹130 व ₹150/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है तथा उक्त दर से प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों का वेतन क्रमशः ₹3600, ₹3900 व ₹4500 बनता है तथा न्यूनतम वेतन पर 15% की दर से आवास किराया क्रमशः ₹540, ₹585 व ₹675 बनता है जो कि सभी महिला आवासियों से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र० सं०	महिला का नाम	अवधि	वसूला जा रहा किराया	न्यूनतम किराया प्रति माह	अंतर	माह सं०	कम वसूली गई राशि
1	शीला	01.04.11 से 31.1.12	370	540	170	10	1700
		01.2.12 से 31.3.12	470	540	70	2	140
		01.4.12 से 30.4.12	470	585	115	1	115
2	निशा	1.4.11 से 30.6.11	270	540	270	3	810
3	कल्पना	1.4.11 से 30.4.11	330	540	210	1	210
4	पूजा	1.4.11 से 30.11.11	300	540	240	8	1920

5	वीणा शर्मा	1.4.11 से 31.3.12	150	540	390	12	4680
		1.4.12 से 30.4.12	150	585	435	1	435
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
6	शीतल	1.4.11 से 31.3.12	180	540	360	12	4320
		1.4.12 से 30.4.12	180	585	405	1	405
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
7	निवेदिता	1.4.11 से 31.3.12	270	540	270	12	3240
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
8	रीता	1.4.11 से 30.6.11	270	540	270	3	810
9	राजेश्वरी	1.4.11 से 31.3.12	270	540	270	12	3240
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
10	रामकली	1.4.11 से 31.3.12	120	540	420	12	5040
		1.4.12 से 30.4.12	120	585	465	1	465
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
11	रक्षा नेगी	1.4.11 से 30.4.11	180	540	360	1	360
12	भीष्म नेगी	1.4.11 से 31.3.12	255	540	285	12	3420
		1.4.12 से 30.4.12	255	585	330	1	330
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
13	रीना शर्मा	1.4.11 से 31.3.12	270	540	270	12	3240
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
14	करुणा शर्मा	1.4.11 से 31.3.12	300	540	240	12	2880
		1.4.12 से 30.4.12	300	585	285	1	285
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
15	शांता	1.4.11 से 31.3.12	450	540	90	12	1080

कुमारी

		1.4.12 से 30.4.12	450	585	135	1	135
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
16	वंदना	1.5.11 से 31.3.12	270	540	270	11	2970
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 30.11.12	570	675	105	3	315
		1.1.13 से 31.3.13	570	675	105	3	315
17	अंजू नेगी	1.7.11 से 31.3.12	270	540	270	9	2430
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
18	ऑचल	1.8.11 से 31.3.12	370	540	170	8	1360
		1.4.12 से 30.4.12	370	585	215	1	215
19	निर्मला	1.1.12 से 31.3.12	270	540	270	3	810
		1.4.12 से 30.4.12	270	585	315	1	315
		1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
20	अंजू बाला	1.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
21	सविता	01.9.12 से 31.3.13	570	675	105	7	735
22	स्वाती	1.9.12 से 31.3.13	600	675	75	7	525
23	अंजना	1.11.12 से 31.3.13	570	675	105	5	525

शर्मा

₹60170

25 टी0सी0पी0 मानकों के अनुसार कम्पाऊनडिंग प्रभार की ₹19330/- की वसूली न करना:-

अनापत्ति प्रमाण जारी करते समय अगर निर्माण कार्य में कोई विचलन (ऐविएशन) पाई जाती है तो परिषद द्वारा इन प्रकरणों में नगर परिषद अधिनियम एवं टी0सी0पी0 मानकों के अनुसार विचलन (डेविएशन) को नियमित करने हेतु कम्पाऊनडिंग प्रभार की वसूली की जा रही है। कम्पाऊनडिंग प्रभार के कुछ प्रकरणों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार टी0सी0पी0 मानकों के अनुसार कम्पाऊनडिंग प्रभार की ₹19330/- की वसूली नहीं की गई।

अतः टी0सी0पी0 मानकों के अनुसार कम्पाऊडिंग प्रभार की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं उक्त प्रभार की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र० सं०	भवन मालिक का नाम व पता	आवेदन की तिथि व डायरी संख्या	निर्माण में कुल विचलन (डेविएशन)	तलवार विचलन	टी०सी०पी० अनुसार कम्पाऊनडिंग प्रभार जो वसूला जाना था	मानको	कुल राशि
					दर प्रति व०मी०	राशि	
1	श्री विदया सागर, पुत्र श्री गोविन्द राम, नजदीक हर्ष पैलेस, बाय पास कथेड, सोलन वा०न० 3	29.4.11 560	17.96 व०मी०	ग्राउंड 8.98 व०मी० प्रथम 8.98 व०मी०	400 /— 200 /—	3592 1796	5388
2	डॉ० अमर प्रकाश, पुत्र श्री गंगा राम, निष्काम भवन, नजदीक डी०पी०आर०ओ० कार्यालय, सपरून वा०नं० 1	24.3.11 186	16 व०मी०	प्रथम 16 व०मी०	200	3200	3200
3	श्री पीताम्बर दत्त जस्सल पुत्र श्री चरण दास जस्सल, कुटीर, मधुबन कॉलौनी, सोलन वा०नं० 10	16.3.11 5863	3.75 व०मी०	प्रथम 3.75 व०मी०	200	750	750
4	श्री विदया सागर, पुत्र श्री गोविन्द राम, नजदीक हर्ष पैलेस,	29.4.11 560	44.80 व०मी०	ग्राउंड 11.2 व०मी० प्रथम 11.2 व०मी० दवित्य 22.4 व०मी०	400 200 100	4480 2240 2240	8960

	बाय पास कथेड सोलन, वां0नं0 3			व त्रितय			
5	श्री श्याम सुंदर शर्मा पुत्र श्री एन0के0 शर्मा, नजदीक ठाकुर निवास, कोर्ट रोड, सोलन वा0नं0 12	14.8.12 2806	2.58 व.मी0	ग्राउंड 2.58 व0मी0	400	1032	1032
						कुल	19330

26 प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के रूप में ₹8000/- की वसूली न करना:-

नगर परिषद द्वारा मकान के नक्शे पारित करते समय अन्य विहित शुल्कों के साथ प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के रूप में ₹2000/- वसूल किये जाते हैं। परन्तु सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया कि निम्न प्रकरणों में प्रार्थी से मकान का नक्शे पारित करने पर अन्य विहित शुल्कों के साथ ₹8000/- प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के रूप में वसूल नहीं किए गए थे। अतः प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	प्रार्थी का नाम	अन्य शुल्कों से प्राप्त राशि	प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की राशि जो वसूल नहीं की गई
1	194 / 97	29.9.2011	शांती देवी	9262	2000
2	231 / 70	14.3.2012	डॉ0 अनिल कुमार हांडा	24367	2000
3	234 / 25	16.3.2012	शक्ति चंद	415	2000
4	234 / 56	21.3.2012	मधु गुप्ता	23970	2000
				कुल योग	₹8000

27 ₹6550/- को अनियमित रूप से कम लेखांकित करना:-

अंकेक्षणाधीन अवधि में पानी शुल्क से प्राप्त आय की पड़ताल में पाया गया कि रसीद बुकों की कार्बन प्रतियों में कटिंग की गई पाई गई तथा कार्बन प्रति/कार्यालय प्रति में बाल पेन से अनियमित प्रकार से राशियों को संशोधित करके एकत्रित/प्राप्त राशि को कम करके दर्शाया गया यह संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कटिंग को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है। इस प्रकार के पाए गए प्रकरण निम्न प्रकार से वर्णित है। अतः प्राप्त राशि को कटिंग करके कम किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम लेखांकित की गई ₹6550/- की वसूली उचित स्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

रसीद (जी-8)संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि	कार्बन प्रति में कटिंग उपरान्त दर्शाया गई राशि	अनियमित रूप से कम लेखांकित राशि
57/35	9.3.12	380	280	100
59/38	15.3.12	800	480	320
65/51	22.3.12	1873	249	1624
69/66	26.3.12	930	600	330
382/02	16.3.12	3300	300	3000
382/54	18.3.13	2232	1232	1000
388/61	28.3.13	480	440	40
228/45	13.3.12	536	400	136
कुल योग				₹6550

28 दुकानों/स्टालों के किराये की गलत मांग निर्धारण के कारण ₹4910/- कम वसूली:-

दुकानों/स्टालों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि दुकान संख्या 203 का आंबटन श्री सुदर्शन टंडन पुत्र श्री (स्व0)

दौलत राम टंडन को दिनांक 16.5.1994 को ₹680/- प्रति माह की दर से किया गया था। संविदा की शर्त के अनुसार किराए में 10% की दर से प्रत्येक तीन वर्षों में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा किराये की गलत मांग निर्धारण के कारण निम्न विवरणानुसार अवधि 2009-10 से 2012-13 तक परिषद को किराये की ₹4910/- की कम वसूली की गई जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	संविदा के अनुसार देय किराया	किराये की मांग जां की गई	गलत मांग निर्धारण के कारण हुई हानि
2009-10	1097x12=13164	997 x12=11964	1200
2010-11	1097 x12=13164	997 x12=11964	1200
2011-12	1097 x12=13164	997 x12=11964	1200
21012-13	1097 x1=1097	997 x1=997	1310
	1207x11=13277	1097x11=12067	
		कुल योग	₹4910

29 रेहड़ी धारकों से ₹1820/- की विलम्ब शुल्क की वसूली न करना:-

नियमानुसार परिषद क्षेत्र में रेहड़ी धारकों को अप्रैल माह में निर्धारित दर पर पूरे वर्ष के लिए रेहड़ी शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। रेहड़ी शुल्क समय पर जमा न करवाने की स्थिति में रेहड़ी धारकों से ₹10/- प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न प्रकरणों में रेहड़ी शुल्क को समय पर न जमा करवाने के उपरान्त भी या तो विलम्ब शुल्क की वसूली की ही नहीं गयी या कम की गयी जिस कारण परिषद को ₹1820/- की हानि उठानी पड़ी। अतः विलम्ब शुल्क की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस की वसूली उचित स्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रेहड़ी धारक का नाम	रसीद सं०	दिनांक	विलम्ब शुल्क सहित देय राशि	वसूली गयी राशि	राशि जो कम वसूल की गई
1	बल कृष्ण	175 / 95	5.6.12	1520	1500	20
2	कांशी राम	175 / 96	5.6.12	1520	1500	20
3	लछी राम	175 / 97	5.6.12	1520	1500	20
4	भूपेन्द्र कुमार	175 / 98	5.6.12	1520	1500	20
5	पूर्ण चंद	175 / 99	5.6.12	1520	1500	20
6	प्रेम चंद	175 / 100	5.6.12	1520	1500	20
7	हरी दास	253 / 01	5.6.12	1520	1500	20
8	शंकर सिंह	253 / 02	5.6.12	1520	1500	20
9	हीरा लाल	253 / 03	5.6.12	1520	1500	20
10	प्रकाश चंद	253 / 04	5.6.12	1520	1500	20
11	लेख राज	253 / 06	6.6.12	1520	1500	20
12	ओम प्रकाश	253 / 07	6.6.12	1520	1500	20
13	कला देवी	253 / 08	6.6.12	1520	1500	20
14	धरम दास	253 / 09	6.6.12	1520	1500	20
15	परम देव	253 / 10	6.6.12	1520	1500	20
16	शीतली देवी	253 / 11	6.6.12	1520	1500	20
17	आशा देवी	253 / 12	7.6.12	1520	1500	20
18	अमर चंद	253 / 13	7.6.12	1520	1500	20
19	अली हसन	253 / 14	7.6.12	1520	1500	20
20	दल बहादुर	253 / 15	7.6.12	1520	1500	20
21	दया राम	253 / 17	7.6.12	1520	1500	20
22	मेहर सिंह	253 / 18	7.6.12	1520	1500	20
23	परस राम	253 / 21	7.6.12	1520	1500	20
24	लाल सिंह	253 / 23	7.6.12	1520	1500	20
25	किशोर शर्मा	253 / 24	7.6.12	1520	1500	20

26	गोविन्द राम	253 / 25	8.6.12	1520	1500	20
27	विनोद कुमार	253 / 26	8.6.12	1520	1500	20
28	बनत सिंह	253 / 27	8.6.12	1520	1500	20
29	गोमती देवी	253 / 29	8.6.12	1520	1500	20
30	भागवती देवी	253 / 30	8.6.12	1520	1500	20
31	इन्दर दत्त	253 / 31	8.6.12	1520	1500	20
32	लखपत सिंह	253 / 32	8.6.12	1520	1500	20
33	देवी दास	253 / 33	8.6.12	1520	1500	20
34	रूप लाल	253 / 34	11.6.12	1520	1500	20
35	रकेश कुमार	253 / 35	11.6.12	1520	1500	20
36	राम किशन	253 / 36	11.6.12	1520	1500	20
37	रमेश कुमार	253 / 37	11.6.12	1520	1500	20
38	महिताप सिंह	253 / 38	11.6.12	1520	1500	20
39	चन्द्रवती	253 / 39	11.6.12	1520	1500	20
40	शिव कुमार	253 / 40	11.6.12	1520	1500	20
41	राम खिलावन	253 / 41	12.6.12	1520	1500	20
42	सोम दत्त	253 / 42	12.6.12	1520	1500	20
43	फूला देवी	253 / 43	12.6.12	1520	1500	20
44	जीवनी देवर	253 / 44	12.6.12	1520	1500	20
45	लीला देवी	253 / 45	12.6.12	1520	1500	20
46	राजिन्द्र कुमार	253 / 46	12.6.12	1520	1500	20
47	ओम प्रकाश	253 / 47	12.6.12	1520	1500	20
48	जगदीश चन्द्र	253 / 48	15.6.12	1520	1500	20
49	टेक चंद	253 / 49	15.6.12	1520	1500	20
50	गुलाबी देवी	253 / 50	15.6.12	1520	1500	20
51	बलवार सिंह	253 / 51	15.6.12	1520	1500	20
52	बाल कृष्ण	253 / 52	15.6.12	1520	1500	20
53	मुनीश कुमार	253 / 53	15.6.12	1520	1500	20
54	उर्मिल आनंद	253 / 54	15.6.12	1520	1500	20

55	राकेश कुमार	253 / 55	15.6.12	1520	1500	20
56	द्वारका दास	253 / 56	15.6.12	1520	1500	20
57	बाल किशन	253 / 57	16.6.12	1520	1500	20
58	रमेश शर्मा	253 / 58	16.6.12	1520	1500	20
59	अर्पण	253 / 59	16.6.12	1520	1500	20
60	शेर सिंह	253 / 60	16.6.12	1520	1500	20
61	सुरेश कुमार	253 / 61	16.6.12	1520	1500	20
62	गजेन्द्र सिंह	253 / 62	16.6.12	1520	1500	20
63	हरी प्रसाद	253 / 63	16.6.12	1520	1500	20
64	भोज राम	253 / 64	16.6.12	1520	1500	20
65	रिखी राम	253 / 65	18.6.12	1520	1500	20
66	राजेश कुमार	253 / 66	18.6.12	1520	1500	20
67	पूर्ण दत्त शर्मा	253 / 67	18.6.12	1520	1500	20
68	लेख राम	253 / 68	18.6.12	1520	1500	20
69	बिमला देवी	253 / 69	19.6.12	1520	1500	20
70	मनोहर शर्मा	253 / 70	20.6.12	1520	1500	20
71	भगत सिंग	253 / 72	20.6.12	1520	1500	20
72	मोहम्मद रशीद	253 / 73	20.6.12	1520	1500	20
73	रतन	253 / 74	21.6.12	1520	1500	20
74	मुनि लाल	253 / 75	26.6.12	1520	1500	20
75	नारायण दत्त	253 / 76	28.6.12	1520	1500	20
76	संसारी देवी	253 / 79	7.7.12	1530	1500	30
77	जाया देवी	253 / 80	9.7.12	1530	1500	30
78	भगत राम	253 / 81	10.7.12	1530	1500	30
79	रूप रानी	253 / 83	12.7.12	1530	1520	10
80	मिश्री लाल	253 / 84	13.7.12	1530	1520	10
81	वेद प्रकाश	253 / 85	13.7.12	1530	1520	10
82	नीना देवी	253 / 87	20.7.12	1530	1520	10
83	देवेन्द्र	253 / 88	23.7.12	1530	1520	10

84	श्याम लता देवी	253/89	23.7.12	1530	1520	10
85	अरुन जीत	253/90	23.7.12	1530	1520	10
86	मोनिका	253/91	23.7.12	1530	1520	10
87	प्रकाश चंद	253/92	24.7.12	1530	1520	10
88	प्रताप सिंह	253/93	24.7.12	1530	1520	10
89	अमर दत्त	253/94	24.7.12	1530	1520	10
90	विजय शंकर पाण्डेय	253/95	25.7.12	1530	1520	10
91	राकेश कुमार	253/97	13.8.12	1540	1530	10
92	बानी देवी	253/99	13.8.12	1540	1530	10
93	मुश्ताक अहमद	253/100	14.8.12	1540	1530	10
94	श्रीमती कृष्णा	253/01	14.8.12	1540	1530	10
95	अमर नाथ	253/02	16.8.12	1540	1530	10
96	बिशन दास	253/04	18.8.12	1540	1530	10
97	देश राज शर्मा	253/05	23.8.12	1540	1530	10
98	देव राज शर्मा	253/06	23.8.12	1540	1530	10
99	हेम राज	253/09	27.8.12	1540	1530	10
100	प्रकाश साहनी	253/10	4.10.12	1560	1550	10
101	हिमांशु साहनी	253/11	4.10.12	1560	1550	10

कुल योग	1820
---------	------

30 रेहड़ी शुल्क ₹1500/- की कम वसूली:-

नगर परिषद के रेहड़ी शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में क्रमशः ₹155880/- व ₹197050/- की आय की वसूली रेहड़ी शुल्क के रूप में की। नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 237/2012 द्वारा रेहड़ी शुल्क की राशि को ₹1000/- से बढ़ाकर ₹1500/- कर दिया गया था परन्तु निम्न प्रकरणों में पाया गया कि रेहड़ी शुल्क की राशि को संशोधित दरो पर वसूल न करके पुरानी दर पर ही वसूल किया गया जिस कारण परिषद को ₹1500/-

की हानि उठानी पड़ी। अतः परिषद द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रेहड़ी धारक का नाम	रसीद सं०	दिनांक	राशि जो प्राप्त की जानी अपेक्षित थी	राशि जो प्राप्त की गई	कम प्राप्त की गई राशि
1	मीरा कुमारी	175 / 87	10.4.2012	1500	1000	500
2	धनी राम	175 / 88	10.4.2012	1500	1000	500
3	सावित्री देवी	175 / 89	10.4.2012	1500	1000	500
					कुल योग	₹1500

31 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹212611206/- का भुगतान किया जाना शेष:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट 12 पर संलग्न) के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹212611206/- की राशि का भुगतान करना शेष था। अतः बकाया राशि का शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार के अधिभार के रूप में नगर परिषद को हानि न उठानी पड़े।

32 स्ट्रीट लाईट व्यय का ₹510000/- का शेष भुगतान:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट 12 पर संलग्न) के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ₹510000/- की राशि का भुगतान शेष था। अतः बकाया राशि का शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में दण्ड ब्याज के रूप में नगर परिषद को हानि को हानि न उठानी पड़े।

33 बिजली उपकर की प्राप्ति न करना:—

सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0—(डी)(1)—9/94, दिनांक 08.11.1999 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा शुल्क वसूल किया जाता है तदनुसार बिजली उपकर की राशि को सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान करना अपेक्षित है। अंकेंक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट 13 के अनुसार अंकेंक्षण अवधि में बिजली उपकर की राशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना स अंकेंक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 शराब उपकर की प्राप्ति न करना:—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार (परिशिष्ट 13 पर संलग्न) परिषद को अंकेंक्षण अवधि 2011—13 से 2012—13 से सम्बन्धित शराब उपकर की नियमानुसार देय राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला गम्भीरता से उठाया जाए एवं अपेक्षित राशि शीघ्र अतिशीघ्र वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

35 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करना:—

नगर परिषद द्वारा अंकेंक्षण अवधि में बिजली उपकर व कुछ अवधि का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

36 टैंडर वर्क रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर का रखाव उचित प्रकार से न करना:—

प्रिंटिंग व स्टेशनरी रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 28 पर टैंडर वर्क रजिस्टर के खाते की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 16.5.12 को टैंडर वर्क रजिस्टर का प्रारम्भिक शेष 19 था एवं उक्त तिथि को एक टैंडर वर्क रजिस्टर श्री नरेश कुमार को जारी किया गया। एक टैंडर वर्क रजिस्टर जारी करने के उपरान्त अंतशेष 18 होना चाहिए था परन्तु प्रिंटिंग व स्टेशनरी रजिस्टर में अंत शेष 17 रजिस्टर दर्शाया गया था जोकि एक कम था। इस त्रुटि की सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जाएं।

37 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर का उचित रख रखाव न करना:—

रसीदों के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में निम्नलिखित कमियां/अनियमितताएं पाई गई:—

(क) पानी की आय प्राप्त करने के लिए रसीदों को जारी करने की प्रविष्टियों में बहुत अधिक कटिंग/ओवरराईटिंग पाई गई व फलूड का इस्तेमाल भी किया गया है जैसे (पृष्ठ संख्या 22 से 27, 153 से 159, 165 से 172) के अवलोकन से विधित होता है जिसे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में कटिंग/ओवरराईटिंग किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इन कटिंग/ओवरराईटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर नियमित करवाया जाए।

(ख) परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट 14 पर संलग्न) एवं रसीदों के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन (पृष्ठ 172) में पाया गया कि पानी की रसीदों का दिनांक 30.3.13 को अन्तिम शेष 415 था परन्तु 01.4.13 को रसीदों का प्रारम्भिक शेष 395 दर्शाया गया था जो कि 20 कम था। 20 रसीदों का स्टॉक में कम पाया जाना गम्भीर अनियमितता है एवं इन रसीद बुकों के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह मामला विशेष रूप से परिषद के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) रसीदों के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि रसीद बुक संख्या 394 को दिनांक 08.4.13 को सम्बन्धित कर्मचारी को अधिकारिक उपयोग के लिए जारी किया गया था

परन्तु उक्त रसीद बुक की जांच में पाया गया कि इस रसीद बुक को दिनांक 30.3.13 से उपयोग में लाया गया था जो की उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि जब रसीद बुक संख्या 394 को दिनांक 8.4.13 को सम्बन्धित कर्मचारी को अधिकारिक उपयोग के लिए जारी किया गया तो इसका उपयोग दिनांक 30.3.13 से कैसे सम्भव है? इससे स्पष्ट है कि रसीदों के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव परिषद द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है जो की चिंता का विषय है। पाई गई त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं रसीदों के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार उचित ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 जलाने वाली लकड़ी के स्टॉक के रख रखाव में पाई गई कमियां:-

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2011-12 व 2012-13 में शमशानघाट, चम्बाघाट की लकड़ी के स्टॉकों की पड़ताल करने पर पाया गया कि जलाने वाली लकड़ी के स्टॉक का रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में निम्नलिखित कमियां पाई गई:-

(क) जारी/विक्रय की गई लकड़ी को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:-

लकड़ी के स्टॉक रजिस्टर/की पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुल 151.60 क्विंटल लकड़ी जारी/विक्रय की गई थी परन्तु बेची गई लकड़ी की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की ही नहीं गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव में गम्भीर लापरवाही बरती जा रही है। जिन की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित किया जाए भविष्य में स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव/नियमानुसार किया जाए।

क्र०सं०	दिनांक	रसीद सं०	विक्रय की गई लकड़ी (क्विंटल)
1	14.6.11	171/30	6.00
2	11.8.11	171/68	5.50
3	11.8.11	171/69	6.00
4	12.8.11	171/70	5.50
5	28.4.12 से 21.5.12	242/22 से 242/41	11.6.60

6	22.10.12	271 / 29	6.00
7	23.10.12	271 / 32	6.00
कुल लकड़ी			151.60

(ख) लावारिस लाशों के दाह संस्कार के लिए जारी की गई लकड़ी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

लकड़ी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार परिषद द्वारा अंकक्षण अवधि में 121.20 क्विंटल लकड़ी निम्न विवरणानुसार लावारिस लाशों के दाह संस्कार के लिए जारी की गई परन्तु बार-2 मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी न तो इस जारी की गई लकड़ी से सम्बन्धित अभिलेख अंकक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया गया और न ही लावारिस लाशों के दाह संस्कार के लिए सक्षम अधिकारी (इन प्रकरणों में एस0डी0एम) का कोई अधिकार/आज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में जारी की गई लकड़ी की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इसे आगामी अंकक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	जारी की गई लकड़ी (क्विंटल)
1	28.5.11	6
2	25.6.11	6
3	2.8.11	6
4	5.8.11	6
5	24.8.11	6
6	26.8.11	6.50
7	24.11.11	6
8	26.11.11	6
9	11.01.12	6
10	18.1.12	6
11	18.6.12	6
12	27.6.12	7.70

13	14.7.12	6
14	21.7.12	6
15	14.11.12	7
16	29.12.12	7
17	31.1.13	7
18	26.2.13	7
19	21.3.13	7
कुल लकड़ी		121.20

39 अनुबन्ध के बिना ही दुकानों/स्टालों का आंबटन:—

दुकानों/स्टालों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में दुकानों/स्टालों के आंबटन से सम्बन्धित अनुबन्ध/इकरारनामों बार-2 मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे प्रतीत होता है कि दुकानों/स्टालों का आंबटन सम्बन्धित प्रार्थी को बिना किसी अनुबन्ध/इकरारनामों के ही कर दिया गया। वैध अनुबन्ध/इकरारनामों के अभाव में आंबटन की तिथि, नियम व शर्तें तथा लिए जा रहे किराये की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना किसी अनुबन्ध/इकरारनामों के दुकानों/स्टालों के आंबटन बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं यह सुझाव दिया जाता है कि दुकानों/स्टालों के आंबटियों से अब वैध अनुबन्ध/इकरारनामों किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किराये का उचित विनियमन (Regulation) किया जा सके एवं भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सके।

क्र०सं०	दुकान/स्टाल नं०	आंबटी का नाम
1	145	वासुदेव
2	146	सिरी राम एंड संस
3	147	श्री लक्ष्मीनारायण केदारनाथ
4	148	गुलशन कुमार
5	149	धर्मवीर
6	186	राकेश मित्तल

40 दुकानों/स्टालों के अनुबन्धों में दंडात्मक धारा/विलम्ब शुल्क का प्रावधान न करना:—

दुकानों/स्टालों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर एवं आंबटन से सम्बन्धित अनुबन्ध/इकरारनामों की पड़ताल में पाया गया कि दुकानों/स्टालों के आंबटन के समय अनुबन्ध/इकरारनामों में आंबटियों द्वारा किराया का भुगतान समय पर न करने की स्थिति में कोई भी दंडात्मक धारा/विलम्ब शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया था, जिस कारण परिषद को अधिकतर प्रकरणों में किराए की प्राप्ति समय पर नहीं हो रही है और दंडात्मक धारा/विलम्ब शुल्क का प्रावधान नहीं होने के कारण विलम्ब शुल्क की भी हानि हो रही है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भविष्य में कोई भी अनुबन्ध/इकरारनामा करते समय किराया समय पर न देने की स्थिति में दंडात्मक धारा/विलम्ब शुल्क का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को किराये की प्राप्ति समय पर हो सके।

41 पानी के बिल औसत आधार पर जारी करना:—

परिषद द्वारा कुछ प्रकरणों में पानी के बिल औसत आधार पर जारी किये जा रहे हैं। वास्तविक पानी की खपत की सूचना के अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी। की जारी किये गए बिल वास्तविक खपत के अनुसार थे या नहीं। अतः औसत आधार पर पानी के बिल जारी किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भविष्य में सभी भवनों में पानी के मीटर लगाये जाना सुनिश्चित किया जाये, जैसा कि परिषद के प्रस्ताव संख्या 162/2011 दिनांक 28.12.2011 में भी पानी के मीटर लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया है, ताकि वास्तविक खपत के आधार पर पानी के बिलों की राशि वसूल की जा सके।

42 ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की नियमित रूप से वसूली न करना:—

नगर परिषद के ट्रेड लाईसैन्स शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में ₹50/- प्रति व्यापारी प्रति वर्ष की दर से क्रमशः ₹5850/- व ₹600/- की आय की वसूली ट्रेड

लाईसैन्स शुल्क के रूप में की गई जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा ट्रेड लाईसैन्स शुल्क के रूप में वर्ष 2011-12 में 117 व्यापारियों से जबकि वर्ष 2012-13 में मात्र 12 व्यापारियों से ही ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली की गई जो कि गत वर्ष की तुलना में बहुत ही कम थी। अतः यह प्रतीत होता है नगर परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 में ट्रेड शुल्क की राशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली नियमित रूप से न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सभी व्यापारियों जिन से ट्रेड लाईसैन्स शुल्क प्राप्त होना अपेक्षित है से वर्ष 2012-13 की देय राशि शीघ्र अतिशीघ्र वसूल कर परिषद निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में भी इस मद से प्राप्त होने वाली आय की समयबद्ध वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

43 विभिन्न पक्षों से आय के प्राप्त चैकों की पावती जारी न करना:—

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2011-12 व 2012-13 के मलवहन कर (Conservancy Tax) के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मलवहन कर का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया है परन्तु परिषद द्वारा चैक प्राप्ति के समय ही रसीद जारी न करके बाद में जारी की गई है जिसकी मूल प्रतियां भी सम्बन्धित व्यक्तियों को न देकर रसीद बुक में ही पाई गई है जिनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है। अतः चैक प्राप्ति के समय ही उसकी पावति जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में चैक प्राप्ति के समय ही उसकी रसीद भी सम्बन्धित पक्ष को जारी कर दी जाये।

क्र०सं०	रसीद सं०	दिनांक	प्राप्त राशि	चैक जारी करने की तिथि
1	214 / 0	15.11.2011	63730	10.5.2011
2	290 / 06	28.2.2012	6660	24.2.2012
3	290 / 07	28.2.2012	3140	24.2.2012
4	290 / 08	28.2.2012	22755	24.2.2012
5	290 / 13	28.2.2012	33936	25.2.2012
6	230 / 09	01.03.2012	6000	8.12.2011

7	230 / 10	01.03.2012	48000	8.12.2011
8	230 / 11	01.03.2012	7950	17.12.2011
9	230 / 12	01.03.2012	880	12.12.2011
10	230 / 13	01.03.2012	34290	30.12.2011
11	230 / 14	01.03.2012	880	13.01.2012
12	230 / 15	01.03.2012	39600	13.02.2012
13	230 / 16	01.03.2012	42240	13.02.2012
14	230 / 17	01.03.2012	38280	13.02.2012
15	230 / 18	01.03.2012	15000	13.02.2012
16	230 / 19	01.03.2012	26400	13.02.2012
17	230 / 86	22.03.2012	40000	15.3.2012
18	230 / 87	22.03.2012	3850	16.3.2012
19	334 / 7	05.01.2013	16666	24.12.2012
20	334 / 8	05.01.2013	2795	22.12.2012
21	334 / 12	05.01.2013	10755	22.12.2012
22	334 / 18	05.01.2013	132660	27.12.2012
23	376 / 80	08.03.2013	100000	18.8.2012

44 जन्म मृत्यु व विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या न दर्शाना:-

नगर परिषद द्वारा जारी किये जाने वाले जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों को जारी करने का मूल्य प्रति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है परन्तु सम्बन्धित पंजिका एवं रसीदों की जांच करने पर पाया गया कि उनमें निम्नविवरणानुसार जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या नहीं दर्शाई जा रही है जिसके बिना प्रमाण पत्रों की बिक्री से प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या को न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक रसीद तथा सम्बन्धित पंजिका में जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या को दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र०सं०	रसीद सं०	दिनांक	प्राप्त राशि	विवरण
1	232 / 10	28.2.2012	10	जन्म प्रमाण पत्र
2	232 / 12	28.2.2012	10	जन्म प्रमाण पत्र
3	232 / 13	28.2.2012	20	जन्म प्रमाण पत्र
4	232 / 21	29.2.2012	10	जन्म प्रमाण पत्र
5	232 / 53	2.3.2012	100	विवाह प्रमाण पत्र
6	232 / 65	5.3.2012	10	जन्म प्रमाण पत्र
7	380 / 58	26.2.2013	100	विवाह प्रमाण पत्र
8	380 / 82	28.2.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
9	382 / 41	4.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
10	382 / 57	5.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
11	382 / 58	5.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
12	382 / 65	5.3.2013	10	जन्म प्रमाण पत्र
13	382 / 70	6.3.2013	30	जन्म प्रमाण पत्र
14	388 / 17	8.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
15	388 / 25	11.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
16	388 / 26	11.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
17	388 / 38	11.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
18	388 / 73	14.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
19	388 / 86	15.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र
20	390 / 100	22.3.2013	20	जन्म प्रमाण पत्र

45 सलोगड़ा कूड़ा-कर्कट प्लाट से प्राप्त सेग्रगेशन आय का उचित लेखा जोखा न रखना:-

नगर परिषद ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में सलोगड़ा स्थित कूड़ कर्कट संयन्त्र प्लाट से सेग्रगेशन आय के रूप में क्रमशः ₹178500/- व ₹197800/- की वसूली की गई। इस मद से इतनी अधिक आय प्राप्त होने के पश्चात भी इस आय का आवश्यक लेखा जोखा

जैसे की प्राप्त हुई राशि किस अवधि से सम्बन्धित है, कितनी राशि प्राप्त होनी अपेक्षित थी व कितनी राशि वसूली योग्य शेष है, प्राप्त की गई आय के लिये कोई दर निर्धारित की गई थी या नहीं आदि का संधारण नहीं किया जा रहा है। इस आवश्यक अभिलेख के अभाव में इस मद से अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त हुई आय की पूर्ण राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस बारे में पैरा संख्या 6 (रु) द्वारा आपत्ति उठाया जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सेग्रेशन आय का स्वयं व्याख्यात्मक मांग व प्राप्ति अभिलेख का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस मद से प्राप्त आय का विनियमन उचित रूप से किया जा सके।

46 प्रदर्शन शुल्क:-

नगर परिषद ने प्रदर्शन शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में ₹50/- प्रति प्रदर्शन की दर से आनन्द सिनेमा सोलन से क्रमशः ₹59550/- व ₹54750/- की आय की वसूली प्रदर्शन शुल्क के रूप में की गई। प्रदर्शन करके रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आनन्द सिनेमा सोलन से मात्र तीन प्रदर्शन प्रति दिन के हिसाब से ही प्रदर्शन कर प्राप्त किया जा रहा है किन्तु दिखाये जा रहे प्रतिदिन प्रदर्शनों की संख्या को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में प्राप्त किया जा रहे प्रदर्शन कर की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाये।

47 तहबाजारी शुल्क की नियमित रूप से वसूली न करना:-

नगर परिषद के आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में क्रमशः ₹852950/- व ₹655220/- की आय की वसूली तहबाजारी शुल्क के रूप में की गई जिसमें से वर्ष 2011-12 व 2012-13 में क्रमशः ₹840950/- (98%) व ₹620720/- (95%) की तहबाजारी शुल्क की वसूली अकेले शूलिनी मेले के आयोजन के अवसर पर ही की गई जो की प्रतिवर्ष माह जून में आयोजित

किया जाता है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है की नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में तहबाजारी शुल्क की वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही है जबकि परिषद के विशाल परिक्षेत्र के दृष्टिगत इस मद से और अधिक आय प्राप्त करने की अपार सम्भावना है। यदि तहबाजारी शुल्क की वसूली नियमित रूप से वर्ष भर अर्थात वर्ष के अन्य माहों (शूलिनी मेले की अवधि से पहले व बाद की अवधि) में भी की जाती तो निश्चित तौर पर नगर परिषद को तहबाजारी शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय में बढ़ौतरी होना सम्भावित थी। तहबाजारी शुल्क नियमित रूप से वसूल न करने का मामला गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (घ) द्वारा भी प्रकाश में लाया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है। अतः तहबाजारी शुल्क नियमित रूप से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66 (प) (9) के अन्तर्गत तहबाजारी शुल्क वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

स्थापना:-

- 48 हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना व्यय पर ₹23777998/- का अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के अनुसार संस्थापना पर व्यय, नगर पालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। नगर परिषद के अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान निम्न विवरणानुसार संस्थापना पर ₹23777998/- का व्यय उपरोक्त प्रावधानों से अधिक किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त अनियमितता का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त आगामी वर्षों के दौरान व्यय उपरोक्त धारा अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	परिषद का कुल व्यय	स्थापना पर कुल व्यय	स्थापना पर कुल व्यय का %	कुल व्यय का 1/3 व्यय जो स्थापना पर होना चाहिए था	स्थापना पर अनियमित व्यय
2011-12	100193903	48329433	48%	33397968	14931465
2012-13	128277577	51605725	40%	42759192	8846533
कुल योग					₹23777998

49 ₹12628/- वेतन का अधिक/अनुचित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं में अवकाश खातों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नानुसार उनके अवकाश खातों में उपलब्ध शेष से अधिक परिणित अवकाश स्वीकृत किया गया था जिस कारण इन कर्मचारियों ने नियमानुसार देय अवकाश से अधिक अवकाश व्यतीत किया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्नानुसार उन्हें किये गए ₹12628/- वेतन के अनुचित भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

कर्मचारी का नाम/पद	परिणित अवकाश की अवधि	कुल दिन	तिमाही में अर्धवेतनिक अवकाश का शेष	जितना अवकाश स्वीकृत किया जा सकता था	अधिक व्यतीत किया गया अवकाश	डस माह में कर्मचारी का वेतन	शेष से अधिक अवकाश व्यतीत करने के कारण वेतन का किया गया अनुचित भुगतान
स्व0 सुनील कुमार/बेलदार	03.7.2000 से 19.8.2000	48	34 (1.7. 2000 को)	17 (34 / 2)	31 (48-17)	4226 (माह जुलाई / 2000 में)	4226 (4226 / 31X31)
स्व0 नीरज कुमार/बेलदार	16.11.11 से 13.1.12	59	72 (1.7.11 को)	36 (72 / 2)	23 (59-36)	10960 (माह नवम्बर / 2011 में)	8402 (10960 / 31X23)
						कुल योग	12628

50 संशोधित वेतन मान में गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों का ₹5655/- का अधिक भुगतान:-

श्री मोहन लाल पुत्र श्री मंगल एवं श्रीमती कविता देवी की सेवा पंजिका की जांच में पाया गया कि उक्त कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2007 को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय वेतन वृद्धि का लाभ पुराने वेतन मान में आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि जोकि दिनांक 01.04.2008 व 01.07.2008 थी को दिया गया था। परन्तु संशोधित वेतनमान में उक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करते समय पदोन्नति पर वेतन वृद्धि का लाभ आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि से न देते हुए पदोन्नति की तिथि से ही दे दिया गया जोकि नियमानुसार अनुचित था एवं संशोधित वेतनमान में भी पदोन्नति पर वेतन वृद्धि का लाभ आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि से ही दिया जाना अपेक्षित था। अतः संशोधित वेतनमान में पदोन्नति पर गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को निम्न आंकलन के अनुसार ₹5655/- (₹2256+₹3399) के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान कर दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर पालिका निधि में जमा करवाई जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

कर्मचारी का नाम	पदोन्नति की तिथि	अवधि	वेतन +ग्रेड+डी0ए0 जो दिया गया	कुल भुगतान	देय वेतन+ग्रेड+डी0ए0	देय भुगतान	अधिक भुगतान
श्री मोहन लाल पुत्र श्री मंगल	01.10.07	01.10.07 से 31.12.07 (3 माह)	10300+1650+1076	13026	9960+1650+1045	12655	371x3=1113
		1.1.08 से 31.3.08 (3 माह)	10300+1650+1434	13384	9960+1650+1393	13003	381x3=1143
						कुल	2256
श्रीमती कविता देवी	1.10.07	1.10.07 से 31.12.07	10300+1650+1076	13026	9960+1650+1045	12655	371x3=1113
		1.1.08 से 30.6.08 (6 माह)	10300+1650+1434	13384	9960+1650+1393	13003	381x6=2286
						कुल	3399

51 ₹3532/- का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में अवकाश खातों में अर्जित अवकाश के शेष निम्नलिखित कारणों से वास्तविक शेष से अधिक दर्शाए जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति या मृत्यु उपरान्त अर्जित अवकाश खातों में बचे शेष दिनों की एवज में (leave encashment) ₹3532/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 ₹3532/- उचित स्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारी का नाम/पद	मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि	अर्जित अवकाश खाते में दर्शाया गया अंतिम शेष (दिन)	वास्तविक शेष (दिन)	अधिक दर्शाया गया शेष (दिन)	टिप्पणी	अधिक किया गया भुगतान
स्व0 पदम लाल/क्लीनर	14.7.12	244	243	1	माह के खंड (part of month) 1.7.12 से 14.7.12 तक के लिए, अर्जित अवकाश खाते में 1 दिन का अधिक क्रेडिट दिया गया था	₹538 (16134x1/30) मृत्यु के समय मूल वेतन+देय मंहगाई भत्ता (9380 (7980+1400+6754 (72% of 9380)=16134
श्री देवी सरन/कीमेन	30.9.12	282	281	1	30.9.12 को वास्तविक शेष गलत गणना के कारण 281 दिन के स्थान पर 282 दिन दर्शाया	₹659 (19780x1/30) सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन+देय मंहगाई भत्ता (11500 (10100+1400)+8280 72% of 11500)=19780
स0 सुनील कुमार/बेलदार	28.8.11	241	239	2	माह के खंड (part of month) 1.8.11 से 28.8.11 तक के लिए 2 दिन का अधिक क्रेडिट दिया गया था	₹960 (14394x2/30) मृत्यु के समय मूल वेतन+देय मंहगाई भत्ता (9110 (7710+1400)+5284) (58% of 9110)=14394
स0 श्याम लाल/सफाई	27.3.12	41	39	2	माह के खंड (part of	₹1375(20625x2/30) मृत्यु के समय देय मूल वेतन+

कर्मचारी					month) 10.3.11 से 27.3.12 तक के लिए 2 दिन का अधिक क्रेडिट दिया गया था	महंगाई भत्ता (12500 + 11100+1400)+ 8125 (65% of 12500)=20625
					कुल योग	₹3532

52 सी0सी0एस0 पेंशन नियम 1972 के नियम 27 की अवहेलना किये जाने तथा assured progression scheme के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिए जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के कई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान कई बार बिना वेतन के अवकाश (leave without pay) पर रहे हैं परन्तु उनके द्वारा व्यतीत की गई इन leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार (पेंशन रूल 27) अनुसार नियमित नहीं किया गया है जोकि किया जाना अनिवार्य है अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारियों की leave without pay से सम्बन्धित अवधि से पहले की सारी सेवा अवधि रद्द मानी जाती है। निम्नलिखित कुछ प्रकरणों की पड़ताल पर पाया गया कि इन कर्मचारियों की leave without pay से सम्बन्धित अवधियों से पहले की सेवा अवधियों को गणना में ले कर assured progression scheme के अन्तर्गत उन्हें उच्च वेतनमान प्रदान करके वित्तीय लाभ भी प्रदान किये जा चुके हैं जबकि leave without pay से सम्बन्धित अवधियों से पहले की सेवा अवधियों को तब तक गणना में नहीं लिया जा सकता था जब तक इन अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियमित नहीं किया जाता। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे ठोस कार्यवाही की गई पाई गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 या तो निम्नलिखित प्रकरणों तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों को चिन्हित करने उपरान्त देय अवकाश स्वीकृत करके सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित करवाया जाये अन्यथा इनसे उच्च वेतनमान के फलस्वरूप प्रदान किये गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने की तिथि	Leave without pay से सम्बन्धित अवधियां जो नियमानुसार नियमित नहीं की गईं
1	श्रीमती सुदेश	सफाई कर्मचारी	1.1.98	17.2.06	1.9.98 से 2.9.98 (2 दिन), 14.9.98 से 21.9.98 (8 दिन), 01.4.01 से 09.04.01 (9 दिन), 08.05.01 से 20.5.01 (13 दिन), 20.12.01 से 26.12.01 (7 दिन), 03.06.03 से 10.06.03 (8 दिन)
2	श्री बुल्ली	सफाई कर्मचारी	8.10.98	9.11.06	27.9.2000 से 5.10.2000 (9 दिन), 20.11.2000 से 26.11.2000 (7 दिन), 05.05.02 से 11.05.02 (7 दिन), 15.6.02 से 23.6.03 (9 दिन)
3	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजीत	सफाई कर्मचारी	26.9.98	27.9.06	03.02.99 (1 दिन)
4	स्व० राजेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	1.5.91	6.5.99 (8 वर्ष पश्चात) 6.5.07 (16 वर्ष पश्चात)	16.02.99 से 20.2.99 (5 दिन)

53 अवकाश खातों में अवकाश के शेष अनुचित रूप में अधिक दर्शाया जाना:-

नगर परिषद के कई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान कई बार बिना वेतन के अवकाश Leave without pay पर रहे हैं परन्तु इन Leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार (पैन्शन रूल 27) के अनुसार अवकाश स्वीकृत करके नियमित नहीं किया है। सेवा पंजिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि Leave without pay से सम्बन्धित इन अवधियों को extraordinary Leave without medical certificate/dies non माना

गया था क्योंकि विभिन्न सेवा लाभ देते समय इन अवधियों को गणना में शामिल नहीं किया था जैसे कि assured career progression scheme के अन्तर्गत लाभ देते समय इन अवधियों को शामिल नहीं किया था। यदि इन अवधियों को Leave without pay/dies non माना गया था तो नियमानुसार (Leave rule 27) सम्बन्धित कर्मचारियों के अवकाश खातों में प्रति छिमाही अर्जित अवकाश का 15 दिन का जमा (क्रेडिट) इन अवधियों के $1/10^{\text{th}}$ के बराबर कटौती उपरान्त ही दिया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया जा रहा है। जिस कारण अवकाश खातों में अवकाश के शेष अनुचित रूप से अधिक दर्शाए जा रहे हैं। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों की इन Leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को नियमानुसार नियमित करके तथा उनके अवकाश खातों में इसके फलस्वरूप अपेक्षित संशोधन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

54 अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नियमानुसार उचित प्रकार से न करना:-

कर्मचारियों की निजी नस्तियों में उनके द्वारा व्यतीत किये गए विभिन्न प्रकार के अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख (छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, कार्य ग्रहण सूचना, प्रस्थान सूचना आदि) संलग्न नहीं पाए गए जिस कारण उनके अवकाश खातों में दर्ज अर्जित तथा परिणित अवकाश से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ सही होने बारे सत्यापन नहीं किया जा सका। कई बार आग्रह करने पर जो कुछ प्रकरण पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये गए उनके अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं जैसे कि अवकाश से सम्बन्धित कार्य ग्रहण तथा प्रस्थान सूचना संलग्न न होना, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किये गये अवकाश की प्रविष्टियाँ उनके अवकाश खातों में दर्ज किया जाना, अवकाश से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र पर सम्बन्धित कर्मचारियों के हस्ताक्षर के बिना ही अवकाश स्वीकृत किया जाना, अर्जित अवकाश जाने से पूर्व नियमानुसार कर्मचारियों से 15 दिन पहले आवेदन न लिया जाना आदि। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 निम्नलिखित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना अब सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किये गए अवकाशों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण उनकी निजी नस्तियों में किये जाना तथा अवकाश प्रदान करने से सम्बन्धित सभी औपचारिकताओं का नियमानुसार पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	व्यतीत किये गए अर्जित अवकाश का विवरण	टिप्पणी
1	श्रीमती गौरी देवी	बेलदार	13.11.09, 18.12.09 28.2.11, 7.3.11 18.3.11 से 19.3.11 25.3.1 से 26.3.11 2.4.11 से 6.4.11 11.4.11 से 30.4.11	अर्जित अवकाश के आवेदन प्रपत्र पर कर्मचारी के हस्ताक्षर के बिना ही यह अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति कर दिया गया था।
2	स्व० नीरज कुमार	बेलदार	21.5.'09 से 25.5.09, 18.7.09, 31.08.09, 01.09.09 से 06.09.09, 05.10. 09 से 30.10.09, 31. 10.09 से 09.11.09, 12.11.09 से 13.11. 09, 14.12.09 से 24. 12.09, 22.03.10 से 27.3.10, 24.7.10, 21.8.10, 18.9.10, 04 से 5.10.10, 26.10. 10, 10.11.10 से 11. 11.10, 18.11.10, 26. 11.10, 27.11.10, 06 से 8.12.10, 21.12. 10, 03 से 15.1.11, 08 से 11.2.11, 21 से 24.2.11, 25 से 27.4.11, 01.08.11,	अर्जित अवकाश की यह अवधियां सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी।

09.08.11, 02.09.11,

24.9.11, 12 से 15.

10.11, 27 से 29.10.

11, 14.11.11, 01 से

18.03.12

55 व्यतीत किये गए अवकाश की प्रविष्टि अवकाश खाते में न करना:—

श्री रतन सिंह, माली की सेवा पंजिका एवं निजी नस्ति की पड़ताल में पाया गया कि कर्मचारी द्वारा अवधि 17.12.1999 से 20.12.1999 तक चार दिन का अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया था जैसा कि निजी नस्ति के पृष्ठ संख्या 34 व 35 पर संलग्न प्रस्थान सूचना व अवकाश आवेदन से स्पष्ट होता है परन्तु इस अवकाश की प्रविष्टि कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं की गई थी जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। जिसे अभिलम्ब ठीक किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

56 leave not due का अनियमित रूप से अर्जित अवकाश से डेबिट करना:—

श्री रतन सिंह, माली की सेवापंजिका की जाँच में पाया गया कि कर्मचारी को निम्न विवरणानुसार leave not due प्रदान की गई थी (सेवा पंजिका पृष्ठ 5) सी0सी0एस0 अवकाश नियमावली 1972 के नियम 31 (1) (d) के अनुसार leave not due को कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित की जाने वाली अर्ध वेतन अवकाश में से डेबिट किया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कर्मचारी को प्रदान किये गये leave not due को अनियमित रूप से अर्जित अवकाश में से डेबिट कर दिया गया। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं अवकाश को नियमित कर सम्बन्धित कर्मचारी से नियमानुसार अर्धवेतन अवकाश की वसूली कर अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाये।

अवधि	दिन
20.8.89 से 01.09.89	13
15.09.89 से 21.09.89	7
11.12.89 से 19.12.89	9
10.5.90 से 18.5.90	9

30.8.90 से 07.09.90

9

08.09.90 से 30.9.90

23

57 जन्म तिथि के प्रमाण में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:—

निम्न कर्मचारियों द्वारा नियमित नियुक्ति पर दिनांक 26.02.98 को कार्यग्रहण किया गया तथा प्रत्येक के आगे दर्शाई गई जन्म तिथि सेवा पंजिका में दर्ज की गई लेकिन इसके प्रमाण में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। जन्म तिथि की सेवा पंजिका में प्रविष्टि केवल सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दिए गए शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत धरोट द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही कर दी गई थी जोकि नियमानुसार उचित नहीं थी। अतः जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के बिना कार्यग्रहण सूचना किस आधार पर स्वीकृत की गई, का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

कर्मचारी का नाम	पद	सेवापंजिका में दर्ज जन्म तिथि
रमेश दत्त	बेलदार	07.11.1953
गंगा राम	बेलदार	05.11.1953

58 दिनांक 01.01.06 को वेतन निर्धारित करने हेतु आवश्यक औपचारिकता पूर्ण न करना:—

सेवा पंजिकाओं की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि माह जनवरी है उनसे संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.06 को संशोधित वेतन निर्धारित करते समय विहित प्रपत्र पर यह विकल्प (option) कि दिनांक 01.01.06 को उनका संशोधित वेतन निर्धारण पुराने वेतन पर दिनांक 01.01.06 को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पश्चात या देने से पूर्व किया जाये नहीं लिए गए प्रतीत होते हैं जोकि Government of Himachal Pradesh, department of Finance (Pay Recision Section) की अध्याचना संख्या फिन(पी0आर0) बी(7)—1/2009 दिनांक 26.8.09 की निर्देश संख्या 7 (iv) Note-1) के अनुसार लिए जाने अनिवार्य थे। अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 01.01.06 है से सम्बन्धित यह विकल्प कई बार आग्रह करने पर भी

आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

क्र०सं०	श्री कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री राज कुमार	सफाई कर्मचारी
2	श्रीमती सुदेश	सफाई कर्मचारी
3	श्री दयानंद	बेलदार

59 ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने से पूर्व विहित प्रक्रिया न अपनाए जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों को जिन कार्यालय आदेशों द्वारा ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किया गया थे वे आदेश अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि न तो ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश जारी किये जाते हैं और न ही ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने से पूर्व जो विहित प्रक्रिया पत्र संख्या फिन (पी०आर० बी०(७) ५१/९८, हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (पे रीविजन) डिपार्टमेंट, दिनांक शिमला-१७१००२, १५.१२.१९९८ की निर्देश संख्या (४) में दी गई है वह अपनाई जा रही है जिसके अनुसार केवल इस निर्देश में विहित शर्तों को पूरा करने वाले पात्र कर्मचारियों को ही ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किये जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्देशानुसार ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने से पूर्व विहित प्रक्रिया का पूर्ण किया जाना तथा कार्यालय आदेश जारी किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	तिथि जब ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया
1	श्रीमती सुदेश	सफाई कर्मचारी	१.१.९८	१७.२.०६
2	श्री रविन्दर कुमार	लिपिक	२६.९.९८	२७.९.०६

3	श्री गौतम शर्मा	चालक	26.9.98	27.9.06
4	श्री दीप राज	चालक	28.9.98	28.9.06

60 सेवा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण में अनियमितताओं बारे:-

नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित आवश्यक सूचनाएं व जानकारीयों सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टी नहीं की जा रही है जिसकी अनुपस्थिति में संस्था के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ प्राप्त होने या देय सेवा/सेवा निवृत्ति लाभों की प्राप्ति में विलम्ब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई निम्न त्रुटियों बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

- (i) जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० खाता संख्या को सेवा पुस्तिका में न दर्ज करना।
- (ii) समूह बीमा योजना खाता संख्या का सेवा पुस्तिका में दर्ज न होना।
- (iii) जी०ए०पी०एफ०, सी०पी०एफ० व जी०आई०एस० की राशि की प्राप्ति हेतु किसी पारिवारिक सदस्य/सदस्यों को नामांकित न करना।
- (iv) परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची न लगाना।
- (v) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प न होना।
- (vi) एल०टी०सी० हेतु स्थाई पता प्रविष्टी न होना
- (vii) वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने से पहले सेवा सत्यापन सुनिश्चित न करना
- (viii) अवकाश स्वीकृति आदेशों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी न करना तथा अवकाश खातों का नियमित रूप से नवीनीकरण न करना।
- (ix) विभिन्न कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति आदेश का उल्लेख सेवा पुस्तिका में दर्ज न करना।
- (x) अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों व कार्यग्रहण सूचनाओं की सेवा पुस्तिका में दर्ज न करना।

61 भविष्य निधि अंशदान योजना (Contributory Pension Scheme) के कार्यान्वयन में हो रही अनियमितताओं बारे:-

नगर परिषद के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) भविष्य निधि अंशदान योजना से सम्बन्धित अध्याचना संख्या फिन(पेन) ए(3)-1/96 दिनांक 17.8.2006 में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 15.5.2003 को तथा इस तिथि के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटौती करके तथा इतना ही हिस्सा नियोक्ता के हिस्से के रूप में अंशदान भविष्य निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यह केवल मूल वेतन पर ही वसूल किया जा रहा था।

(ii) कई कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% से अधिक की कटौती की जा रही थी जबकि निर्देशानुसार मूलवेतन जमा महंगाई भत्ते के 10% के बराबर ही कटौती की जानी अपेक्षित थी।

(iii) सम्बन्धित कर्मचारियों (जोकि इस योजना के अन्तर्गत आते हैं) को दिनांक 01.01.2006 से दी गई संशोधित वेतनमानों की बकाया राशियाँ (arrear) में से भी नियमानुसार 10% के बराबर कटौती करके तथा इतना ही हिस्सा नियोक्ता के हिस्से के रूप में अंशदान भविष्य निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

व्यय:-

62 ₹17153/- वेतन का अधिक भुगतान:-

श्री रोशन लाल सफाई कर्मचारी को वर्ष 2010 में माह जनवरी तथा माह सितम्बर में दो बार वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी जबकि सेवा पंजिका के अनुसार उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि

माह केवल जनवरी में ही देय थी तथा माह सितम्बर में दी गई वेतन वृद्धि अनियमित है। अतः निम्न विवरणानुसार माह सितम्बर 2010 से माह मार्च 2013 तक इन्हें ₹17153 वेतन के रूप में अधिक भुगतान किया गया।

दिनांक	जितने वेतन का भुगतान किया गया था	जितने वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए था	मूल वेतन का अधिक भुगतान (क)	मंहगाई भत्ते की दर	मूल वेतन पर मंहगाई भत्ते का अधिक भुगतान (ख)	योग (ग)=(क+ख)	अवधि	कुल माह (घ)	कुल वेतन का अधिक भुगतान (गxघ)
1.1.10	9430+1400 (1.1.10 को वार्षिक वृद्धि के बाद वेतन))	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.9.10	9760+1400 (1.9.10 को वर्ष के दौरान पुनः प्रदान की गई गलत वेतन वृद्धि)	9430+1400	330	45%	149	479	1.9.10 से 31.12.10	4	1916
1.1.11	10100+1400	9760+1400	340	51%	173	513	1.1.11 से 30.6.11	6	3078
1.7.11	10100+1400	9760+1400	340	58%	197	537	1.1.11 से 30.6.11	6	3222
1.1.12	10450+1400	10100+1400	350	65%	228	578	1.1.12 से 30.6.12	6	3468
1.7.12	10450+1400	10100+1400	350	72%	252	602	1.1.12 से 30.6.12	6	3612

1.1.13	10810+1400	10450+1400	360	72%	259	619	1.1.13 से 31.3.13	3	1857
									17153

अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 सम्बन्धित कर्मचारी का दिनांक 01.9.10 से सही वेतन निर्धारण किया जाए ₹17153/- अनुचित भुगतान की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

63 ₹10000/- का अधिक भुगतान:-

वाऊचर संख्या 237 माह 08/12 की पडताल के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार राज टैंट हाऊस, सोलन को ₹41427/- के एवज में ₹51425/- का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप ₹10000/- का अधिक भुगतान किया गया था:-

बिल सं0/दिनांक	बिल की राशि	जितना भुगतान किया जाना चाहिए था	जितना भुगतान किया गया	जितना अधिक भुगतान किया गया	टिप्पणी
2777 ऑफ 27.1.12	20078	41427 (20078+21349)	51427	10000 (51427-41427)	चैक संख्या 007360 दिनांक 8.8.12 द्वारा
2795 ऑफ 16.4.12	21349				

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ ₹10000/- उपयुक्त स्रोत से वसूल करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

64 कर्मचारियों/फर्मों/संविदाकारों को ₹4892/- के अधिक भुगतान:-

निम्नलिखित प्रकरणों में कर्मचारियों/फर्मों/संविदाकारों को देय राशि से अधिक का भुगतान किया गया था जोकि अनुचित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2

उपयुक्त स्रोत से ₹4892/- की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0/दिनांक /राशि	विक्रेता/निर्माण कार्य संविदाकार का नाम	जितना भुगतान किया जाना चाहिए था (₹) (क)	जितनी राशि का वास्तव में भुगतान किया गया था (ख)	जितनी राशि का अधिक का भुगतान किया गया था (ख-क)	टिप्पणी
242 ऑफ 8/12/281170	Covering of nalah near ITI Hari Bhawn ward No. 2, Solan Sh. Ramesh Chand	280695	281170	475	माप पुस्तिका (269/92) में देय राशि के गलत योग के कारण)
248 ऑफ 08/12/ 363419	R/M of Street light of Solan Town (Supply of street light good)/M/S Thakur Traders	363317	363419	102	वाऊचर के साथ संलग्न बिल संख्या 6609 दिनांक 12.3.12 का वास्तविक योग 115035 था जोकि ₹102 अधिक ₹115371 लिया गया था।
250 ऑफ 07/11/ 363737	Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Nand Lal, Village Neri P.O. Dohola, Kanda ghat (For supply of wood)	636213	636737	524	सम्बन्धित फर्म ने बिल द्वारा केवल ₹636213 का Claim (Bill No. 417 of 24/06/11=295689/- bill No. 420 of 24/6/11=341524) प्रस्तुत किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा

					524 अधिक ₹636737/- का भुगतान किया गया है
538 ऑफ 3/12/35749	M/S Himachal Scientific Instruments Pvt. Ltd. Hamipur	33000	35749	2749	रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्लीचिंग पाउचर का मूल्य टैक्स मिलाकर ₹11000/- तथा देय राशि ₹33000(11000 प्रति दिन मीट्रिकX3 टन) बनती थी परन्तु बिल ₹2749/- अधिक ₹35749 (10476 प्रति मी0ट0X3 मी0टन0+13. 75% (वैट)) टैक्स मिलाकर प्रस्तुत किया गया था)
189 ऑफ 08/12/ 107338	Smt. Prem Lata/w/o late Sh. Harinand	44784	44874	90	बीमा की राशि का अधिक भुगतान
192 ऑफ 08/12/ 161737	Sh. Padam Lal (Retired)	161637	161737	100	माह 03/12 में ₹1938 के स्थान पर ₹100 अधिक ₹2038 जमा किये गए थे जिस कारण भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान ₹100 अधिक किया गया था।

528 ऑफ 03 / 12 / 15861	M/S Hind samachar	864	1500	636	विज्ञापन से सम्बन्धित बिल संख्या 1001693919 दिनांक 10.1.12 में दिए गए आकार तथा रेट के आधार पर ₹864/- (24सेमी0x36 प्रति सेमी0) का भुगतान किया जाना चाहिए था जबकि ₹636/- अधिक ₹1500/- का भुगतान किया गया)
208 ऑफ 08 / 12 / 122784	M/S Punjab Kesri	3984	4000	16	विज्ञापन से सम्बन्धित बिल संख्या 1001899104 दिनांक 27.5.12 में दिए गए आकार तथा रेट के आधार पर ₹3984/- (96सेमी0x41.50 प्रति सेमी0) का भुगतान किया जाना चाहिए था जबकि ₹16/- अधिक ₹4000/- का भुगतान किया गया।
183-ए ऑफ 08 / 12 / 129259	Sh. Shahjhan	13260	13460	200	निर्माण कार्य "Providing sewerage line & connectivity from Lakkar Bazar to

					Rajgharh road Solan" से सम्बन्धित extra items (i Providing from work with steel plate=3866 तथा (ii) P/L C.C. 1:2:4=9594 ds fy, 13460 (3866+9594 का भुगतान किया गया था जबकि दर विश्लेषण के अनुसार 13260/- के लिए अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार ₹200 (13460-13260) का अधिक भुगतान किया गया था।
			कुल योग	₹4892	

65 आयकर की वसूली न करना:—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित संविदाकारों को भुगतान के समय आयकर अधिनियम की धारा 194 में दिए गए निर्देशानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई थी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹7825/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके आयकर कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करवाया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक /राशि	उद्देश्य	संविदाकार का नाम	राशि जिस पर आयकर देय था (₹)	आयकर की कटौती जो नहीं की गई।
1	515 ऑफ 03/12/72800	माह के सफाई कार्य हेतु	श्री लक्ष्मण कुमार	25900	518 (2%)

2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	26900	538 (2 %)
3	171 ऑफ 08/12/82000	Conceptual drawing बनाने हेतु	श्री अमित सूद (वास्तुकार)	5000	50 (1 %)
4	248 ऑफ 08.12. 363419	बिजली के सामान की आपूर्ति हेतु	मैसर्ज ठाकुर ट्रेडर्स	363419	3634 (1 %)
5	159 ऑफ 11/2012/308	जलाने की लकड़ी के क्रय हेतु	श्री रमेश कुमार परिहार	308500	3085 (1%)
	500				
				कुल योग	7825

66 यात्रा भत्ते दावे के अन्तर्गत ₹2489/- का अधिक भुगतान:-

वाऊचर संख्या 518 दिनांक 3/12 द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष को यात्रा भत्ते दावे की प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार ₹3465/- का भुगतान किया गया :-

दिनांक	यात्रा के आरम्भ/समाप्ति का समय	स्थान	भुगतान किये गए किराए की राशि	भुगतान किये गए ठहराव चार्जस की राशि (हिमाचल भवन दिल्ली)	भुगतान किये गए दैनिक भत्ता की राशि (₹180 का 75%)	कुल भुगतान
22.12.11	2:15 PM/10:45 PM	सोलन से हिमाचल भवन, दिल्ली	630	900	135	1665
23.12.11	-----	-----	-----	900	135	1035
24.12.11	1:30PM/9:30 PM	हिमाचल भवन, दिल्ली से सोलन	630	-----	135	765
कुल भुगतान						3465

उपरोक्त भुगतान की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:—

(i) नियमानुसार केवल commercial lines पर चलाए जा रहे होटल्स में यात्रा के दौरान ठहराव करने पर तथा होटल को किये गए किराए के भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर ही विहित सरकारी रेट्स पर दावेदार को किराए के रूप में भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित थी परन्तु हिमाचल भवन commercial lines पर नहीं चलाया जाता है। अतः ₹1800/— की ठहराव चार्जिज (lodging charges) के रूप में अनियमित भुगतान किया गया।

(ii) बोलवो बस में यात्रा करने से सम्बन्धित टिकट्स वाऊचर के साथ संलग्न नहीं पाई गई जिस कारण नियमानुसार केवल साधारण बस किराए ₹490 (245+245) भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि 1260 (630+630) का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप ₹770/— का अधिक भुगतान किया गया।

(iii) नियमानुसार दिनांक 22, 23 तथा 24.12.11 को दैनिक भत्ता क्रमशः ₹126/— (180X70%) ₹180/—, ₹180 देय था फलस्वरूप ₹81/— 486 (126+180+180)—405 (135+135+135) का कम भुगतान किया गया था।

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2489 (1800+770—81) की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

67 समाचार पत्रों पर ₹1624/— का अपव्यय:—

अतिरिक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (सी) ए (3) 8@83, दिनांक 9.10.2002 द्वारा विभागाध्यक्ष हेतु दो समाचार पत्रों क्रय करने की सीमा निर्धारित की गई है किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा परिशिष्ट "19" के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन समाचार पत्रों का प्रतिदिन क्रय नगर परिषद कोष से किया गया है जिस कारण इस मद पर निम्न विवरणानुसार ₹1718/— का अपव्यय किया गया है।

माह	माह के दौरान क्रय किए गए समाचार पत्र	भुगतान की गई (जो पूरे माह में की गई)	अपव्यय की राशि (न्यूनतम भुगतान को अपव्यय मानते हुए)
04 / 2011	दिव्य हिमाचल	95	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	95	
05 / 2011	दिव्य हिमाचल	97	62
	आपका फैसला	62	
	दैनिक भास्कर	99.50	
06 / 2011	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	66.50	
07 / 2011	दिव्य हिमाचल	98	62
	आपका फैसला	62	
	दैनिक भास्कर	100	
08 / 2011	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	96.50	
09 / 2011	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	96	
10 / 2011	दिव्य हिमाचल	95	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	98	
11 / 2011	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	96.50	
12 / 2011	दिव्य हिमाचल	98	62
	आपका फैसला	62	

	दैनिक भास्कर	99.50	
01 / 2012	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	96.50	
02 / 2012	दिव्य हिमाचल	91	58
	आपका फैसला	58	
	दैनिक भास्कर	94	
03 / 2012	दिव्य हिमाचल	95	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	97	
04 / 2012	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	97	
05 / 2012	दिव्य हिमाचल	99	62
	आपका फैसला	62	
	दैनिक भास्कर	99.50	
06 / 2012	दिव्य हिमाचल	94	60
	आपका फैसला	60	
	दैनिक भास्कर	96	
07 / 2012	दिव्य हिमाचल	98	62
	आपका फैसला	62	
	दैनिक भास्कर	100	
08 / 2012	दिव्य हिमाचल	94	94
	अमर उजाला	102	
	दैनिक भास्कर	96.50	
08 / 2012	हिन्दुस्तान टाईम्स	94	94
	अमर उजाला	100	
	दैनिक भास्कर	97	
10 / 2012	हिन्दुस्तान टाईम्स	97	97

	अमर उजाला	104.50	
	दैनिक भास्कर	99.50	
11/2012	हिन्दुस्तान टाईम्स	91	91
	अमर उजाला	97.50	
	दैनिक भास्कर	93	
12/2012	हिन्दुस्तान टाईम्स	98	98
	अमर उजाला	110	
	दैनिक भास्कर	100	
01/2013	हिन्दुस्तान टाईम्स	94	94
	अमर उजाला	110	
	दैनिक भास्कर	96	
02/2013	हिन्दुस्तान टाईम्स	88	88
	अमर उजाला	102	
	दैनिक भास्कर	100	
03/2013	-----	---	---
			1624

अतः उपरोक्त ₹1624/- के अपव्यय की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये राशि नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। अपव्यय के ऐसे प्रकरण अंकेक्षण अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी प्रकाश में लाया गया था लेकिन परिषद द्वारा इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

68 अधिवक्ता (advocate) को ₹8300/- का अनियमित भुगतान :-

वाऊचर संख्या 522 दिनांक 03/12 द्वारा अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह को ₹25700/- का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया था:-

क्रमांक	लम्बित केस	केस का नाम	कॉन्सेल फी की भुगतान की गई राशि	Miscellaneous expense का भुगतान	कुल भुगतान
1	—यथोपरि—	Kanti swroop v/s mc solan	1250	200	1450
2	—यथोपरि—	Naveen Kumar v/s Hari Dutt	1250	200	1450
3	—यथोपरि—	Narsh v/s Lakan Pal	250	200	1450
4	—यथोपरि—	Parshant v/s Solan tehsil	900	200	1100
5	—यथोपरि—	Neeraj v/s Narinder	900	200	1100
6	—यथोपरि—	Mohan Singh v/s Satpal	900	200	1100
7	—यथोपरि—	Joginder v/s Anil	900	200	1100
8	—यथोपरि—	Joginder v/s Anil	900	200	1100
9	—यथोपरि—	Managat Ram v/s Raj Kumar	900	200	1100
10	—यथोपरि—	Deepak Sood v/s Shashi	900	200	1100
11	—यथोपरि—	Seema Gupta v/s Roshan Lal	900	200	1100
12	—यथोपरि—	Jeet Ram v/s Badu Lal	900	200	1100
13	—यथोपरि—	Rakesh v/s mc Solan	900	200	1100
14	—यथोपरि—	MC solan v/s Shashi aggarwal	1250	200	1450
15	निर्णीत केस	Shashi aggarwal v/s MC solan	900	—	900
16	—यथोपरि—	Amit Sahni v/s MC Solan	1250	—	1250
17	—यथोपरि—	Keshav Kumari v/s MC Solan	1250	—	1250
18	क्रिमिनल केस	State v/s Sanjeev & amit	5500	—	5500
योग				2800	25700

उपरोक्त वाक्यचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) अधिवक्ता को ₹2800/- miscellaneous expense का भुगतान कौन्सल फी के साथ कोर्ट में लम्बित केसों की एवज में किया गया था जबकि अधिवक्ताओं को देय केसों की कौन्सल फी से सम्बन्धित नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 545/2010 दिनांक 16.6.10 में

miscellaneous expense के भुगतान करने का कहीं प्रावधान नहीं किया गया था जिस कारण यह भुगतान अनुचित प्रतीत होता है। अतः उक्त अनियमित भुगतान की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उपयुक्त स्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 18 में दर्शाए गए क्रिमिनल केस के लिए अधिवक्ता को ₹5500/- का भुगतान किया गया था परन्तु पारित प्रस्ताव जिसके द्वारा नगर परिषद सदन ने अधिवक्ता को ₹5500/- क्रिमिनल केसों के एवज में देने के लिए अधिकृत किया था वह अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण ₹5500/- के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि नगर परिषद अधिवक्ताओं को कुल देय कौंसल फी की 50% राशि का भुगतान केस की आरम्भ में तथा 50% केस के निर्णीत होने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था परन्तु कोर्ट केसों से सम्बन्धित ऐसा कोई रजिस्टर या अन्य कोई अभिलेख कई बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त लम्बित एवं निर्णीत केसों में अधिवक्ता को भूत (Past) तथा वर्तमान (Present) में मिला कर जो कुल भुगतान किया गया है वह उसे कुल देय राशि के बराबर ही है तथा उसे कुल देय राशि से अधिक भुगतान नहीं किया गया था जिस कारण उपरोक्त भुगतानों के सही होने बारे सत्यापन नहीं किया जा सका।

अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किया जाए ताकि भुगतान के सही होने की पुष्टि की जा सकें।

69 वेतन से Income Tax Act 1961 के Section 192 (2) में दिए गये निर्देशानुसार वित्त वर्ष के दौरान एक समान कटौती न किये जाने बारे:-

Tax Act 1961 Section 192 (2) में दिए गए निर्देशानुसार वेतन से स्रोत पर आयकर की कटौती पूरे वर्ष में कमोवेश एक समान की जानी अपेक्षित है ताकि वर्ष के अन्त में आयकर कटौती अप्रत्याशित रूप से अत्याधिक न हो किन्तु नगर परिषद के प्रकरण में पाया

गया कि परिशिष्ट "16" के अनुसार कई कर्मचारियों के वेतन में से आयकर की स्रोत कर कटौती उपरोक्त नियम के प्रावधानानुसार न करके वर्ष के प्रारम्भ में बहुत ही कम (लगभग नगण्य) की गई थी तथा वर्ष के अन्तिम माह में अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अधिक की गई थी जैसा कि कुछ निम्न प्रकारणों से स्पष्ट हो जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पद	अवधि/जितनी आयकर की कटौती की गई
1	श्री अजमेर सिंह	कार्यकारी अधिकारी	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=7700 मार्च 12=9937
2	श्री के0डी0 शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=2200 मार्च 12=9562
3	श्री सोहन लाल	मेट	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=1100 मार्च 12=4165
4	श्री कर्म चंद	सेनिटरी एंस्पेक्टर	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=11000 मार्च 12=7629
5	श्री टी0एन0 अत्री	-यथोपरि-	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=16500 मार्च 12=7475
6	श्री टी0एन0 अत्री	सेनिटरी एंस्पेक्टर	अप्रैल/11 से फरवरी/12 तक=22000 मार्च 13=7450
7	श्री के0डी0 शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	अप्रैल/12 से फरवरी/13 तक=4400 मार्च 13=6391
8	श्री सोहन लाल	मेट	अप्रैल/12 से फरवरी/13 तक=3300 मार्च 13=4496
9	श्रीमती बिमला देवी	सफाई कर्मचारी	अप्रैल/12 से फरवरी/13 तक=2200 मार्च 13=1949
10	श्री एम0एल0 ठाकुर	ए0ए0ई0	अप्रैल/12 से फरवरी/13 तक=22000 मार्च 13=8061

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 भविष्य में आयकर की कटौती निर्देशानुसार वित्त वर्ष में एक समान की जानी सुनिश्चित की जाए।

70 बिना सक्षम अधिकारी की व्यय स्वीकृति प्राप्त किए अनियमित भुगतान:-

निम्नलिखित प्रकरणों में कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई व्यय स्वीकृति (expenditure sanction) से अधिक का भुगतान किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसे नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/ दिनांक	निर्माण कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	जितनी राशि की व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी	जितनी राशि का वास्तव में भुगतान किया गया था।
1	182 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of soild waste management plant salogra (internal electric wiring)/M/S Thakur Traders.	73254	76996
2	180-ए	Painting & white washing of MC quarters, Solan, Phase-II/Sh. Prem Kumar	97163	97679
3	185-बी ऑफ 08/12	C/O retaining wall near house No. 6 Phase-II/Sh. Anjum Ali	79426	79449
4	222 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durga club waed No. 9 (RD 0/0 to 0/12.20) Sh. Vikrant Sharma	144494	145483
5	239 ऑफ 08/12	Improvement of banwara road (C/O drain & tubewell) Sh. Vikrant Sharma	78265	78273

6	243 ऑफ 08/12	C/O drain in housing board coclony phase-II, Ward No. 13/Sh. Ramesh Chand Sharma	124063	124148
7	237 ऑफ 08/12	M/S Raj tent house, Solan	20078	51427
8	220 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near durga club, ward No. 9	नोटिंग शीट पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा व्यय स्वीकृति प्रदान ही नहीं की गई थी	158567

71 कार्यालय में उपयोग में लाई जानी वाली विभिन्न वस्तुओं का क्रय करने से पूर्व औपचारिकता पूर्ण न करना:—

नगर परिषद द्वारा कार्यालय में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के क्रय हेतु सही व विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	वा0सं0/ दिनांक	राशि	बिल सं0/दिनांक=राशि	फर्म का नाम	टिप्पणी
1	507 ऑफ 03/12	19399	653 ऑफ 11.1.12 =6750 671 ऑफ 27.1.12=6750	The Legend Solan	क्रय समिति के गठन से सम्बन्धित पत्र नहीं दिखाया गया तथा कुटेशनस के लिफाफों पर क्रय समिति सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए
2	516 ऑफ 03/12	11242	0585 ऑफ 07.3.13 =4850 0583 ऑफ 24.1. 12=4059	Thakur art studio Solan	—यथोपरि—
3	517 ऑफ	11650	2635 ऑफ 09.3.12	Bhasin	प्रतीत होता है कि sealed

quotations ली ही नहीं गई
क्योंकि वाउचर के साथ कुटेशनस
के लिफाफे संलग्न ही नहीं पाए
गए

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ उपरोक्त प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में वस्तुओं के क्रय हेतु विहित प्रक्रिया अपनाई जानी सुनिश्चित की जाए।

बिलों/कैश मैमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारे:-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैश मैमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (रेगुलेशन) डिपार्टमेंट, अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए (3) 5/2005, शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

72 बिना विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किये एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 102 व 103 के अनुसार क्रमशः एक लाख से अधिक की सामग्री के क्रय के लिए प्रैस टैंडर किये जाने अनिवार्य है एवं दस लाख तक की सामग्री क्रय करने के लिए लिमिटेड टैंडर सिस्टम अपनाते हुए ट्रैंडर्स को सम्बन्धित सामग्री पूर्तिकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना अनिवार्य है ताकि व्यापक आधार पर विज्ञापन के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ उठाया जा सके परन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि टैंडर के प्रैस में विज्ञापित करने/टैंडर्स को सम्बन्धित सामग्री पूर्तिकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख वाउचरों के साथ संलग्न नहीं पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि सामग्री का क्रय बिना विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किये ही कर लिया गया जो की अनियमित ही नहीं

आपत्तिजनक भी है क्योंकि इस कारण प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र०सं०	वा०सं० व माह	क्रय की गई सामग्री	भुगतान राशि	पूर्तीकर्ता का नाम
1	220 व 221 02/13	गार्बेज कंटेनर	1031307	मै० कवर एसोसिएट, लुधियाना
2	599 9/12	झूले इत्यादि	386552	—यथोपरि—
3	159 11/12	जलाने की लकड़ी	308500	मै० रमेश कुमार परिहार, सोलन
4	256 07/11	—यथोपरि—	636737	—यथोपरि—

73 ₹209671/— का मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जाना:—

परिषद द्वारा विभिन्न मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा खुले बाजार से मुद्रण कार्य करवाए जाने से पूर्व अनापति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया। मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाने के कारण परिषद द्वारा सरकारी दरों का लाभ नहीं उठाया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार ₹209671/— से करवाए गए कार्य/भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकारी दरों का लाभ उठाया जा सके। उपरोक्त प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

क्र०सं०	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	मुद्रण कार्य का मूल्य
1	छाबरा ट्रेडर्स, होशियारपुर	203	18.5.11	18564
2	बघाट प्रिंटिंग प्रैस	266	20.9.11	97440
3	छाबरा ट्रेडर्स, होशियारपुर	266	20.9.11	6598

4	बघाट प्रिंटिंग प्रैस	952	11.1.12	14858
5	छाबरा ट्रेडर्स, होशियारपुर	1104	07.03.12	3691
6	लीजेड प्रिंटिंग	1102	07.03.12	13500
7	शिव प्रिंटर्स	693	19.10.12	5040
8	बघाट प्रिंटिंग प्रैस	1007	02.02.13	49980
	कुल भुगतान			₹209671

74 बिना औचपारिकताएँ पूर्ण किए विज्ञापन पर ₹623355.00 का अनियमित व्यय:-

(क) उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट 17 पर संलग्न) के अनुसार परिषद द्वारा अंकक्षण अवधि में अपने ही स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु ₹623355.00 का भुगतान किया गया। नियमानुसार विज्ञापनों को हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की विज्ञापन शाखा के माध्यम से विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था ताकि सरकार द्वारा निर्धारित दरों का लाभ प्राप्त किया जा सके। अतः विज्ञापन को सरकारी संस्था के माध्यम से विज्ञापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विज्ञापनों पर ₹47420/- का अनियमित व्यय:-

वाऊचर संख्या 209 ऑफ 08/2012 की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद, सोलन द्वारा शूलिनी मेला, 2010 के विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण हेतु निम्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को निम्न विवरणानुसार ₹47420/- का भुगतान किया गया।

क्रमांक	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1	मैसर्ज दैनिक समाचार	3500
2	मैसर्ज अमर उजाला	3500
3	मैसर्ज जागरण प्रकाशन	3500

4	मैसर्ज दिव्य हिमाचल	3500
5	मैसर्ज आपका फैसला	3500
6	मैसर्ज पंजाब केसरी	3500
7	मैसर्ज पृथ्वीलोक	3500
8	मैसर्ज हिम दृष्टि	2000
9	अजित समाचार	1920
10	मैसर्ज हिमालय डौन पब्लिकेशन	2000
11	मैसर्ज हिाचल दस्तक मीडिया	3000
12	मैसर्ज हिमाचल दस्तक मीडिया	2000
13	मैसर्ज सोलन पत्रिका	2000
14	मैसर्ज शुलिनी समाचार	2000
15	मैसर्ज ग्रास वीकली	2000
16	मैसर्ज शेल समाचार	2000
17	मैसर्ज हिम जन	2000
18	मैसर्ज डेली पोस्ट	2000
कुल योग		47420

वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के मितव्ययता आदेश संख्या फिन -1-सी (14) 1/83 दिनांक 6.9.1995 के अनुसार विज्ञापनो पर व्यय हेतु प्रशासनिक विभाग तभी सक्षम है जब वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की हो किन्तु इस प्रकरण में नगर परिषद कार्यालय द्वारा न तो प्रशासनिक विभाग की और न ही वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है जिनकी अनुपस्थिति में नगर परिषद कार्यालय द्वारा कृत उपरोक्त ₹47420/- का भुगतान अनियमित है। जिसे सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

(ग) बिना औपचारिकता पूर्ण विज्ञापन प्रकाशित करने बारे:-

चयनित माहों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि जहां एक ओर विज्ञापन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की विज्ञापन शाखा के माध्यम से न करवा कर सीधे स्थानीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में करवा दिए गए वहीं दूसरी ओर यह विज्ञापन देने से पूर्व आवश्यक औपचारिकताएं भी पूर्ण नहीं की गई थी क्योंकि न तो वाऊचर

के साथ विज्ञान देने सम्बन्धी कुटेशनस/मूल्य सूची जिस आधार पर यह विज्ञापन दिए गए थे वे संलग्न पाई गई और न ही अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत की गई जिस कारण यह पुष्टि नहीं हो सकी कि यह कार्य निम्नतम मूल्य पर करवाए गए थे। इन विज्ञापनों से सम्बन्धित अधिकतम बिलों पर भी प्रकाशित किये गए विज्ञापनों का आकार तथा उनका प्रति इंच मूल्य नहीं लिखे गए थे केवल कुल देय राशि लिखी गई थी जिस के आधार पर यह भुगतान कर दिए गए। यह नगर परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अत्यन्त लापरवाही का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक भी है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक/ राशि	बिल सं0/दिनांक	समाचार पत्र/पत्रिका	भुगतान की गई राशि
1	528 ऑफ 03/12/15861	एचडी/112 ऑफ 20/2/12	हिमालयन डैन	1500
2	—यथोपरि—	1927 od nil	ब्रिज व्यू	3500
3	—यथोपरि—	1001693919 ऑफ 11.1.12	हिन्द समाचार	1500
4	—यथोपरि—	801 ऑफ 1.1.12	दैनिक भास्कर	1500
5	—यथोपरि—	2822 ऑफ 23.1.12	शूलिनी समाचार	1500
6	—यथोपरि—	15583 ऑफ 10.1.12	आपका फैसला	1500
7	555 ऑफ 03/12	16144 ऑफ 26.2.12	आपका फैसला	15000
8	—यथोपरि—	218 ऑफ 5.3.12	पृथ्वीलोक	10000
9	—यथोपरि—	2840 ऑफ 13.3.12	शूलिनी समाचार	7200
10	—यथोपरि—	315 ऑफ 28.2.12	हिमाचल केसरी	5000
11	—यथोपरि—	285 ऑफ 28.1.12	हिमाचल केसरी	4800
12	—यथोपरि—	126963 ऑफ 26.2.12	दिव्या हिमाचल	46784
13	—यथोपरि—	जी0टी0टी0/120201327 ऑफ 11.2.12	ट्रिब्यून ट्रस्ट	1698

14	—यथोपरि—	जी0टी0टी0 / 120103914 ऑफ 31.1.12	ट्रिब्यून ट्रस्ट	16980
15	—यथोपरि—	102596850 ऑफ 1.2.12	मैसर्ज एच0टी0 मीडिया	9292
16	208 ऑफ 03 / 12	17478 ऑफ 9.6.12	आपका फैसला	5000
17	—यथोपरि—	0033 ऑफ 25.6.12	दैनिक भास्कर	5000
18	—यथोपरि—	4978 ऑफ 14.5.12	मैसर्ज ग्रास विकली	5000
19	—यथोपरि—	133933 ऑफ 9.6.12	दिव्या हिमाचल	6224
20	—यथोपरि—	1001882961 ऑफ 17.6.12	पंजाब केसरी	6000
21	—यथोपरि—	1001899104 ऑफ 27.5.12	पंजाब केसरी	4000
22	—यथोपरि—	256 ऑफ 12.6.12	पृथ्वीलोक	3000
23	—यथोपरि—	244 ऑफ 30.4.12	पृथ्वीलोक	10000
24	—यथोपरि—	46 ऑफ 20.6.12	हिम जन आवाज	2000
25	—यथोपरि—	402 ऑफ 7.6.12	हिमाचल केसरी	3600
26	209 ऑफ 08 / 12 47420	1 ऑफ 25.6.12	दैनिक भास्कर	3500
27	—यथोपरि—	डी0सी0एच0डी0—12061143 ऑफ 22.6.12	अमर उजाला	3500
28	—यथोपरि—	जी0डी0 / 1 / डी0एम020600 345 22.6.12	जागरण प्रकाशन	3500
29	—यथोपरि—	135339 ऑफ 22.6.12	दिव्या हिमाचल	3500
30	—यथोपरि—	17634 ऑफ 22.6.12	आपका फैसला	3500
31	—यथोपरि—	1001883025 ऑफ 23.6.12	पंजाब केसरी	3500
32	—यथोपरि—	259 ऑफ 23.6.12	पृथ्वी लोक	3500
33	—यथोपरि—	216 ऑफ 22.6.12	हिम दृष्टि	2000
34	—यथोपरि—	एच—1485 ऑफ 22.6.12	अर्जित समाचार	1920
35	—यथोपरि—	एच0डी0—012 ऑफ 10.7.12	हिमालयन डौन	2000
36	—यथोपरि—	119 ऑफ 12.5.12	हिमाचल दस्तक	3000

37	—यथोपरि—	825 ऑफ 22.6.12	हिमाचल दस्तक	2000
38	—यथोपरि—	शून्य ऑफ 2.7.12	सोलन पत्रिका	2000
39	—यथोपरि—	2943 ऑफ 2.7.12	शूलिनी समाचार	2000
40	—यथोपरि—	516 ऑफ 30.6.12	ग्रास विकली	2000
41	—यथोपरि—	237 ऑफ 02.7.12	शेल समाचार	2000
42	—यथोपरि—	00678 ऑफ 04.7.12	हिम जन आवाज	2000
43	—यथोपरि—	सी0एच—डी0पी0—1207—242	आवाज पोस्ट	2000
		8 ऑफ 24.6.12		

अतः नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना उपरोक्त विज्ञापन दिए जाने बारे तथा बिलों में विज्ञापन के आकार एवं रेट की पूर्ण जानकारी न होने पर भी भुगतान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 इस कारण नगर परिषद निधि को हुई हानि की भरपाई उपयुक्त स्रोत से करके तथा नगर परिषद निधि में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकक्षण पर अवगत कराया जाए। भविष्य समाचार पत्रों में विज्ञापन सरकारी निर्देशानुसार दिए जाना सुनिश्चित किया जाए।

75 दर संविदाओं (Rate contract) के आधार पर सामान का क्रय न करना:—

नगर परिषद द्वारा बिजली, पानी तथा अन्य हार्डवेयर के सामान का क्रय दर संविदाओं के आधार पर न करके सीधे खुले बाजार से किया गया था तथा क्रय से पहले नियंत्रक, भण्डार क्रय, हिमाचल प्रदेश से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किये गए थे जोकि निम्नलिखित प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है:—

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	विकर्ता का नाम	राशि	टिप्पणी
1	541/ए ऑफ 03/12	ठाकुर ट्रेडर्स लक्कड़ बाजार, सोलन	145954	बिजली का सामान
2	248 ऑफ 08/12	—यथोपरि—	363419	—यथोपरि—
3	246 ऑफ 08/12	एस0के0 ट्रेडर्स सोलन	176672	पानी फिटिंग्स से सम्बन्धित सामान

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण अवधि के दौरान दर संविदा पर उपलब्ध वस्तुओं के क्रय न करने के कारण नगर परिषद निधि को हुई हानि की भरपाई उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए। भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार उपरोक्त विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

76 भुगतान के विरुद्ध पावतियां प्रस्तुत न करना:—

निम्न भुगतानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवा के आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	राशि (₹)
1	507 ऑफ 03/12 ऑफ 19399	653 ऑफ 11.1.12	The Legend, anand complex, Solan	6750
2	—यथोपरि—	671 ऑफ 27.1.12	The Lefend, anand complex Solan	6750
3	—यथोपरि—	187 ऑफ 24.1.12	Shel, weekly newspaper	1500
4	528 ऑफ 03/12 ऑफ ₹15861	1927 ऑफ दर्शाया नहीं गया	M/S brij view	3861
5	—यथोपरि—	1001693919 ऑफ 11.1.12	Hind samachar	1500
6	—यथोपरि—	801 ऑफ 1.1.12	Dainik bhaskar	1500
7	—यथोपरि—	2822 ऑफ 23.1.12	Sholani samachar	1500
8	—यथोपरि—	496 ऑफ 19.1.12	Grass weekly	1500
9	532 ऑफ 03/12 ऑफ ₹50094	15000	Sh. Madan Lal Mehta (Refund of ssecurity)	15000
10	533 ऑफ 03/12	-----	Electricity department	18086

	ऑफ ₹18086			
11	538 ऑफ 03/12 ऑफ 35749	4131 ऑफ 10.3.12	Himachal scintfic pvt. Ltd. Hamirpur	35749
12	555 ऑफ 03/12 ऑफ 116754	2840 ऑफ 13.3.12	Sholini samachar	7200
13	—यथोपरि—	126963 ऑफ 26.2.12	Divya Himachal	46784
14	554 ऑफ 03/12 ऑफ 115917	-----	Refund of security (Sh. Mangleshvar Sharma)	1993
15	193 ऑफ 08/12 ऑफ ₹27061	-----	Electricity department	27061
16	208 ऑफ 08/12 ऑफ 122784	0033 ऑफ 25.6.12	Dainik Bhaskar	5000
17	—यथोपरि—	497 ऑफ 14.5.12	Grass weekly	5000
18	—यथोपरि—	133933 ऑफ 9.6.12	Divya Himachal	6224
19	—यथोपरि—	1001882961 ऑफ 17.6.12	Punjab Kesri	6000
20	—यथोपरि—	1001899104 ऑफ 27.5.12	Punjab Kesri	4000
21	—यथोपरि—	256 ऑफ 12.6.12	Prithvi Lok	3000
22	—यथोपरि—	244 ऑफ 30.4.12	Prithvi Lok	10000
23	—यथोपरि—	46 ऑफ 7.6.12	Him Jan awaj	2000
24	—यथोपरि—	402 ऑफ 7.6.12	Himachal Kesri	3600
25	209 ऑफ 08/12 ऑफ 47420	0001 ऑफ 25.6.12	M/S Dainik Bhaskar	3500
26	—यथोपरि—	डी0सी0एच0डी0—12061143 ऑफ 22.6.12	मै0 अमर उजाला	3500
27	—यथोपरि—	जी0डी0/1/डी0एम0/20600 345 ऑफ 22.6.12	मैसर्ज जागरण प्रकाशन	3500
28	—यथोपरि—	135339 ऑफ 22.6.12	मैसर्ज दिव्य हिमाचल	3500
29	—यथोपरि—	176734 ऑफ 22.6.12	मैसर्ज आपका फैसला	3500
30	—यथोपरि—	1001883025 ऑफ 23.6.12	मैसर्ज पंजाब केसरी	3500

31	—यथोपरि—	259 ऑफ 23.6.12	मैसर्ज पृथ्वीलोक	3500
32	—यथोपरि—	216 ऑफ 22.6.12	मैसर्ज हिम दृष्टि	2000
33	—यथोपरि—	एच—1485 ऑफ 22.6.12	अजित समाचार	1920
34	—यथोपरि—	एच0डी0—012 ऑफ 10.7.12	मैसर्ज हिमालय डौन पब्लिकेशन	2000
35	—यथोपरि—	119 ऑफ 12.5.12	मैसर्ज हिमाचल दस्तक मीडिया	3000
36	—यथोपरि—	825 ऑफ 22.6.12	मैसर्ज हिमाचल दस्तक मीडिया	2000
37	—यथोपरि—	शून्य ऑफ 2.7.12	मैसर्ज सोलन पत्रिका	2000
38	—यथोपरि—	2943 ऑफ 2.7.12	मैसर्ज शूलिनी समाचार	2000
39	—यथोपरि—	516 ऑफ 30.6.12	मैसर्ज ग्रास वीकली	2000
40	—यथोपरि—	237 ऑफ 2.7.12	मैसर्ज शेल समाचार	2000
41	—यथोपरि—	00678 ऑफ 4.7.12	मैसर्ज हिम जन	2000
42	—यथोपरि—	सी0एच0—डी0पी0—1207—2428 ऑफ 24.6.12	मैसर्ज डेली पोस्ट	2000
43	193—ए ऑफ 8/12 ऑफ 29819	5350 ऑफ 12.6.12	विशाल वस्तु भण्डार, सोलन	273
44	—यथोपरि—	5271 ऑफ 4.6.12	—यथोपरि—	273
45	—यथोपरि—	5272 ऑफ 5.6.12	—यथोपरि—	5460
46	—यथोपरि—	5486 ऑफ 9.8.12	—यथोपरि—	2730
47	—यथोपरि—	5441 ऑफ 12.7.12	—यथोपरि—	270
48	198 ऑफ 08/12 ऑफ 21940	प्रतिभूति की वापसी	श्रीमती आंचल	800
49	—यथोपरि—	—यथोपरि—	श्री अरुण	1000
50	—यथोपरि—	शून्य ऑफ 6.6.12	श्री पूर्ण टी स्टाल	70
51	—यथोपरि—	शून्य ऑफ 11.6.12	—यथोपरि—	135
52	—यथोपरि—	शून्य ऑफ 12.6.12	—यथोपरि—	335

77 स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न दर्शाना:-

निम्नलिखित बिलों के तहत क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक/कंटीजेंट (Store/stock/contigent) रजिस्ट्रों में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सम्पूर्ण अभिलेख सहित आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक /राशि	बिल सं0/दिनांक	राशि	फर्म का नाम	विवरण
1	506 ऑफ 03/12/21893	641 ऑफ 18.12.1	200	Batra Traders, Solan	File folder
2	—यथोपरि—	1219 ऑफ 16.11.11 व 1266 ऑफ 09.12.11	172 व 421	Bhawani Bhandar, Solan	Photostat/fax charges
3	507 ऑफ 03/12/19399	653 ऑफ 11.1.12 व 671 ऑफ 21.1.12	6750 व 6750	The Legend Solan	Hand bills & pamphlet printing
4	516 ऑफ 03/12/11242	0585 ऑफ 07.03.12 0574 ऑफ 21.1.12 व 0583 ऑफ 24.1.12	4850, 2333 व 4059	Thakur Art studio Solan	Photographs & albums
5	519 ऑफ 03/12/91939	3933 ऑफ 18.2.12	5960	Durga filling station, Solan	Wheel bearing & hydraulic oil.
6	526 ऑफ 03/12/2492	02 ऑफ 03.02.12, शून्य ऑफ 09.3.12, 280 ऑफ 20.3.12, शून्य ऑफ 20.3.12 व 17290 ऑफ 6.3.12	120, 750, 180, 135, 315 व 992	Deepi photographer Solan, Mangat Ram & Sons, Sh. Purn tea stall & Himachal traders, Solan	Photographs, and bills distribution, Photostat charges, tea/biscuit charges & photostate paper
7	530 ऑफ 03/12/19000	359 ऑफ 13.3.12	19000	Ankur goods carrier, Solan	Garbage lifting & throwing charges
8	531 ऑफ	578 ऑफ 03.10.11	2500	Jyoti electrical &	Rent of sound

	03 / 12 / 2500			sound system	system
9	538 ऑफ 03 / 12 / 35749	4131 ऑफ 10.3.12	35749	Himachal instrumentsn pvt,.ltd	Bleeching powder (Not entered in store register & was directly entered in MAS register)
10	187 ऑफ 03 / 12 / 12300 0	Supply of closed decoratyed garbage containers	123000	M/S Happy art studio Solan	Grabage containers
11	187-ए ऑफ 08 / 12 / 89600	Supply of benches	89600	M/S Happy art Studio, Solan	Park benches
12	196 ऑफ 08 / 12 / 1621	1445 ऑफ 2.4.12	977	Himachal traders	Cash book
13	196 ऑफ 08 / 12 / 1621	4111 ऑफ 6.6.12	260	M/S Mangat Ram & Sons	News Paper
14	-यथोपरि-	1249 ऑफ 2.2.12	80	M/s Bhawani Bhandar	Photostat charges
15	-यथोपरि-	1319 ऑफ 12.6.12	30	-यथोपरि-	-यथोपरि-
16	-यथोपरि-	1328 ऑफ 16.6.12	40	-यथोपरि-	-यथोपरि-
17	-यथोपरि-	1327 ऑफ 16.6.12	20	-यथोपरि-	-यथोपरि-
18	-यथोपरि-	1256 ऑफ 15.2.12	30	-यथोपरि-	-यथोपरि-
19	-यथोपरि-	1258 ऑफ 15.2.12	16	-यथोपरि-	-यथोपरि-
20	-यथोपरि-	1259 ऑफ 15.2.12	14	-यथोपरि-	-यथोपरि-
21	-यथोपरि-	1257 ऑफ 15.2.12	14	-यथोपरि-	-यथोपरि-
22	196-ए ऑफ 08 / 12 / 29819	1226 ऑफ 21.6.12	800	M/S Rekha dgital art, Solan	For advertising board making
23	-यथोपरि-	1225 ऑफ 20.6.12	20000	-यथोपरि-	T shirts
24	-यथोपरि-	5350 ऑफ 12.6.12	273	विशाल वस्तु भण्डार, सोलन	Locks

25	—यथोपरि—	5271 ऑफ 4.6.12	273	—यथोपरि—	Locks
26	—यथोपरि—	5272 ऑफ 5.6.12	5460	—यथोपरि—	Glubes
27	—यथोपरि—	5486 ऑफ 9.8.12	2730	—यथोपरि—	Plastic drum
28	—यथोपरि—	5441 ऑफ 12.7.12	270	—यथोपरि—	Tourch
29	199 ऑफ 08 / 12 / 5460	41 ऑफ 10.7.12	300	M/S Prem Singh, Photographer, Solan	Photographs
30	—यथोपरि—	46 ऑफ 10.7.12	500	—यथोपरि—	—यथोपरि—
31	—यथोपरि—	48 ऑफ 13.7.12	300	—यथोपरि—	—यथोपरि—
32	—यथोपरि—	49 ऑफ 21.7.12	300	—यथोपरि—	—यथोपरि—
33	—यथोपरि—	7998 ऑफ 3.8.12	4060	—यथोपरि—	Iron frame

78 निर्माण कार्य

कार्य का नाम:— प्रोपोसड पालिका बाजार ओन थर्ड फ्लोर इन पार्किंग काम्पलैक्स बिहाईन्ड एम सी बिल्डिंग, राजगढ़, रोड, सोलन।

संविदाकार:— विनोद साहनी

संविदा संख्या:— एम0सी0/वर्क/2012-1273 दिनांक 07.06.12

माप पुस्तिका संख्या:— 246 (पृष्ठ 07/32)

अवार्ड राशि:— ₹5611416.00

वाऊचर संख्या 112 माह 09/12

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि:— 03.05.12

कार्य निष्पादन के लिए आंबटित अवधि:— छः माह

कार्य पूरा करने की तिथि:— कार्य अभी प्रगती पर

चलत बिल संख्या:— प्रथम

बिल की राशि:- ₹4694914.00

उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹45000.00 का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य के भुगतान वाऊचर की पड़ताल में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 11 का निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण जिसके निष्पादन की रिकार्ड एंट्री माप पुस्तिका संख्या 246 के पृष्ठ संख्या 24 पर दी गई है, संविदाकार को ₹45000.00 का अधिक भुगतान किया गया जो कि एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	मद सं०	मद का विवरण	एम०बी० संख्या	सही गणना	गणना जो गई	गणना जो अधिक की गई	दर	अधिक भुगतान जो किया गया
1	11	P/F 0.60 mm thick pripainted plan GS Sheet valleys 60 CM wide overall with No. 1 DIP metallic Zinc coated.	246 (पृ०सं० 24 व 29)	68.8+10.5+12. 6+6.9=98.8 Rmt	198.8 Rmt	100 Rmt	450 प्रति Rmt	₹45000

(ख) गलत कन्वर्सन फैक्टर लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹25547/- का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल की पड़ताल में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 3 वस्तुतः प्रोवाईडिंग टोर स्टील रीइनकोर्समेन्ट फॉर आर०सी०सी० वर्क (जिसके निष्पादन की रिकार्ड एंट्री माप पुस्तिका संख्या 246 के पृष्ठ संख्या 9 पर दी गई है) में प्रयुक्त की गई मद 20 एमएम स्टील एवं मद संख्या 17(ए) वस्तुतः स्टील वर्क वेल्डेड इन

बिल्ट अप सेक्शनस, ट्रस्सेस एंड फ्रेमड वर्क इन बीम्स जोइस्टस चैनल्स आदि (जिसके निष्पादन की रिकार्ड एंट्री माप पुस्तिका संख्या 246 के पृष्ठ संख्या 14 से 18 पर दी गई है) में प्रयुक्त की गई मद इक्वल एंगल 65x65x6 व आई0एस0एम0सी0 चैनल 75 एमएम की गणना के दौरान निम्न विवरणानुसार गलत कन्वर्सन फैक्टर लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹25547/- का अधिक भुगतान किया गया जो कि एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त ₹25547/- अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

माप पुस्तिका /पृ0सं0	मद सं0	मद का उप शीर्षक	कुल मात्रा	कन्वर्सन फैक्टर जो लगाया गया	कुल मात्रा कि0ग्रा0 में जिसका भुगतान किया गया	कन्वर्सन फैक्टर जो लगाया जाना चाहिए था	कुल मात्रा कि0ग्रा0 में जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	कुल अधिक मात्रा किग्रा में	दर प्रति किग्रा	अधिक भुगतान जो किया गया
246 / 9	3	20एमएम स्टील	75.6 Rmt	2.57	194.29	2.47	186.73	7.56	53	401
246 / 1 4 व 18	17 (ए)	इक्वल एंगल 65x65x6	287.4+10.5= 297.9 Rmt	5.9	1757.61	5.8	1727.82	29.79	74.50	2219
246 / 1 6 व 18	17 (ए)	आई0एस0एम0 सी0 चैनल 75 एमएम	924.65+126 +8.8+278.6= 1338.05 Rmt	7.03	9406.49	6.8.	9098.74	307.75	74.50	22927
										25547

(ग) टेंडर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन के जारी करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के समाचार पत्रों में प्रकाशन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/समाचार पत्रों की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि इस निर्माण कार्य का टेंडर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन के ही कर दिया गया यह अनियमित है। टेंडर समाचार पत्रों में प्रकाशन न करने के कारण संस्था द्वारा

बाजार/प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(घ) संविदाकार से रॉयल्टी की कटौती न करना:—

निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे की रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति संविदाकार अपने स्तर पर ही कर रहा था परन्तु इन सामग्री की पूर्ति/क्रय के पक्ष में न तो संविदाकार द्वारा एम0फार्म प्रस्तुत किया जा रहा था और न ही परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर पर रॉयल्टी की कटौती की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों, पत्र संख्या इण्ड-ii (एफ) 6-5/2006 के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गई अनियमिता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं रॉयल्टी की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ङ) निर्माण कार्य के भुगतान वाउचर के साथ संलग्न स्टील इशू व खपत विवरणिका की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण कार्य के लिए 16 एम0एम0 स्टील की 1502.31 कि0ग्रा0 मात्रा इंडेंट संख्या के0डी0 7-337 दिनांक 4.5.12 के द्वारा जारी की गई व इसी मात्रा की कटौती बिल में से कर ली गई परन्तु अनुबन्ध की मद संख्या 3 वस्तुतः प्रोवाइडिंग टोर स्टील रीइनफोर्समेन्ट फॉर आर0सी0सी0 वर्क (जिसके निष्पादन की रिकॉर्ड एंट्री माप पुस्तिका संख्या 246 के पृष्ठ संख्या 9 पर दी गई है) जिसमें यह प्रयुक्त की गई की पड़ताल में पाया गया कि इस मद में 16 एमएम स्टील की 1648.85 कि0ग्रा0 मात्रा की खपत हुई। अतः उक्त कार्य में जो 16 एम0एम0 स्टील की ₹6301.00 मूल्य की 146.54 कि0ग्रा0 अधिक मात्रा प्रयुक्त की गई के आपूर्ति का स्रोत बिल में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं होता की प्रयुक्त की गई अधिक मात्रा किस स्रोत से प्राप्त की गई थी। अतः इस बारे उचित जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाए एवं यदि इसे संविदाकार द्वारा अपने स्तर पर उपलब्ध करवाया गया था तो इस के क्रय के पक्ष में बिल प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस अधिक खपत की गई मात्रा की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

79 कार्य का नाम:— प्रोवाइडिंग रिन्चूमल कोट ऑफ वेरियस एम सी रोडस ऐट सोलन

संविदाकार :- चंदर प्रकाश धरमा

संविदा संख्या:- एम0सी0/वर्क/2010-870 दिनांक 11.5.11

माप पुस्तिका संख्या:- 268 (पृष्ठ 54 से 56)

अवार्ड राशि:- ₹794700.00

वारुचर संख्या:- 159 माह 07/11

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि:- 1.6.11

कार्य निष्पादन के लिए आंबटित अवधि:- एक माह

कार्य पूरा करने की तिथि:- 18.6.2011

चलत बिल संख्या:- प्रथम व अंतिम

बिल की राशि:- ₹803217.00

उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति न लेना:-

शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए (3) 5/2007 दिनांक 10.3.2010 के नियम संख्या 3 के अनुसार पांच लाख से अधिक खर्च के निर्माण कार्य के लिए निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी आवश्यक है परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई जो की अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति न लेने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति अब प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) टैंडर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन के जारी करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के समाचार पत्रों में प्रकाशन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/समाचार पत्रों की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि इस निर्माण कार्य का टैंडर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन के ही कर दिया गया जोकि अनियमित है। टैंडर समाचार पत्रों में प्रकाशन न करने के कारण संस्था द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ग) संविदाकार से श्रम कर की ₹8032.00 की कटौती न करना:—

श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1-2000 (Lab) BCWA दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग की कटौती श्रमकर के रूप में संविदाकारों को किये जाने वाले भुगतान में से काट कर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक बोर्ड में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में से एक प्रतिशत की दर से ₹8032.00 की कटौती नहीं की गई। वांछित कटौती न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अपेक्षित श्रम कर की वसूली उचित स्रोत से कर सम्बन्धित बोर्ड में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) संविदाकार से रॉयल्टी की कटौती न करना:—

निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे की रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति संविदाकार अपने स्तर पर ही कर रहा था परन्तु इन सामग्री की पूर्ति/क्रय के पक्ष में न तो संविदाकार द्वारा एम0 फार्म प्रस्तुत किया जा रहा था और न ही परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर पर रॉयल्टी की कटौती की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों पत्र संख्या एण्ड II (एफ) 6-5/2006 के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं रॉयल्टी की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

80 संविदाकारों से श्रमकर ₹178522- की कटौती न करने बारे:—

नगर परिषद के माह 3/2012 में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा संविदाकारों से निम्नविवरणानुसार ₹17852/- श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1-2000 (Lab) BCWA दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में संविदाकारों से वसूल किया जाना व H.P. Building and other construction workers welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क्रमांक	वा0 का विवरण	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम जिससे श्रमकर की कटौती नहीं की गई	कृत भुगतान की कुल निर्माण लागत	श्रमकर जो ठेकेदार से नहीं काटा गया (कुल भुगतान लागत का 1%)
1	503 ऑफ 3/12	Improvement of chambaghat park/Sh. Vivek Obroi	17482	175
2	—यथोपरि—	Repair & maintenance of MC path near ward No. 6 Sh. Vivek Obroi	18754	188
3	—यथोपरि—	C/O draon Near toilet (mathru rado)/Sh. Vivek Obroi	22253	223
4	504 ऑफ 3/12	Improvement of MC toilet ward No. 4/phase-1, (Repair & fixing of tiles/Sh. Subhash Chand	20498	205
5	504 ऑफ 3/12	Improvement of MC toilet in ward No. 4 salogra	21681	217
6	541—बी ऑफ 3/12	C/O proposed parking complex at children park (electric wriing grund 1 st & 2 nd floor) M/S Thakur traders	77866	779
7	541—सी ऑफ 3/12	Installattion of electric wiring in MC building (wiring & p/f switches in ambedkar hall) Thakur traders.	75543	755
8	542 ऑफ 3/12	C/O path & laying of pvc pipe near court to railway line/Sh. Geeta Ram	115138	1151
	543 ऑफ 3/12	C/O nalah near 4 lohar muhlah, ward No. 3 (C/O rcc wall & rcc slab)	106452	1064
9	544—ए ऑफ 3/12	Improvement of shilly road (drain & toe wall, phase-I) Vikrant Sharma	109106 (निर्माण कार्य की कुल लागत 20250	1091

			बिल की राशि)	
10	544—बी ऑफ 3 / 12	Improvement of shilly road job No. 13/Vikrant Sharma	118452	1185
11	545 ऑफ 3 / 12	C/O of pedestrian at saproon (p/f steel grill) Sh. Anoop Chand	117185	1172
12	546 ऑफ 3 / 12 546—ए ऑफ 03 / 12	Repair & restoration of path & drain in ward No. 10/Sh. Vishal Kaushal	125878	1259
13	547 ऑफ 3 / 12	Ar & MO tank road of Solan town/Sh. Vishal Kaushal	20000	200
	547 ऑफ 3 / 12	Repair & maintenance of water supplies in solan phase-I/Sh. Shahjhan	19224	192
14	548—ए ऑफ 3 / 12	Repair & maintenance of water supplies in solan phase-II/ Sh. Shahjhan	16250	163
15	548—बी ऑफ 3 / 12	C/O drain in ward No. 10 from Rajgarh road to Sh. Chhajta house/Sh. Shanker Dass	19852	199
16	549 ऑफ 3 / 12	Repair of MC path in various wewards Solan (Rpair of Checked tiles path) Sh Shanker Dass	123471	1235
			(निर्माण कार्य की कुल लागत) 16695 (बिल की राशि)	
17	550—ए ऑफ 3 / 12	Repair & restoration of various municipal roads at Solan, (renewl & patch work in forest road) Sh Chandra pradash Sharma	81715	817
18	550—बी ऑफ 3 / 12	C/O path & stair at uday vihar ward No. 1, SolanDh. Nain Singh	59392	594
19	550—सी ऑफ	Improvement of solid waste management	123696	1237

	3/12	plan at salogra (cabin for polythene collection material)Sh Nain Singh		
20	550—डी ऑफ 3/12	Improvement of solid waste management plan at salogra (gate court yard concrete work) Sh.Nain Singh	116072	1161
21	550—ई ऑफ 3/12	Improvement of path from negi house to Thakur house in ward No. 11/(P/f checked tiles flooring in phase-I) Sh. Nain Singh	20000	200
22	551 ऑफ 3/12	Repair & restoration of path at patrar villafe in ward No. 11, Solan (P/L C.C. 1:2:4)	17754	178
23	552 ऑफ 3/12	C/O path from Pundir house to nank villa weard No. 10 Solan (C/o retaining wall) Sh. Sanjay Shandil	71253	713
			(निर्माण कार्य की कुल लागत) 17041 बिल की राशि)	
24	553 ऑफ 3/12	P/L pipe from the house of Sh. Karam Chand to the house of Sh. Satish/Sh. Geeta Ram	19091	191

योग **17852**

अतः उपरोक्त ₹17852/- की वसूली उचित स्रोत से कर H.P. Building and other Construction workers welfare Board में जमा करवाई जाए इसके अतिरिक्त अन्य समस्त ऐसे प्रकरणों में भी अपने स्तर पर यथानुसार कार्यवाही करने उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

81 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्व करने पर कार्य आंबटन पत्र की शर्तानुसार ₹37690/- दंड (penalty) की वसूली न करना:-

निम्नलिखित प्रकरणों में संविदाकारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर न तो उनसे कार्य आंबटन पत्र की

शर्त के अनुसार दंड (penalty) की वसूली की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढ़ौतरी की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्नानुसार ₹37690/- कार्य आंबटन के पत्र में दी गई शर्तानुसार निर्धारित दर से दंड की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0/ दिनांक	माप पुस्तिक/ पृष्ठ सं0	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कार्य आंबटन पत्र संख्या/ दिनांक	कार्य समाप्त करने के लिए प्रदान की गई अवधि (कार्य आंबटन पत्र की दिनांक के 15 दिन पश्चात)	जिस तिथि को कार्य समाप्त हो जान चाहिए था	जिस तिथि को कार्य समाप्त हुआ	जितने दिन अधिक लगे/ निर्धारित समय सीमा के बाद देय प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क (₹)	राशि जो विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी (₹)
251-बी ऑफ 03/12	271 व 267/59	C/O proposed parking complex (electric wiring of 1 st , 2 nd & ground floor) M/S Thakur traders	3988 ऑफ 06.10.10	1 महीना	21.11.10	2.3.12	467 दिन 1	467
541-सी ऑफ 03/12	267/61	Installation of electric wiring in MC building thodo ground/M/S Thakur Traders	4289 ऑफ 24.11.11	1 महीना	9.1.12	12.3.12	63 दिन 50	3150
544-ए ऑफ 03/12	274/10	Improvement of Shilly road/ Sh. Vikrant Sharma	4530 ऑफ 12.12.11	1 महीना	27.1.12	9.3.12	42 दिन 1	42
545 ऑफ 03/12	279/17	C/O pedestrian path/Sh. Anoop Sood	4008 ऑफ 05.11.11	1 महीना	20.12.11	19.3.12	90 दिन 2	180

546 ऑफ 03.12	271 / 60	Repair & restpration of path in ward No. 10/Sh. vishal Kaushal	3029 ऑफ 12.9.11	1 महीना	27.10.11	2.3.12	127 दिन 50	6350
548-डी ऑफ 03 / 12	267 / 54	Repair of MC path in various wards Sh. Shankar Dass	4882 ऑफ 28.12.11	1 महीना	12.2.12	29.2.12	17 दिन 1	17
550-ए ऑफ 03 / 12	271 / 68	C/O path at vikas mohalla ward No. 1/Sh Nain Singh	3023 ऑफ 12.9.11	1 महीना	27.10.11	16.3.12	141 दिन 50	7050
550-बी ऑफ 03 / 12	271 / 68	C/O path/Stair at Uday vihar Ward No. 1/ Sh Nain Singh	3024 ऑफ 12.9.11	1 महीना	27.10.11	16.3.12	141 दिन 50	7050
550-सी ऑफ 03 / 12	271 / 47	Improvement of solid waste management plant at Salogra/Sh. Nain Singh	4781 ऑफ 23.12.11	1 महीना	7.2.12	29.2.12	22 दिन 2	44
550-डी ऑफ 03 / 12	273 / 10	Improvement of solid waste management plant at Salogra/Sh. Nain Singh	4782 ऑफ 23.12.11	1 महीना	7.2.12	28.2.12	21 दिन 2	42
551 ऑफ 03 / 12	272 / 74 से 77	Repair & restoration of path at patrar village of ward No. 11/Sh. Ramesh Kumar	4393 ऑफ 01.12.10	1 महीना	16.1.11	22.2.12	37 दिन 50	1850
552 ऑफ 03 / 12	267 / 68	C/O path Pundir house to nank villa in ward No. 10/Sh. Sanjay	4654 ऑफ 20.11.10	1 महीना	5.1.11	28.3.12	448 दिन 1	448
176 ऑफ	276 / 12	C/O path &	97 ऑफ	1 महीना	22.5.12	30.6.12	39 दिन 1	39

08 / 12		providing tiles near Kaushik house sunny side ward No.12/Sh Geeta Ram	07.4.12					
180-सी ऑफ 08 / 12	274 / 77	C/O rehn basera hall 2 nd floor, thodo ground/Sh. Prem Kumar	476 ऑफ 23.4.12	1 महीना	8.6.12	20.6.12	12 दिन 1	12
182 ऑफ 08 / 12	273 / 58	Repair & maintenance of solid waste management plant Salogra/M/S Thakur traders	6253 ऑफ 07.3.12	1 महीना	22.4.12	12.6.12	51 दिन 1	51
182-ए ऑफ 08 / 12	263 / 79	C/O hall at district library for children park/M/S Thakur traders	6252 ऑफ 7.3.12	1 महीना	22.4.12	12.6.12	51 दिन 1	51
183 ऑफ 08 / 12	263 / 80	Repair & maintenance of water supply Solan/Sh Shahjhan	556 ऑफ 24.4.12	1 महीना	9.6.12	16.6.12	7 दिन 1	7
206 ऑफ 08 / 12	274 / 81	R/M of roads/path/drain at various locations of ward No. 7/Sh. Bhupender Jaswal	1669 ऑफ 27.6.12	1 महीना	12.8.12	16.8.12	4 दिन 1	4
225 ऑफ 08 / 12	269 / 85	R/M of Shilly road phase-IV, Ward No. 8, Solan/Sh. Vikrant Sharma	274 ऑफ 13.4.12	1 महीना	28.5.12	2.6.12	5 दिन 1	5
230 ऑफ 08 / 12	270 / 85	R/M of water supply scheme of Solan town/Sh.	2805 ऑफ 30.8.11	1 महीना	14.10.11	15.5.12	214 दिन 510	10700

		Vishal Kaushal						
239 ऑफ 08 / 12	273 / 84	Improvement of bawra road/Sh. Vikrant Sharma	5149 ऑफ 7.1.12	1 महीना	22.2.12	2.7.12	131 दिन 1	131
							कुल योग	37690

82 माप पुस्तिकाओं में गलत गणनाओं के कारण संविदाकारों को ₹16621/- का अधिक भुगतान:-

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की प्रमात्रा की गणना जमा, घटाव व गुणा की करने के कारण संविदाकारों को निम्नानुसार रूप से ₹16621/- का अधिक भुगतान किया गया था:-

वा0सं0 / दिनांक	माप पुस्तिका / पृ0 सं0	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	मद का विवरण	माप पुस्तिका मे त्रुटिपूर्वक ली गई प्रमात्रा	कार्य की प्रमात्रा जो वास्तव में होनी चाहिए थी	अंतर	भुगतान की दर	अधिक भुगतान की राशि
503 ऑफ 03 / 12	273 / 8	C/O drain near toilet (Mathura radio)/Sh. Vivek Obroi	Exacavatio n in drains (item No. 1)	4.82 cub m	4.02 cub m	0.80 cub m	190 cub m	152
182 ऑफ 08 / 12	273 / 57 व 58	R/M of solid waste management Plant Salogra (Sh. internal electric wiring) M/S Thalur traders	Supplying & fixing of wooden box 102mmx17 8mm (item No. 3)	20 No.	18 No.h	2 No	48	96
206 ऑफ 08 / 12	274 / 81	R/M of path/drain/road at various locations of ward No. 7 (Sh.	P/L C.C. 1:2:4 (item No. 4)	1.72 cub m	1.51 cub m	0.21 cub m	4200	882

		stone/brick/concret etc) Sh. Bhupender Jaswal						
229 ऑफ 08 / 12	273 / 78	C/O toilet near badminton hall near thodo ground ward No. 7 Sh. Nain Singh	2 nd class brick masonry (item No. ½)	8.97 cum m	7.25 cub m	1.72 cub m	4300	7393
—यथोपरि—	—यथोपरि—	-do-	2 nd class half brick masonry (item No 2/3)	41.75 cub m	38.52 cub m	3.43 cub m	570	1955
—यथोपरि—	—यथोपरि—	-do-	Providing wood work (item No.3/4)	0.343 cub m	0.320 cub m	0.023 cub m	42000	966
—यथोपरि—	—यथोपरि—	-do-	Steel work welded up sections (item No. 4/6)	849.18 Kg	312.88 Kg	36.30 Kg	73 per Kg	2650
230 ऑफ 8 / 12	270 / 84 व 85	R/M of water supply of Solan town (Sh excavation in earth work) Sh. Visahl Kaushal)	Excavation in earth work (1)	580.03 cub m	577.93 cub m	2.1 cub m	175 cub m	368 per cub m
188 ऑफ 08 / 12	273 / 76	C/O cement concrete road from Rajgarh road to Lakkar bazaar, Phase-III/Sh Ram Pal	P/L of C.C. (1:1 ½ :3) (item No. ¼)	26.39 cub m	25.90 cub m	0.49 cub m	4400 cub m	2156
							योग	16621

अतः पुनः जांच कर कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹16621/- की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

83 वास्तुकार को ₹4260/- का अनुचित भुगतान:-

वास्तुकार श्री अमित सूद को नगर परिषद के विभिन्न निर्माण कार्यों के नक्शे बनाने हेतु वाऊचर संख्या 171 दिनांक 8/12 द्वारा ₹82000/- का भुगतान किया गया था। इनमें से एक निर्माण कार्य "Proposed parking near tennis court (work order No. 035 (01), dt 16-4-12" का नक्शा बनाने हेतु ₹12000/- का भुगतान किया गया था। इस कार्य हेतु अपनी अवतरणों (quotation) वास्तुकार श्री अमित सूद, इंजीनियर श्री योगेश अवस्थी तथा वास्तुकार श्रीमती नीना मिन्हास ने क्रमशः ₹9000, ₹10000 व ₹9500 के भाव प्रस्तुत किये थे। इस कार्य से सम्बन्धित तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि इस विवरणी में संविदाकारों द्वारा अवतरणों में अंकित किये गए भाव क्रमशः ₹9000, ₹10000 व ₹9500 न लेकर क्रमशः ₹14000, ₹14500 व ₹15000 ले लिए गये थे तथा श्री अमित सूद का भाव ₹14000/- निम्नतम पाए जाने पर उन्हें मोल तोल (negotiation) उपरान्त यह कार्य लगभग 14% नीचे $(2000/14000 \times 100)$ ₹12000 में आंबटित कर दिया गया था यह अनियमित है क्योंकि तुलनात्मक विवरणी में सही भाव लिए जाते तो निम्नतम रेट ₹9000 पाए जाने पर उपरोक्त समानता (analogy) पर उन्हें यह कार्य मोल तोल उपरान्त ₹7740/- (9000 से 14% नीचे) में आंबटित किया जाना अपेक्षित था। फलस्वरूप वास्तुकार श्री अमित सूद को ₹4260 (12000-7740) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹4260 की वसूली उचित स्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाई जाए।

84 संविदाकारों से ₹2820/- खाली सीमेन्ट बैग की वसूली न करना:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित संविदाकारों से खाली सीमेन्ट बैग की संविदाकारों से ₹2820/- से कम वसूल किये गए थे:-

अवधि	सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी किये गए सीमेन्ट बैगस	खाली सीमेन्ट बैगस की एवज में जितनी वसूली की जानी चाहिए थी	नगर परिषद द्वारा कम की खाली सीमेन्ट बैगस गई वसूली की एवज में जितनी वसूली की गई (देखें परिशिष्ट "18"
01.4.11 से	5490	4941 (5490 x @ 0.90	2121 (591+1530) 2820
31.3.13		प्रति बैग)	

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2820/— उपयुक्त स्रोत से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेंक्षण पर अवगत कराया जाए।

85 संविदाकारों से ₹25686/— जलप्रभार (water charges) की वसूली न करना:—

नगर परिषद के निर्माण कार्यों के बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में संविदाकारों से ₹25686/— जल प्रभार की वसूली नहीं की गई थी जबकि कार्य आंबटन पत्र संख्या की शर्त संख्या 5 के अनुसार संविदाकारों से कृत कार्य के मूल्य का 1.5% भाग जलप्रभार के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित था:—

क्रमांक	वा0 का विवरण	कार्य का विवरण व संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य की लागत	जल प्रभार की वसूली जो नहीं की गई
1	178 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of road from ward No. 9 to 11 (renewl of coat & patches) Sh. Gian Chand	396108	5942
2	179 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of road from ward No. 1 to 4 (renewel of coat & patches)/Sh. Taurn Kumar	450755	6761
3	181—ए ऑफ 08/12	Rehan Basera of road in Solan (renewl coat & patches) /Sh CP Dharma	170085	2551
4	181—बी ऑफ	Repair & maintenance of various	164885	2473

	08/12	road in Solan town (renewl coat & patches)/ Sh. CP Dharma Lakkar bazaar, phase-II/Sh. Ram Paul		
5	213 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durga club RD/28.20 to 0/46 Sh. Nain Singh	316039	4741
6	215 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durga club RD/28-20 to 0/46/Sh. Nain Singh	168819	2532

योग	25686
-----	--------------

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹25686/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

86 ₹45544/- की प्रत्यर्पणीय प्रतिभूतियों के संदिग्ध प्रतिदाय (refund) बारे:-

नियमानुसार निर्माण कार्य की समाप्ति के 6 माह पश्चात ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति का प्रतिदाय निर्माण कार्य में कोई कमी न पाए जाने पर तथा संविदाकार के विरुद्ध कोई शिकायत न मिलने पर सक्षम अधिकारी के इस बारे सत्यापन उपरान्त सम्बन्धित संविदाकार को किया जा सकता है परन्तु वाऊचर संख्या 524 दिनांक 3/12 ₹38561/- तथा 247 दिनांक 08/12 ₹700502/- की पड़ताल पर पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कार्य प्रगति पर दर्शाए जाने तथा माप पुस्तिकाओं में उनके समापन से सम्बन्धित तिथियाँ दर्ज न किये जाने के बावजूद निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिभूतियों का प्रतिदाय कर दिया गया यह अनियमित है। अंकेक्षण के दौरान इन निर्माण कार्यों के समापन से सम्बन्धित कोई अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण निम्नलिखित प्रतिभूतियों का प्रतिदाय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/पृ०सं०	प्रतिदाय की गई प्रतिभूति की राशि
1	R/R of nalah from sahani house to ward No. 11	Sh. Suresh Vishisht	257 / 14	10198
2	C/O boundary wall along with path ward No. 11	Sh. Suresh Vishisht	257 / 30	9895
3	C/O parking in ward No. 2, Saproon	Sh. Nain Singh	261 / 65	11804
4	C/O parking near Gurdwara No. 2, Saproon	Sh. Nain Singh	257 / 89	13647
कुल योग				45544

87 ₹348737 /— के निर्माण कार्यों के समापन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:—

निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में निर्माण कार्यों की समाप्ति पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गए कार्य समापन प्रमाण पत्र (work completion certificate & report) न तो निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान वाउचर के साथ संलग्न पाए गए और न ही अंकेक्षण द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किये गये चूंकि वांछित प्रमाण पत्रों के बिना कृत भुगतान अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	वा० का विवरण	कार्य का विवरण व संविदाकार का नाम	कृत भुगतान (₹)
1	541—बी ऑफ 3 / 12	C/O Proposed parking complex at children park (electric wiring ground (1 st & 2 nd floor) M/S Thakur traders	77866
2	541—सी ऑफ	Installation of electric wiring in MC building (wiring & p/f	75543

	3 / 12	switches in ambedkare hall) M/S Thakur traders	
3	174 ऑफ 08 / 12	Repair & restoration of building & Shaheed park/Sh. Karanjeet	18936
4	177 ऑफ 08 / 12	Repair/Restoration of path patrar village, ward No. 11, phase-II/Sh. Ramesh Kumar	28180
5	182 ऑफ 08 / 12	Repair & restoration of solid waste management plant at Slogra (internal electrical wiring) M/S Thakur traders	76996
6	182-ए	C/O hall at district library for children park (p/f electric wiring/fittings) M/S Thakur traders	58393
7	186-ए	C/O wall over the existing slab in back side of harimandir, Ward No. 7/Sh. Suresh Kumar	12823

योग

348737

88 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत के बिना ₹152295/- का अनुचित भुगतान:-

वाकचर संख्या 2013 दिनांक 08 / 12 ₹316039/- की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "C/O Retaing wall behind Durga club (RD 0/28.20 to 0/46)" कार्य आंबटन पत्र संख्या 1767 दिनांक 04.7.12 द्वारा श्री नैन सिंह को कार्यान्वयन हेतु ₹386078/- में आंबटित किया गया था। अवलोकन पर पाया गया कि कार्य के प्रथम बिल के अनुसार जो मद कार्यान्वित किये गए थे उनमें से कुछ मद कार्य की DNIT के अनुसार कार्यान्वित ही नहीं किये जाने थे। इन मदों के कार्यान्वयन में जो परिवर्तन किया गया था उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की कोई पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई प्रतीत नहीं होती है क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख अंकक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। निर्माण कार्य की DNIT में जो मद वर्णित थे तथा जिन मदों का वास्तव में कार्यान्वयन किया गया यह विवरण निम्न प्रकार से है:-

मदों का विवरण जिनका DNIT के अनुसार कार्यान्वयन किया जाना था	मदों का विवरण जिनका वास्तव में कार्यान्वयन किया गया था/भुगतान की गई राशि	जो मद DNIT के अनुसार नहीं थे (क)	सक्षम प्राधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति के किया गया भुगतान
--	--	-------------------------------------	--

(i) Excavation in	(i) Excavation in foundation, trenches	(i) Providing from	152295/-
-------------------	--	--------------------	----------

foundation, trenches etc. in earth work	etc. in earth work= (22.59 cubm @210/-)=4743	work with steel (3575+148720) plates=(14.30 sqmx250/-)=3575/-
(ii) P/L cement concrete 1:6:12	(ii) Providing from work with steel plates=(14.30 sqmx250/-)=3575/-	(ii) Providing laying cement concrete 1:5:10 (45.76 cubm x@3250/-)=148720
(iii) Random rubble masonry/polygnol rubble masonry	(iii) Providing laying cement concrete 1:5:10 (45.76 cub mx @3250/-) = 148720	
(iv) Boulder fixing behind retaining wall	(iv) Random rubble masonry/polydnol rubble	
(v) P/L cement concrete 1:2:4	masonry=(55.79 cub m @2850/-) =159001	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्तम्भ (क) में दर्शाए गए मद संख्या (i) तथा (ii) DNIT में थे ही नहीं तथा DNIT में वर्णित मदों में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी स्वीकृति के बिना निष्पादित किया गया यह अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 उपरोक्त अनिश्चितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹152295/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

89 संविदाकारों के बिलों से प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की कटौती न करना:-

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के समापन के पश्चात संविदाकारों को अन्तिम भुगतान बिना प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशियां काटे हुए ही कर दिया गया था जबकि नियमानुसार देय राशि का 10% भाग प्रतिभूति राशि के रूप में काटा जाना अपेक्षित था। अतः इन प्रकरणों में प्रतिभूति राशियां न काटे जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में

आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/माह	निर्माण कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	कृत भुगतान की कुल निर्माण लागत (₹)	प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की राशि जिसकी कटौती नहीं की गई (₹)
1	503 ऑफ 03/12	Improvement of chambaghat park/Sh. Vivek Obroi	17482	1748
2	—यथोपरि—	Repair & maintenance of MC path near ward No. 6/Sh. Vivek Obroi	18754	1875
3	—यथोपरि—	C/O drain near toilet (mathru radio) Sh Vivek Obroi)	22253	2225
4	504 ऑफ 03/12	Improvement of MC toilet ward No.4/phase-1S/h repair & fixing of tiles/Sh. Subhash Chand	20498	2050
5	—यथोपरि—	Improvement of MC toilet ward No.4 Salogra/ Sh. Subhash Chand	21681	2168
6	533 ऑफ 3/12	P/L pipe from the house of Sh. Karamchand to the house of Sh. Satish/ Sh. Geeta Ram	19091	1909
7	174 ऑफ 08/12	Repair 7 restoration of building & Shaheed park/Sh. Karanjeet	18936	1894
8	183 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of water supply Solan (welding in leaked pipes) Sh. Shahjahan	13297 (108088	10808
			निर्माण कार्य की कुल लागत जिस पर प्रतिभूति की कटौती	

नहीं की गई))

9	186—ए 08 / 12	ऑफ C/O Wall oner the existing slab in back side of harimandir, ward No. 7/Sh. Suresh Kumar	12823	1282
10	204 ऑफ 08 / 12	Repair & restoration of road to Baba Balaknath mandir in phase-II/Sh. Nain Singh1	17282	1728
11	200 ऑफ 08 / 12	Repair & restpration of rain damages/Sh. Prem Kumar	15040	1504
12	200 ऑफ 08 / 12	Removel of plips at various points of Solan town/Sh. Prem Kumar	17622	1762

90 संविदाकारों से निर्माण कार्यों की समाप्ति पर शेष बचे ₹576200 /— के 43 तारकोल के ड्रम्स तथा ₹36080 /— 82 सीमेन्ट बैगस की वसूली न करना:—

निम्न सारणियों (i व ii) में दर्शाए गए विवरणानुसार संविदाकारों से इन निर्माण कार्यों की समाप्ति पर उन्हें जारी किये गए तारकोल ड्रम्स तथा 82 सीमेन्ट बैगस की न तो वसूली की गई थी तथा न ही अन्य निर्माण कार्यों में इनकी खपत से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

सारणी (i)

वा0सं0 / दिनांक	निर्माण कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	राशि	इंडेंट सं0 व दिनांक जिसके द्वारा तारकोल के ड्रम्स जारी किये गए थे	जितने तारकोल के ड्रम्स जारी किये गए थे (क)	जितने तारकोल ड्रम्स माप पुस्तिका में वसूली की गई/माप पुस्तिका सं0 / पृ0सं0 (ख)	शेष बचे तारकोल ड्रम्स जिनकी वसूली नहीं दर्शाई गई (क—ख)	शेष बचे तारकोल ड्रम्स का मूल्य (₹)
549 ऑफ 03 / 12	R/R of various roads at Solan (renewl coat & patche work in forest road) Sh. C.P. Sharma	81715	MLT 113 of 09/11	18 ड्रम्स	10 ड्रम्स (271 व 267 / 58)	8 ड्रम्स	53600 (8x6700 प्रति ड्रम)
179 ऑफ	R/M of roads in	450755	KD/7/349	25	27 ड्रम्स	18 ड्रम्स	120600

08 / 12	ward No. 1 to 4 (renewl coat & patche work) Sh. Tarun Kumar		of 06/12 KD/7/358 of 06/12	20 कुल (25+20) =45 ड्रम्स	(276 / 17)		(18X6700 प्रति ड्रम)
178 ऑफ 08 / 12	R/M of road in ward No. 9 to 11 (renewl coat & patches) (1 st bill) Sh Gian Chand	396108	KD/7/340 of 05/12 KD/7/348 of 06/12 KD/7/344 of 05/12	20 10 10	27 ड्रम्स (276 / 25)	17 ड्रम्स (44-27)	113900 (17X6700 प्रति ड्रम)
Voucher No. (not mentioned) of 06/13 (page No. 52 &53 of day book (2013-14	-do- (2 nd & final bill) Sh Gian Chand	58901	KD/7/360 of 06/12 KD/8/382 date not mentioned	1 3 कुल (20+10+ 10+1+3) =44 ड्रम्स			
					कुल	43	288100

सारणी (ii)

वा0सं0/ दिनांक	निर्माण कार्य का नाम/संविदा कारा का नाम	राशि	इडेट सं0 व दिनांक जिसके द्वारा सीमेन्ट के बैगस जारी किये गए थे	जितने सीमेन्ट के बैगस जारी किये गए थे (क)	जितने सीमेन्ट के बैगस माप पुस्तिका में वसूली की गई/माप पुस्तिका सं0/पृ0 सं0 (ख)	शेष बची सीमेन्ट बैगस की सं0 जिनकी वसूली नहीं दर्शाई गई (क-ख)	शेष बचे सीमेन्ट के बैगस का मूल्य (₹)
188-ए ऑफ	(i) C/O cement	45760 (निर्माण कार्य पर आई	KD- 7/345 of	110 बैगस	70 बैगस (1 st bill)	82 बैगस (410-328)	82X220 प्रति

08/12	concrete road from Rajgarh road to Lakkar bazaar, Phase-II (1 st , 2 nd & final bill) Sh. Ram Pal	कुल निर्माण लागत=₹122162)	06/12 KD-7/347 of 06/12	300 बैगस कुल (110+300)=410 बैगस	(273/48) 83 बैगस (2 nd & final bill) (273/60)	बैग=18040
188 ऑफ 08/12	(ii) C/O cement concrete road from Rajgarh road to Lakkar bazaar, Phase-III/Sh. Ram Pal	121303	---	---	175 (273/76) (यह बैगस वा0स0 188-ए ऑफ 08/12 में वर्णित निर्माण कार्य के शेष बचे बैगस में से इस कार्य में उपयोग हेतु हस्तांतरित किये गए थे) कुल (73+83+175)=328 बैगस	

चर्चा के दौरान भी उपरोक्त अनियमितता बारे कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सका। नियमानुसार ऐसे प्रकरणों में ठेकेदार से जारी सामान की वसूली निर्गम दर (issue rate) से दुगुनी दर पर की जानी अपेक्षित है। इस प्रकरणों में निर्गम दर ₹6700/- प्रति तारकोल ड्रम तथा ₹220/- प्रति सीमेन्ट बैग है। अतः इन प्रकरणों में गहन छानबीन कर वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार 43 तारकोल ड्रम्स एवं 82 सीमेन्ट बैगस की क्रमशः ₹6700x2=₹13400 प्रति ड्रम तथा 220x2=₹440 प्रति बैग के हिसाब से वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके तथा नगर परिषद निधि में ₹612280 (576200 (43x13400)+36080(82x440)) जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

91 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बचने हेतु एक ही निर्माण कार्य को विभाजित कर कार्यान्वित करवाने बारे:-

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दुर्गा क्लब, सोलन के पीछे प्रतिधारक दीवार (retaining wall) का निर्माण कार्य किया गया था। चयनित माहों में इस निर्माण कार्य के कार्यन्वन से सम्बन्धित बिलों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण व संविदाकार का नाम	वा०का विवरण/ माह	कृत भुगतान (₹)	कार्य आंबटन पत्र सं० एवं दिनांक	जितनी राशि में कार्य आंबटित किया गया था	आकलन के अनुसार निर्माण कार्य की अनुमानित लागत (₹)
1	C/O retaining wall behind durga club, ward No. 9 Solan (RD-0/28.20 to 0/46)/Sh. Nain Singh	213 ऑफ 08 / 12	316039	MC works/2012/1767 of 4/7/12	386078	300000
2	-do- (RD- 0/28.20 to 0/46) Sh Nain Singh	215 ऑफ 08 / 12	168819	MC works/2012/1401 of 13/6/12	162068	99900
3	-do- (0/28.20 to 0/46) Sh. Nain singh	216 ऑफ 08 / 12	165058	MC works/2012/1400 of 13/06/12	153078	99500
4	-do- (0/28.20 to 0/46) Sh. Nain singh	217 ऑफ 08 / 12	157783	MC works/2012/1399 of 13/06/12	153078	99500
5	-do- (0/12.20 to 28.20) Sh. Vivek Dabhal	220 ऑफ 08 / 12	158567	MC works/2012/357 of 18/04/12	153078	99500
6	-do- (0/12.20 to 28.20) Sh. Vivek Dabhal	221 ऑफ 08 / 12	136503	MC works/2012/1479 of 14/6/12	153078	99500
7	-do- (0/0 to 12.20) Sh. Vikrant Sharma	222 ऑफ 08 / 12	145483	MC works/2012/1477 of 14/6/12	153078	99500

8	-do- (0/0 to 12.20) Sh. Vikrant Sharma	223 ऑफ 08 / 12	96243	MC works/2012/ 1478 of 14/6/12	162068	99900
9	-do- (0/28.20 to 0/46) (0/0 to 0/12.20) Sh. Vikrant Sharma	224 ऑफ 08 / 12	111627	MC works/2012/272 of 13/4/12	121493	99900
योग			<u>1456122</u>			<u>1097200</u>

उपरोक्त सारणी में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि इस निर्माण कार्य का एक ही शीर्ष तथा इस कार्य को रोड डिस्टेंस (road distance) के आधार पर विभाजित किया गया था। यहाँ तक एक ही रोड डिस्टेंस को विभाजित करके अलग-अलग आकलन बनाने तथा अलग-अलग टेंडर करवाने उपरान्त संविदाकारों द्वारा कार्यान्वित करवाया गया था जोकि सही प्रतीत नहीं होता है। इस निर्माण कार्य का एक ही शीर्ष होने के कारण पूरे कार्य का एक ही आंकलन तैयार किया जाना चाहिए था तथा इस निर्माण कार्य को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यान्वित करवाना चाहिए था। शहरी विकास विभाग (हिमाचल प्रदेश) की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)5/2007 दिनांक 20. 8.10 के अनुसार जिन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत क्रमशः ₹3 लाख तथा ₹10 लाख से अधिक हो तो उन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है। उसी प्रकार जिन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत क्रमशः ₹5 लाख तथा ₹10 लाख से अधिक हो उन कार्यों के कार्यान्वयन से पूर्व क्रमशः निदेशक (शहरी विकास हिमाचल प्रदेश) तथा संचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है परन्तु निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त स्वीकृतियों से बचने हेतु ही इस निर्माण कार्य का विभाजन किया गया था जो कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाता है:-

(i) उपरोक्त सारणी के स्तम्भ (क) के अनुसार निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत ₹1097200/- थी तथा कार्य का एक ही मुख्य शीर्ष होने के कारण कार्य के कार्यान्वयन से

पहले उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं ली गई।

(ii) सारणी की क्रम संख्या 1 से 4 तक दिये गये विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्माण कार्य से सम्बन्धित एक ही रोड डिस्टेंस (0/28.20 से 0/46) के अलग अलग टैंडर्स किये गए जोकि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बचने के लिए किये गये प्रतीत होते हैं क्योंकि यदि इस रोड डिस्टेंस एक ही टैंडर किया जाता तो कार्य की अनुमानित लागत ₹598900(300000+99900+99500+99500) होने के कारण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति लेनी अपेक्षित थी जोकि नहीं ली गई।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

92 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी स्वीकृति बिना निर्माण कार्य का निष्पादन:-

शहरी विकास विभाग, (हिमाचल प्रदेश) की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3) 5/2007 दिनांक 20.8.10 के अनुसार जिन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत क्रमशः ₹3 लाख तथा ₹10 लाख से अधिक हो उन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है। निम्नलिखित प्रकरणों में इन निर्माण कार्यों का आंबटन ₹3 लाख से अधिक का किया गया था जिसके लिए सहायक अभियन्ता की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं ली गई प्रतीत होती है क्योंकि अंकेक्षण के दौरान इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य आंबटन पत्र सं0	राशि जितने में कार्य आंबटित किया गया	निर्माण कार्य पर आई लागत
1	178 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of road from ward No. 9 to 11	685 ऑफ 05/05/12	455600	396108

		(renewl of coat & patches) Sh Gian Chand			
2	179 ऑफ 08 / 12	Repair & maintenance of road from ward No. 1 to 4 (renewl of coart & patches) Sh. Tarurn Kumar	686 ऑफ 05 / 05 / 12	455600	450755
3	213 ऑफ 08 / 12	C/O retaining wall behind Durga club ward No 9 Sh. Nain Singh	1767 ऑफ 04 / 7 / 12	386078	316039

93 तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन:-

अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)5/2007 दिनांक 20.8.10 की क्रम संख्या 4(2) (ए) (सी) में दिए गए निर्देशानुसार यदि बिजली तथा जल आपूर्ति/स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों का आकलन ₹50000/- से अधिक हो तो उस स्थिति में लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग/सिंचाई एवं जल कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परन्तु निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों से पूर्व स्वीकृति नहीं की गई थी जिसके अभाव में इन कार्यों पर आई निर्माण लागत को सही नहीं माना जा सकता है।

क्रमांक	वा0 का विवरण/माह 08/2012	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कार्य का आंकलन	कार्य हेतु कृत भुगतान (₹)
1	541-बी ऑफ 3 / 12	C/O proposed parking complex at children park (electric wiring ground 1 st & 2 nd floor) M/S Thakur traders	97897	77866
2	541-सी ऑफ 3 / 123	Installations of electric wriring in MC building (wiring & p/f switches in ambedkar hall) Thakur traders	82941	75543

3	182—ऑफ 08/12	Repair & restoration of solid waste management plant at Slogra. (internal electrical wiring) M/S Thakur traders	79103	76996
4	182—ए ऑफ 08/12	C/O hall at district library for children park (p/f electric wiring/fittings) M/S Thakur traders	75483	58393
5	183 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of water supply Solan (welding in leaked pipes) Sh Shahjahan	99853	13297 (108088 निर्माण कार्य पर आई कुल निर्माण लागत)
6	183—ए ऑफ 08/12	Providing sewerage line 7 connectivity from Lakkar Bazar to Rajgarh road Solan/Sh. Shahjahan	78459	129259
7	248 ऑफ 08/12	R/M of street light of Solan town/M/S Thakur traders, Solan	----	363419

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभागों से इन निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए। भविष्य में निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रकरणों में इन विभागों से पूर्व तकनीकी स्वीकृति ली जानी भी सुनिश्चित की जाए।

94 सीमेन्ट की पूर्ति नगर परिषद द्वारा विभागीय तौर पर न करना:-

निम्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास की पत्र संख्या यू0डी0—एच(एफ0) (10)—2@2005—9750—9800 दिनांक 6.9.2005 द्वारा परामर्श दिया गया था कि सीमेन्ट, स्टील आदि की आपूर्ति संविदाकार को सम्बन्धित पालिका द्वारा अपने स्तर पर की जाए ताकि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो लेकिन इन प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपेक्षित

कार्यवाही नहीं की गई शहरी निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रमांक	वा0 का विवरण	कार्य का विवरण व संविदाकार का नाम	कृत भुगतान की कुल निर्माण लागत
1	503 ऑफ 3/12	Improvement of chambaghat park/Sh. Vivek Obroi	17452
2	—यथोपरि—	C/O drain near toilet (Mathru radio) Sh. Vivek Oberoi	22253
3	504 ऑफ 3/12	Improvement of MC toilet ward No. 4/phase-1, (Repair & fixing of tiles/Sh. Subhash Chand	20498
4	504 ऑफ 3/12	Improvement of MC toilet ward No. 4 Salogra/ Sh. Subhash Chand	21681
5	543 ऑफ 3/12	C/O nalah near lohar mihlah, Ward No. 3 (C/O rcc wall & rcc slab) Sh. Ramesh Sharma	106452
6	544—ए ऑफ 3/12	Improvement of shilly road (drain & toe wall. Phase-1)Vikrant Sharma	109106
7	544—बी ऑफ 3/12	Improvement of shilly road , job No. 13/ Vikrant Sharma	118452
8	546 ऑफ 3/12	Repair & restoration of path & drain in ward No. 10/Sh. Vishal Kaushal	125878
9	548—ए ऑफ 3/12	C/O drain in ward No. 10 from rajgarh road to Sh. Chhajta house/Sh. Shanker Dass	19852
10	548—बी ऑफ 3/12	Repair of MC path in various wards Solan (repair of checked tiles path)/ Sh. Shanker Dass	123471
11	550—ए ऑफ 3/12	C/O path at vikas muhalla in ward No. 1, Solan/Sh. Nain Singh	130785
12	550—बी ऑफ 3/12	C/O path & stair at uday vihar ward No. 1, Solan/Sh. Nain Singh	59392

(निर्माण कार्य की कुल लागत) 16695 (बिल की राशि))

13	550—सी ऑफ 3 / 12	Improvement of Solid waste management plan at Salogra, (cabin for polythene collection material)/Sh. Nain Singh	123696
14	550—डी ऑफ 3 / 12	Improvement of Solid waste management plan at Salogra] (gate court yard concrete eork) /Sh. Nain Singh	116072
15	550—ई ऑफ 3 / 12	Improvement of path from Negi house to Thakur house in ward No. 11/(p/f checked tiles flooring in phase-1)	20000
16	551 ऑफ 3 / 12	Repair & restoration pf path at patrar village in ward No. 11, Solan, (P/L C.C. 1:2:4)	17754
17	552 ऑफ 3 / 12	C/O path from Pundir house to nanak villa ward No. 10, Solan (C/O retaining wall)/Sh. Sanjay Shandil	17041
18	173 ऑफ 8 / 12	Repair & maintenance of R/wall neard Josph house/Sh. Surender Kumar	60091
19	174 ऑफ 8 / 12	Repair & restoration of building & Shaheed park/Sh. Karanjeet	18936
20	176 ऑफ 8 / 12	C/O path & providing tiles near Kaushik house Sunny side/Sh. Geeta Ram	130299
21	177 ऑफ 8 / 12	Repair/Restoration pf path patrar village, ward No. 11, phase-II/Sh. Ramesh Kumar	28180
22	181—सी ऑफ 08 / 12	Repair & restoration of ciclular road (R/wall below Ram Darbar)/ Sh. CP Dharma	56226
23	184 ऑफ 8 / 12	Repair & maintenance of path/road/drain at various location of ward No. 13 (Stone/concrete/brick work)/Sh. Rattan Singh	112422
24	184—ए ऑफ 8 / 12	Repair & maintenance of path/road/drain at various location of ward No. 2/Sh. Anjum Ali	93422
25	185 ऑफ 8 / 12	Repair & maintenance of road near Sehgal house ward No. 3/Sh. Anjum Ali	136896
26	185—बी ऑफ 8 / 12	C/O retaining wall near jain house ward No 6 phase-II/Sh. Anjum Ali	79449

27	186 ऑफ 8/12	C/O path near Surya vihar ward No. 11, phase- III/Sh. Suresh Kumar	108181
28	186-ए ऑफ 8/12	C/O wall over the exsiting slab in back side of harimandir, ward No. 7/Sh. Suresh Kumar	12823
29	204 ऑफ 8/12	Repair & restoration of road to Baba Balaknathmandir in phase-1/Sh. Nain Singh	17282
30	205 ऑफ 8/12	Repair & restoration of path/drain along with the road of housing board colony, phase-iv, ward No. 13/Sh. Gian Chand Verma	112211
31	206 ऑफ 8/12	Repair & maintenance of path/road/at various locations of ward No. 7 (stone/brick/concrete etc.)/Sh. Bhupender Jaswal	58825
32	214 ऑफ 8/12	R/m of Dhobhighat road ward No. 7/Sh. Nain Singh	85290
33	213 ऑफ 8/12	C/o retaining wall near Durga club, RD/28.20 to 0/46/Sh. Nain Singh	316039
34	215 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durga club, RD/28.20 to 0/46/Sh. Nain Singh	168819
35	216 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durgacub, RD/28.20 to 0/46/Sh. Nain singh	165058
36	217 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durgacub, RD/28.20 to 0/46/Sh. Nain singh	157783
37	218 ऑफ 8/12	R/m of Dhobhighat road ward No. 7 (Providing railing & C.c. work)/Sh. Nain Singh	107597
38	219 ऑफ 8/12	C/O Rain Shelter & existing R/wall park, thodoground. Solan/Sh. Nain Singh	131864
39	220 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durgacub, RD/12.20 to 28.20/Sh. Vivek	158567
40	221 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durga club, RD 0/12.20 to 28.20/Sh. Vivek	136503
41	222 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durga club, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant	145483
42	223 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durga club Solan, ward	96243

		No. 9, RD 0/0 to 12.20/Sh. Vikrant	
43	224 ऑफ 8/12	C/O retaining wall near Durga club, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant	111627
44	225 ऑफ 8/12	R/M of Shilly road phse-IV, Ward No. 8, Solan /Sh. Vikrant	39947
45	229 ऑफ 8/12	C/O toilet near badminton hall, thodo ground ward No. 7/Sh. Nain Singh	138765
46	239 ऑफ 8/12	Improvement of Banwra road (C/O drains & toe wall, phase-1/Sh. Vikrant Sharma	78273
47	241 ऑफ 8/12	Improvement of path (chubarighati), ward No. 10/Sh. Vishal Kaushal	98151
48	242 ऑफ 8/12	Covering of nallah near ITI, Haribhavan, Ward No. 2 Solan/Sh. Ramesh Chand	281170
49	243 ऑफ 8/12	C/O drain in housing board colony phase-1, ward No. 13/Sh. Ramesh Chand	124148
50	244 ऑफ 8/12	C/O drain near water tank, MC Solan, ward No. 10/Sh. Bishan Dass	67900
51	245 ऑफ 8/12	Repair & restoration of road baba balak Nath mandir, Phase-II/Sh. Nain Singh Thakur	17282
52	251 ऑफ 8/12	Maintenance of path/road/drain at various lacations of ward No. 10 (stone/brick)concrete work)2 Sh. Shanker Dass	123013

95 निर्माण कार्यों की समाप्ति हेतु समय अवधि तय न किया जाना:—

नगर परिषद द्वारा संविदाकारों को जारी किये गए कई कार्यों आंबटन पत्रों में निर्माण कार्यों के समापन हेतु नियमानुसार कोई समय अवधि तय नहीं की गई थी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों में निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये।

क्रमांक	वा0 का विवरण/माह 08/2012	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कार्य आंबटन पत्र सं0/दिनांक
1	170	Development of thodoground (leveling work) Sh. Bhupinder Jaswal	MC works/2012/6791 of 31/3/12
2	180—बी	C/O thodo ground rehn basera hall 2 nd floor (p/f brick work)/Sh. Prem Kumar	MC works/2012/475 of 23/4/12
3	183—ए	Providing sewage line & connectivity from Lakkar Bazar to Rajgarh road Solan/Sh. Shahjahan	MC works/2012/1326 of 29/5/12
4	186	C/O path near suryavihar ward No. 11, phase-III/Sh. Suresh Kumar	MC works/2012/1168 of 5/6/12
5	188	C/O C.C. road from Rajgarh road to Lakkar bazaar, phase-III/Sh. Ram Paul	MC works/2012/551 of 27/04/12
6	188—ए	C/O C.c. road from Rajgarh road to Lakkar bazaar, phase-II/Sh. Ram Pal	MC works/2012/552 of 27/4/12
7	204	Repair & restoration of road to Baba Balaknath mandir in phase-I/Sh. Nain Singh	MC works/2012/work order No. 024(01) of 16/4/12
8	205	Repair & restoration of path/drain along with the road of housing board colony, phase-IV, ward No. 13/Sh. Gian Chand Verma	MC works/2012/1562 of 16/6/12
9	217	C/O retaining wall near Durgacub, Rd/28.20 to 0/46/Sh. Nain Singh	MC works/2012/1399 of 13/6/12
10	218	R/M of Dhobhighat road ward No. 7 (Providing railing & C.C. work)/Sh. Nain Singh	MC works/2012/463 of 21/4/12

11	219	C/O Rain Shelter & existing R/wall in park, thodo ground Solan/Sh. Nain Singh	MC works/2012/1122 of 31/15/12
12	220	C/O retaining wall near Durgaclub, RD/12.20 to 28.20/Sh. Vivek Dobhal	MC works/2012/357 of 18/4/12
13	221	C/O retaining wall near Durgaclub, RD/28.20 to 0/46/Sh vivek Dobhal	MC works/2012/1479 of 14/6/12
14	222	C/O retaining wall near Durga Club, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant Sharma	MC works/2012/1477 of 14/6/12
15	224	C/O retaining wall near Durgaclub, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant Sharm	MC works/2012/272 of 13/4/12

96 संविदाकार को आवश्यकता से अत्याधिक सीमेन्ट जारी करने बारे:-

वारुचर संख्या 188-ए दिनांक 08/12 ₹45760/- की पड़ताल पर पाया गया कि निर्माण कार्य "C/O cement concrete road from Rajgarh to Lakkar bazat, Phase-II" संविदाकार श्री राम पाल को कार्य आंबटन पत्र संख्या MC works/2012/552 दिनांक 27.4.12 द्वारा आंबटित किया गया था। वारुचर संख्या 188-ए दिनांक 08/12 के साथ संलग्न कार्य के कार्यन्वन से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार को इंडेंट संख्या KD-7/345 (110 बैगस) दिनांक 06/12 तथा KD-7/347 (300 बैगस) दिनांक 06/12 द्वारा कुल 410 (110+300) सीमेन्ट के बैग जारी किए गए थे परन्तु कार्य की समाप्ति तक केवल 153 सीमेन्ट बैग की खपत हुई थी। निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता से कहीं अधिक 257 (410-153) सीमेन्ट बैग जारी करने हेतु कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री जारी की जानी सुनिश्चित की जाए।

97 (क) निर्माण कार्य का अनियमित आंबटन करना:-

वारुचर संख्या 205 दिनांक 08/12 की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "Repair/restoration of path/drain alongwith road of housing board colony,

phase-IV, ward No.13" कार्य आंबटन संख्या 1562 दिनांक 16.6.12 द्वारा ₹128941 में श्री ज्ञान चन्द वर्मा को आंबटित किया गया था। निर्माण कार्य आंबटन करने से सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु अपने टेंडर में संविदाकार द्वारा मद संख्या 2 (disposal of earth by mechanical transport) के कार्यान्वयन हेतु कोई रेट quote नहीं किया गया था परन्तु मोल तोल पत्र पर इस मद के लिए रेट ₹500/— तथा मोल तोल उपरान्त ₹305/— लिखा गया पाया गया। संविदाकार के टेंडर में ही इस मद के लिए रेट quote न होने के बावजूद तोल मोल पत्र में यह रेट quoted पाया जाना तथा इसी आधार पर नगर परिषद द्वारा संविदाकार को कार्य आंबटित किया जाना नगर परिषद की निर्माण कार्य आंबटन करने की त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद प्रक्रिया अपनाए जाना दर्शाता है जबकि इस स्थिति में टेंडर में सभी मदों के रेट न होने के कारण नियमानुसार या तो टेंडर रद्द किया जाना चाहिए था या निर्माण कार्य के लिए पुनः टेंडर आमन्त्रित किये जाने चाहिए थे जोकि नहीं किया गया। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

(ख) वाऊचर संख्या 178 दिनांक 08/12 की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "Repair/maintenance of road in ward No. 9 to 11" कार्य आंबटन संख्या 685 दिनांक 5.5.12 द्वारा श्री ज्ञान चंद वर्मा को ₹455600/— में आंबटित किया गया था। इस कार्य पर प्रथम रनिंग बिल के अनुसार ₹396108/— व्यय हुए थे तथा इस कार्य से सम्बन्धित जो दूसरा व अन्तिम बिल/वाऊचर संख्या अंकित नहीं की गई, दिनांक 06/13 (day book की पृष्ठ संख्या 52 व 53 पर प्रविष्ट) पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार ₹58901/— व्यय हुए थे परन्तु दूसरे व अन्तिम बिल में यह कार्य वार्ड संख्या 13 में कार्यान्वित किया गया दर्शाया गया था जबकि टेंडर तथा आंबटन पत्र के अनुसार यह कार्य वार्ड संख्या 9 से 11 में करवाया जाना था। चर्चा के दौरान भी कार्य वार्ड संख्या 9 से 11 में न करवाकर वार्ड संख्या 13 में करवाए जाने बारे कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

98 नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाना:-

निर्माण कार्यों के आंबटन से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की जा रही है जैसे कि निर्माण कार्यों के विभागीय औचित्य तैयार न करना, टैन्डर खोलते समय लिफाफों पर टैन्डर खोलने की तिथि बारे सत्यापन न किए जाना, कार्य आंबटन पत्र पर कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूरा न करना, निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कोन्ट्रेक्टर लेजर का नियमानुसार सही अनुरक्षण न किए जाना, माप पुस्तिकाओं में कटिंग/ओवर रेटिंग्स का सत्यापन न किया जाना, कई माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाना, निर्माण कार्य में उपयोग हुई सामग्री की खपत विवरणी तैयार न करना, आकलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही निर्माण कार्य करवाना, प्रत्यर्पणीय प्रतिभूतियों के प्रतिदाय के समय नियमानुसार सत्यापन न किये जाने बारे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाए। मामला परिषद के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्रमांक	वा0 का विवरण	कार्य का विवरण व संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य की लागत	टिप्पणी
1	542 ऑफ 3/12	C/O path & laying of pvc pipe near court to railway line/Sh. Geeta Ram	115138	टैन्डर के लिफाफे जिन में टैन्डर जमा किया गया था वे वाऊचर के साथ संलग्न नहीं पाए गए।
2	544-ए ऑफ 3/12	Improvement of shilly road (drain & toe wall, phase-1)/Vikrant Sharma	20250	-यथोपरि-

3	503 ऑफ 3/12	Improvement of chambaghat park/Sh. Vivek Obroi	17482	माप पुस्तिका (271/45) में निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे
4	541-बी ऑफ 3/12	C/O proposed parking complex at children park (electric wiring ground 1 st & 2 nd floor)/M/s Thakur traders	77866	—यथोपरि— (267/60)
5	547 ऑफ 3/12	Repair maintenance of water supplies in Solan, phase-I/Sh. Shahjhan	19224	—यथोपरि— (271/62)
6	186 ऑफ 08/12	C/O path near Surya vihar ward No. 11, phase-III/Sh. Suresh Kumar	108181	—यथोपरि— (276/27)
7	230 ऑफ 08/12	R/M of water Suply Scheme of Solan town (excavation in earth work)/Sh. Vishal Kaushal	28705	—यथोपरि— (270/85)
8	231 ऑफ 08/12	Removal of slips in housing board colony, phase-I/Sh. Vishal Kaushal	20000	—यथोपरि— (270/85)
9	239 ऑफ 08/12	Improvement of Banwra road (C/O drains & toe wall, phase-I) Sh. Vikrant Sharma	78273	—यथोपरि— (273/84)
10	550-सी ऑफ 3/12	Improvement of Solid waste management plan at Salogra, (cabin for polythene collection material)/Sh. Nain Singh	123696	माप पुस्तिका 271 की पृष्ठ संख्या 46 पर ओवर राईटिंग का सत्यापन नहीं किया गया था।
11	180-ए ऑफ	Painting & white washing of	97679	माप पुस्तिका 277

	08/12	MC properties, Phase-II)Sh. Prem Kumar		की पृष्ठ संख्या 18 पर ओवर राईटिंग का सत्यापन नहीं किया था।
12	547 ऑफ 3/12	Repair & maintenance of water supplies in Solan, phase-I/Sh. Shahjhan	19224	निर्माण कार्य का आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थी।
13	550—सी ऑफ 3/12	Improvement of solid waste management plan at Salogra, (cabin for poluthene collection material)/Sh. Nain Singh	123696	—यथोपरि—
14	182 ऑफ 08/12	Repair & restoration of solid waste management plant at Slogra, (ingternal electrical wiring) M/S Thakur traders	79696	—यथोपरि—
15	185 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of road near Sehgal house ward No. 3/Sh. Anjum Ali	136896	—यथोपरि—
16	186 ऑफ 08/12	C/O path near Surya vihar ward No. 11, phase-III/Sh. Suresh Kumar	108181	—यथोपरि—
17	186—ए ऑफ 08/12	C/O wall over the existing slab in back side of harimandir, ward No. 7/Sh. Suresh Kumar,	12823	—यथोपरि—
18	224 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durgaclub, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant	111627	—यथोपरि—
19	220 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durga club, RD/12.20 to 28.20/Sh. Vivek	158567	निर्माण कार्य में प्रयुक्त हुई सामग्री की खपत विवरणी तैयार नहीं की गई

					थी
20	221 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durga Club, RD 0/12.20 to 28.20/Sh. Vivek	136503	—यथोपरि—	
21	222 ऑफ 08/12	C/O retaining wall near Durgacub, RD 0/0 to 0/12.20/Sh. Vikrant	145483	—यथोपरि—	
22	546—ए 03/12	ऑफ AR & MO of tank road of Solan town/Sh. Vishal Kausal	20000	तुलनात्मक विवरणी सक्षम अधिकारी द्वारा अनमोदित नहीं था।	

99 निर्माण कार्यों के भुगतान में से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करना:—

निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे की रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति संविदाकार अपने स्तर पर ही कर रहे थे परन्तु इन सामग्री की पूर्ति/क्रय के पक्ष में न तो संविदाकारा द्वारा एम0 फार्म प्रस्तुत किया जा रहा था और न ही नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर पर रॉयल्टी की कटौती की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिशा निर्देशों पत्र संख्या खण्ड-II (एफ) 6-5/2006 के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में रॉयल्टी कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

100 टैण्डर नोटिसों का समाचार पत्रों में प्रकाशन न करना:—

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा निर्माण कार्य के नियमों के अनुसार ₹100000/- से अधिक की अनुमानित राशि के टैण्डर नोटिस का क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं हिमाचल प्रदेश गिरिराज में प्रकाशन अनिवार्य है किन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में टैण्डर नोटिस के प्रकाशन से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज कई बार अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए जिनके अभाव में इन टैण्डर नोटिसों का सम्बन्धित समाचार पत्रों/गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशन संशयपूर्ण

है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निर्माण कार्य कानाम/संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	निर्माण कार्य पर आई लागत
1	170 ऑफ 08/12	Developmetn of thodo ground (leveling work)/Sh. Bhupinder Jaswal	249911	268182
2	173 ऑफ 8/12	Repair & maintenance of R/Wall near Josph house/Sh. Surender Kumar	186209 राशि जिस पर कार्य आंबटित किया गया	60091 (प्रथम रनिंग बिल)
3	178 ऑफ 08/12	Repair & maintenavne of road from ward No. 9 to 11 (renewl) of coat & patches)/Sh. Gian Chand	300000	396108
4	179 ऑफ 08/12	Repair & maintenance of road from ward No. 1 to 4 (renewl) of coat & patches)/Sh. Tauru Kumar	300000	450755
5	184 ऑफ 08/12	Repair & maintenavr of path /road/drian at various locations of ward No. 13 (stone/concrete/brick wrik)/Sh. Rattan Singh	—	112422 (प्रथम रनिंग बिल)
6	184—ए ऑफ 08/12	Repair & maintenance of path/road/drain at various location of ward No. 2/Sh. Anjum Ali	—	93422 (प्रथम रनिंग बाल)
7	213 ऑफ 08/12	C/O retaining wall behind Durga club ward No. 9/Sh. Nain Singh	300000	316039
8	242 ऑफ 08/12	Covering of nallah near IRTI, Haribhavan ward No. 2 Solan/Sh. Ramesh Chand	200000	281170

स्टोर/स्टॉक:-

सीमेन्ट एवं स्टील स्टॉक:-

सीमेन्ट एवं स्टील के स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई:-

101 इन्डेन्ट (indents) के द्वारा जारी की गई सीमेन्ट व स्टील की मात्राओं को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट न करना:-

इन्डेन्ट के द्वारा जारी की गई सीमेन्ट व स्टील की मात्राओं (quantities) का स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज प्रविष्टियों के साथ मिलान के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित इन्डेन्ट्स द्वारा जारी की गई मात्राएँ स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी नहीं की गई थी। अपेक्षित प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में अब की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक	इंडेंट सं०/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	सीमेन्ट (मात्रा) बैग्स)	स्टील (मात्रा)
1	VK-167/ date not mentioned	C/O building at thodo ground, rehan basera/Sh. Rajesh Kumar	-----	10mm=150kg
2	VK-196/ date not mentioned	C/O pedestrian path in Saproon near CJM residence/Sh. Anoop Dutta	20	---
3	VK-197/ date not mentioned	C/O pedestrian path near saproon chowk. Sh. Anoop Dutta	3	10mm=186kg
4	VK-207/ date not mentioned	P/F R.C.C. cover over stair, Thodo ground/Sh. Rajesh Kumar.	-----	8mm=202kg
5	KD/6-315 of 06/12	C/O hall at MC Solan/Sh. Nain Singh	-----	10mm=13.76 kg
6	KD/8-372 of 11/12	C/O two No. bath rooms on first floor near Mathura radio Sh. Anoop Dutta	-----	16mm=121.31 kg
7	KD/7-341 of 05/12	C/O palika bazaar near MC complex Solan./Sh. Vinod Sahni	-----	12mm=10quintal
8	VK-186/date not mentioned	-----	-----	8mm=41.40kg

102 इन्डेन्टस की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

इन्डेन्टस के द्वारा जारी की गई सीमेन्ट व स्टील की मात्राओं का स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज प्रविष्टियों के मिलान के दौरान निम्नलिखित इन्डेन्टस की मूल प्रतियाँ बार-2 मौखिक तथा लिखित रूप में आग्रह करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण यह मिलान इन्डेन्टस की अनुलिपियों (duplicates) के आधार पर किया गया। अतः इन्डेन्टस की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकक्षण में इनका प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इन्डेन्टस की मूल प्रतियों का उचित अनुरक्षण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	इंडेंट सं०/दिनांक	सीमेन्ट (बैग्स)	(मात्रा) स्टील (मात्रा)
1	VKP-168 of 11/11	65	-----
2	VKP-170/ date not mentioned	100	-----
3	VKP-184/-do-	40	-----
4	VKP-185/-do-	16	-----
5	VKP-187/-do-	80	-----
6	VKP-188/-do-	100	10mm=371.22 8mm=258.37
7	VKP-192/-do-	5	-----
8	VKP-189/-do-	10	-----
9	VKP-195/-do-	10	-----
10	VKP-191/-do-	70	10mm=10.75 8mm=88.52
11	VKP-193/-do-	75	-----
12	VKP-198/-do-	85	-----
13	VKP-199/-do-	45	-----
14	VKP-200/-do-	32	-----
15	VKP-201of 10/12	25	-----

16	VKP-202/-do-	46	12mm=222kg 8mm=28kg
17	VKP-206/-do-	60	-----
18	VKP-172/-do-	38	-----
19	KD/8/370-do-	50	-----
20	KD/8/373-do-	10	-----
21	KD/8/374-do-	100	-----
22	KD/7/322 of 10/11	11	-----

103 स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के अनुरक्षण में अनियमितताओं बारे:-

सीमेन्ट/स्टील से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि इन अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) स्टील स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 7 पर 8एमएम स्टील का वास्तविक शेष गणना में त्रुटि के कारण 60 किलोग्राम कम 5695 किलोग्राम दर्शाया गया था जबकि वास्तविक शेष 5755 किलोग्राम था।

(ii) इन्डेन्ट्स (indents) द्वारा सीमेन्ट स्टील जारी करते समय अधिकतम इन्डेन्ट्स पर तिथियाँ अंकित नहीं की जा रही है यही त्रुटि स्टॉक रजिस्ट्रों में भी पाई गई। इन रजिस्ट्रों में भी तिथियाँ अंकित नहीं की जा रही जिसके अभाव में सामान कब जारी किया गया, किस अवधि से सम्बन्धित है तथा किसी विशेष तिथि में सीमेन्ट/स्टील की कितनी मात्रा शेष थी इस बारे जान पाना कठिन है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	इंडेंट सं०/दिनांक	सीमेन्ट (बैगस)	(मात्रा) स्टील (मात्रा)
1	VKP—170/ date not mentioned on the indent	100	-----
2	VKP-184/-do-	40	-----

3	VKP-185/-do-	16	-----
4	VKP-187/-do-	80	-----
5	VKP-188/-do-	100	10mm=371.22 8mm=258.37
6	VKP-192/-do-	5	-----
7	VKP-189/-do-	10	-----
8	VKP-195/-do-	10	-----
9	VKP-191/-do-	70	10mm=10.75 8mm=88.52
10	VKP-193/-do-	75	-----
11	VKP-198/-do-	85	-----
12	VKP-199/-do-	45	-----
13	VKP-200/-do-	32	-----
14	VKP-201/-do-	25	-----
15	VKP-202/-do-	46	12mm=222kg 8mm=29kg
16	VKP-205/-do-	25	-----
17	VKP-206/-do-	60	-----
18	VKP-172/-do-	38	-----
19	KD/8/370/-do-	50	-----

(iii) कई इन्डेन्ट्स पर की गई कटिंग्स को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण इन इन्डेन्ट्स द्वारा जारी की गई मात्राएँ संदेहपूर्ण है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	इंडेंट सं०/दिनांक	सीमेन्ट	स्टील	टिप्पणी
1	KD/7-333 of 04/12	20 बैगस	-----	इंडेंट रदद किया गया था परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा रदद नहीं किया गया था
2	KD/7/341 of 05/12	-----	12mm=10 quintal	इंडेंट पर कटिंग सक्षम

				अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी
3	KD/7/357 of 06/12	67 बैगस	-----	इंडेंट पर कटिंग सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी।
4	VKP-156 of date not mentioned	----	10mm=499kg 16mm 384kg	इंडेंट की अनुलुपी पर जारी की गई मात्रा पर कटिंग की गई थी जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी

(iv) अधिकतम इन्डेन्टस पर जिस रेट पर सामान जारी किया जाता है वह रेट दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रमांक	इंडेंट सं०/दिनांक	सीमेन्ट (मात्रा) बैगस)	स्टील (मात्रा)
1	KD/7/325	----	20mm=505kg
2	KD/7/326	----	8mm=690 kg
3	KD/7/327	50	12mm=286kg 20mm=207kg
4	KD/7/328	50	-----
5	KD/7/329	35	8mm=269.5kg 20mm=567kg 12mm=674 kg
6	KD/7/330	160	16mm=10 quintal

(v) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार स्टॉक में उपलब्ध स्टील से अधिक स्टील जारी किया गया पाया गया:-

स्टील का आकार	आरम्भिक शेष (1.4. 11) (परिशिष्ट देखें) (क)	अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किये गए स्टील की मात्रा (परिशिष्ट (20) देखें) (ख)	स्टील की कुल मात्रा ग=(क+ख)	अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी किये गए स्टील की मात्रा (परिशिष्ट (20) देखें) (घ)	इंडेन्टस द्वारा जारी की गई स्टील की मात्राएं जो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की गई थी (ङ)	उपलब्ध मात्रा से जारी किया गया अधिक स्टील (ग-घ+ङ)
10mm	1902kg	4500kg	6402kg	6333.57 kg	349.76 kg (150+186+13.76) (i) VK/167/date not mentioned= 150kg (ii) VK-197/ date not mentioned=186 kg (iii) KD/6-315 of 06/12=13.76Kg	-281.33 kg
16mm	1058kg	4500kg	5558 kg	5558 kg	KD/8-372 of 11/12=121.31 kg	-121.31 kg

(vi) कई इंडेन्टस पर तथा सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 9 से 14 तक) तथा स्टील स्टॉक रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 7 से 9 तक) के सम्बन्धित स्तम्भों (columns) में सीमेन्ट/स्टील की जारी की गई मात्राओं के समक्ष इन मात्राओं के प्राप्तकर्ता संविदाकार एवं जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए जोकि नियमानुसार उचित नहीं हैं।

(vii) अंकेक्षण अध्याचना संख्या 71 दिनांक 04.9.2013 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान indent books की स्टॉक की स्थिति (आरम्भिक शेष, क्रय, खपत तथा अन्तिम शेष) बारे जानकारी मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त अनियमितताओं के चलते स्टोर/स्टॉक में गड़बड़ियों की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपने स्तर पर 04/11 से 03/13 तक सीमेन्ट तथा स्टील के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके वस्तु स्थिति तथा नियमानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

104 सीमेन्ट बैगस एवं स्टील की खरीद तथा खपत से सम्बन्धित वाऊचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:—

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से कई बार सीमेन्ट एवं स्टील की खपत तथा क्रय से सम्बन्धित वाऊचरस/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था ताकि सीमेन्ट एवं स्टील के क्रय तथा विभिन्न कार्यों में इनकी खपत की पड़ताल की जा सके परन्तु अंकेक्षण कार्य की समाप्ति तक सीमेन्ट/स्टील की खपत से सम्बन्धित अभिलेख (चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों में खपत को छोड़ कर) तथा सीमेन्ट के क्रय से सम्बन्धित निम्नलिखित वाऊचरस प्रस्तुत नहीं किए जिस कारण सीमेन्ट/स्टील की खपत तथा क्रय की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः कारण स्पष्ट करने के साथ-2 सीमेन्ट/स्टील की खपत से सम्बन्धित अभिलेख तथा सीमेन्ट की कय से सम्बन्धित निम्नलिखित वाऊचर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना तथा भविष्य में सीमेन्ट/स्टील के क्रय व खपत से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिल सं०	दिनांक	स्टॉक रजिस्टर पृ०सं०	जितने सीमेन्ट बैगस का जारी किया गया
8103014849	28.5.11	9	200
810304937	28.5.11	9	200
8103053126	17.10.11	10	200
8103053663	20.10.11	10	200
8103054148	20.10.11	10	200
810305449	---	10	200
8103054880	20.10.11	10	200
8103055102	22.10.11	10	200
8103055602	23.10.11	10	200
810305535	23.10.11	10	200
8104002138,	7.4.12	11	800
8104002123,			

8104002245 व

8104002127

8104002884

9.4.12

11

200

105 तारकोल स्टॉक बारे:-**(i) खाली तारकोल ड्रम्स के संविदाकार से ₹12800/- की कम वसूली:-**

तारकोल स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार संविदाकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु 488 तारकोल के ड्रम्स जारी किये गए थे:-

वित्त वर्ष	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार जितने ड्रम्स जारी किये गए (क)	जारी किये गए तारकोल के ड्रम्स जो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किये गए थे (इंडेंट सं०/दिनांक=ड्रम्स) (ख)	कुल ड्रम्स (क+ख)
2011-12	162	100 (i) KD-6/313 of 05/11=50 (ii) KD-6/314 of (date not mentioned)=50 dgy M ^a El=100(50+50)	262
2012-13	226	-----	226
		कुल ड्रम्स जो जारी किये गए	488

उपरोक्त सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार संविदाकारों से नगर परिषद को जारी किये गए 488 खाली ड्रम्स के ₹100/- प्रति ड्रम की दर से ₹48800 (488X100) प्राप्त होने चाहिए थे परन्तु परिशिष्ट "थ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार नगर परिषद को संविदाकारों से 1.4.11 से 31.3.13 के दौरान केवल ₹36000/- (20600+5400) प्राप्त हुए फलस्वरूप नगर परिषद को ₹12800 (48800-36000) कम प्राप्त हुए थे। अतः इस बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹12800/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

(ii) उपलब्ध तारकोल ड्रम्स से अधिक ड्रम्स जारी किये जाने बारे:-

तारकोल स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल के दौरान निम्नविवरणानुसार उपलब्ध ड्रम्स से अधिक ड्रम्स जारी किये गए पाए गए:-

आरम्भिक शेष (1.4.11) (क)	अंकेक्षण अवधि क दौरान क्रय किये गए ड्रम्स की सं०, (परिशिष्ट देखें) (ख)	कुल ड्रम्स ग=(क+ख)	अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी किये गए ड्रम्स की सं० (घ)	उपलब्ध मात्रा से जितने अधिक जारी किये गए ड्रम्स (ग-घ)
शून्य	399	399	488 (388 (ड्रम्स जो स्टॉक रजिस्टर के अनुसार जारी किये गए थे)+100 (ड्रम्स जो इंडेंट संख्या KD-9/313 of 05/11 तथा KD 6-314 of (date not mentioned) द्वारा जारी किये गए थे जिनकी तारकोल स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी)	(-) 89

अतः स्टॉक में उपलब्ध तारकोल ड्रम्स से 89 ड्रम्स अधिक जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर अवधि 04/11 से 03/13 तक तारकोल ड्रम्स के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) तारकोल के खाली ड्रम्स से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

स्टोर/स्टॉक की पड़ताल के दौरान तारकोल के खाली ड्रम्स से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेख के अभाव के कारण 31.3.13 को खाली तारकोल ड्रम्स की वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इन अभिलेखों का अनुरक्षण ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट

करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर नियमानुसार अनुरक्षित अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

106 बिजली के सामान के स्टोर/स्टॉक बारे:-

(i) बिजली की वस्तुओं के शेष स्टॉक रजिस्टर में गलत दर्शाना:-

चयनित मासों में सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर-1 से बिजली के विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों में इंडेटस द्वारा बिजली के सामान की जारी (issue) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार बिजली की वस्तुओं के जारी करने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित बिजली के स्टॉक रजिस्ट्रों में नहीं की गई थी तथा उनके शेष भी गलत दर्शाए गये थे:-

स्टॉक रजिस्टर का शीर्ष	वस्तु का नाम	वास्तविक शेष जो होना चाहिए था	शेष जो दर्शाया गया था	जितना शेष कम दर्शाया गया था	टिप्पणी
बिजली स्टॉक रजिस्टर सं०-5	चॉक 40 वाट	16 (दिनांक 31.3.13 को)	5	11	(i) रजिस्टर में दिनांक 16.3.12 को शेष 18 के स्थान पर 2 चॉक कम 16 लिया गया था (ii) इंडेट संख्या 4 दिनांक 21.3.12 द्वारा सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर से जारी किये गए 9 चॉकस की प्रविष्टी रजिस्टर में नहीं ली गई थी। फलस्वरूप दिनांक 31.3.13 को रजिस्टर में कुल 11(2+9) चॉकस कम दर्शाई गई थी
सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर-1	ट्यूब चॉक 40 वाट	5 (दिनांक 13.8.12 को)	शून्य	5	रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 178 पर इंडेट संख्या SKT-28 दिनांक 13.8.12 द्वारा जारी किये गए 15 चॉकस के

स्टॉक इग्नाइटर ----- ----
 बिजली
 स्टॉक
 रजिस्टर
 संख्या-6
 बिजली के कलेम्प ----- ----
 सामान से 4"x1")
 सम्बन्धित
 दैनिक
 खपत
 रजिस्टर-38

स्थान पर 5 अधिक 20 चॉकस का जारी किया जाना दर्शाया गया था सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर-1 से इंडेंट संख्या SKT-27 दिनांक 9.8.12 द्वारा जारी किये गए 5 इग्नाइटरस की प्रविष्टि इस रजिस्टर में नहीं ली गई थी रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 39 के अनुसार 1 जोड़े कलेम्पस की खपत दर्शाई गई थे जोकि इंडेंट संख्या SKT-33 दिनांक 30.8.12 द्वारा सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर से जारी किया गया था परन्तु सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर में इस कलेम्प की प्राप्ति एवं जारी से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन त्रुटियों को अभिलम्ब ठीक किया जाए।

(ii) इंडेन्टस पर इंडेंटिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर न पाए जाने बारे:-

चयनित मासों में इंडेन्टस द्वारा सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर-1 से बिजली के स्टॉक रजिस्ट्रों में बिजली के सामान की जारी की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित इंडेंटस पर इन्डेन्टिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं पाए गए:-

इंडेंट सं०	दिनांक	वस्तु का नाम	जारी की गई वस्तु की सं०
SKT-33	2.3.12	Starter (20x40) watt	25
SKT-34	13.3.12	Tube (40 watt)	50
		Starter (20x40 watt)	40
		chok (40 watt)	10

		GI wire	150kg
SKT-35	15.3.12	Tube (40 watt)	25
		starter (20x40 watt)	25

नियमानुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही सामान जारी किया जा सकता है परन्तु इन प्रकरणों में ऐसा नहीं किया गया प्रतीत होता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

(iii) बिजली के अनुपयोगी सामान का अनियमित विक्रय:-

नगर परिषद को बदले गये बिलों के पुराने सामान की बिक्री से ₹4299/- रसीद संख्या 169/36 दिनांक 18.4.11) प्राप्त हुए थे परन्तु सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद ने इस सामान की बिक्री, खुली नीलामी (open auction) द्वारा न करवा कर अवतरण (quotations) मंगवा कर सबसे ज्यादा मूल्य देने वाले को मोल तोल उपरान्त बेच कर की थी यह अनियमित है तथा नियमानुसार अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री खुली नीलामी द्वारा की जानी अपेक्षित थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इस बिक्री की अनुचित प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण नगर परिषद निधि को हुई हानि की वसूली उचित स्रोत से करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री नियमानुसार खुली नीलामी द्वारा ही करवाये जाना सुनिश्चित किया जाए।

107 पानी की सप्लाई लाईनों की मुरम्मत से सम्बन्धित सामान के स्टोर/स्टॉक बारे:-

(i) पानी की सप्लाई लाईनों से बदले गये सामान को भण्डार में वापिस न करना:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई पानी के सामान के जारी/खपत/वसूली से सम्बन्धित जानकारी (अवधि 04/11 से 03/13, परिशिष्ट "22") के अवलोकन पर पाया गया कि पानी की सप्लाई लाईनों के मुरम्मत कार्य उपरान्त उनमें लगाये गए नये सामान की एवज में प्राप्त पुराने सामान की पूरी मात्रा को भण्डार में जमा नहीं किया

जा रहा है। नये जारी सामान की तुलना में वापिस प्राप्त हुये पुराने सामान की मात्रा लगभग नगण्य होने के कारण दर्शाया गया मुरम्मत कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन कर अभियांत्रिकी कक्ष (Engineering cell) से यह सुनिश्चित करवाया जाये कि जारी किये गये नये सामान का प्रयोग नगर परिषद को पानी सप्लाई लाईनों की मुरम्मत हेतु ही प्रयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार पुराना सामान जिसे भण्डार में वापिस नहीं किया गया है। का आंकलन विभागीय स्तर पर करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये इसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	सामग्री/वस्तु का विवरण	अंकेक्षण अवधि में उपयोग में लाई गई कुल प्रमात्रा	अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस की गई पुरानी वस्तु की प्रमात्रा	कम वापिस की गई प्रमात्रा
1	Tee (all Dia)	101	30	71
2	Socket (all Dia)	240	78	162
3	Union (all Dia)	467	136	331
4	Bend (all Dia)	10	—	10
5	Nipply (all Dia)	510	74	436
6	Elbow (all Dia)	336	29	307
7	Gate valve (all Dia)	152	69	83
8	Reducer (all Dia)	14	1	13
9	Tota Wrench	23	23	शून्य
10	Pipe Wrench (all Dia)	6	2	4
11	Die Set (all Dia)	4	1	3
12	Vrass Tap	25	6	19
13	C.I. Tap	47	40	7
14	G.I. Pipe (all Dia)	55	40 Pices	15
15	Plug (all Dia)	248	3	245

(ii) पानी की फिटिंग्स से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का सही अनुरक्षण न करना:-

चयनित मासों में सेंट्रल स्टॉक रजिस्ट्रों (water supply material register-III & iv) से दैनिक खपत रजिस्ट्रों में इंडेंटस द्वारा जारी की गई पानी की फिटिंग्स से सम्बन्धित वस्तुओं की पड़ताल के दौरान पाया गया कि सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर में जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियां तिथिवार नहीं की जा रही है। विभिन्न तिथियों से सम्बन्धित इंडेंटस जिनके द्वारा पानी का सामान जारी किया गया था उनकी प्रविष्टियां रजिस्टर में तिथिवार अलग-अलग न करके इकट्ठी की जा रही है जोकि एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। इस कारण स्टॉक रजिस्टर विभिन्न वस्तुओं के तिथिवार शेष की सही स्थिति परिलक्षित करती है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैं:-

रजिस्टर का विवरण	वस्तु का नाम	पृ0सं0	इंडेंट संख्या/दिनांक=जारी किया गया सामान की मात्रा	रजिस्टर में तिथिवार न दर्शा कर इकट्ठी दर्शाई गई वस्तु की जारी की गई मात्रा
Water supply material register-iv	गेट वाल्व 1.5"	18	MLT/77 of 09/0/12=1MLT/82 of 4/8/12=2 MLT/86 of 14/8/12=1	4 No. (1+2+1)
-यथोपरि-	गेट वाल्व 2"	22	MLT/92 of 22/8/12=1 MLT/93/2 of 27/8/12=1 MLT/94 of 27/8/12=1 MLT/96 of 30/8/12=1	4 no. (1+1+1+1)
Water supply material register-III	जी0आई0 यूनियन 1	93	MLT/9 of 14/8/12=1 MLT/90 of 22/8/12=2 mLT/91 of 22/8/12=1MLT/96 of 30/8/12=1	5 No. (1+2+1+1)

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में वस्तुओं के जारी किये जाने से सम्बन्धित इंडेंटस की रजिस्टर में तिथिवार प्रविष्टियों की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

(iii) पानी की सप्लाई लाईनों की मुरम्मत उपरान्त प्राप्त हुए पुराने अनुपयोगी सामान की बिक्री न करना:—

अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट "22" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पानी की सप्लाई लाईनों की मुरम्मत उपरान्त प्राप्त हुए पुराने अनुपयोगी सामान की बिक्री नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 पुराने अनुपयोगी सामान की नियमानुसार बिक्री करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

108 विभिन्न स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न किये जाने बारे:—

स्टोर/स्टॉक की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का निरीक्षण ही नहीं किया जाता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा जिसके चलते यह प्रविष्टियाँ विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैं:—

क्रमांक	रजिस्टर का नाम	रजिस्ट्रों की कुछ पृष्ठ संख्या जिन पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था
1	Water supply register-III	88, 93, 109, 154
2	Water supply register-IV	65, 99, 121, 167
3	Electricity stock register-5	5, 55, 159, 175
4	Electricity stock register-6	57, 75, 99, 115
5	Steel register	7 से 9
6	Cement	9 से 14
7	Bitumen register	152 से 153
8	Central stock electricity register (i)	18, 61, 62, 72

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

109 स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रों को inventory Register में दर्ज न किये जाने बारे:-

विभिन्न मदों के स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया कि किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है ताकि कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्ट्रों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्ट्रों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः नगर परिषद के सभी स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रो को Inventory Register में दर्ज कर तथा उन पर Inventory No. लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

110 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा तथा मौखिक रूप से कई बार स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ही नहीं करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (disposal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ-2 इस विषय में कृत अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

वाहन:—

111 वाहनों की वास्तविक ईंधन खपत निर्धारित खपत से अधिक होने के कारण नगर परिषद पर ₹752617/— का अतिरिक्त वित्तीय भार:—

गाड़ियों की लॉग बुक की अवधि 1.4.11 से 31.3.13 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था। गाड़ियों की माहवार औसत तेल खपत में भारी अन्तर पाया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है। वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित खपत से कहीं अधिक थी जिस कारण निम्न आकलन अनुसार नगर परिषद निधि पर अंकेक्षण अवधि में लगभग ₹752617/— का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं परिषद निधि को इस कारण हुई हानि की भरपाई उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यदि गाड़ियों की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई जाए तो तदानुसार अधिक प्रयोग किए गए तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

वाहन का विवरण	माह	माह में तय दूरी	माह में डीजल की कुल खपत	वाहन द्वारा प्र0ली0 डीजल से तय दूरी	वाहन की वांछित औसत	वांछित औसत आधार पर डीजल की खपत	डीजल की अधिक खपत
एच0पी0 14ए—5030	04/2011	991	110	9	9	110	0
बोलेरो	05/2011	876	121	7.24	9	97	24
	06/2011	644	85	7.57	9	72	13
	07/2011	1240	155	8	9	138	17

	08 / 2011	1125	150	7.50	9	125	25
	09 / 2011	1323	165	8.01	9	147	18
	10 / 2011	934	105	8.89	9	104	1
	11 / 2011	1033	139	7.43	9	115	24
	12 / 2011	1429	169	8.45	9	159	10
	01 / 2012	1327	160	8.29	9	147	13
	02 / 2012	1382	155	8.91	9	154	1
	03 / 2012	1191	146	8.16	9	132	14
	04 / 2012	1289	158	8.15	9	143	15
	05 / 2012	1540	180	8.55	9	171	9
	06 / 2012	860	105	8.19	9	96	9
	07 / 2012	1257	155	8.10	9	140	15
	08 / 2012	703	105	6.69	9	78	27
	09 / 2012	825	120	6.87	9	92	28
	10 / 2012	841	143	5.88	9	93	50
	11 / 2012	1383	196	7.06	9	154	42
	12 / 2012	1431	200	7.16	9	159	41
	01 / 2013	1056	136	7.76	9	117	19
	02 / 2013	992	—	—	9	—	—
	03 / 2013	1491	—	—	9	—	—
						कुल योग	415
एच0पी0-14-2400 टिप्पर ट्रक	04 / 2011	1035	390	2.65	4	259	131
	05 / 2011	771	285	2.70	4	193	92
	06 / 2011	854	318	2.68	4	214	104
	07 / 2011	830	313	2.65	4	208	105
	08 / 2011	886	329	2.69	4	222	107
	09 / 2011	833	313	2.66	4	208	105
	10 / 2011	967	358	2.70	4	242	116
	11 / 2011	857	322	2.66	4	214	108

	12 / 2011	898	335	2.68	4	225	110
	01 / 2012	416	156	2.66	4	104	52
	02 / 2012	591	219	2.70	4	148	71
	03 / 2012	838	314	2.67	4	210	10
	04 / 2012	829	314	2.64	4	207	107
	05 / 2012	866	323	2.68	4	217	106
	06 / 2012	901	335	2.69	4	225	110
	07 / 2012	840	317	2.65	4	210	107
	08 / 2012	774	293	2.64	4	194	99
	09 / 2012	789	292	2.70	4	197	95
	10 / 2012	828	310	2.67	4	207	103
	11 / 2012	775	288	2.69	4	194	94
	12 / 2012	828	309	2.68	4	207	102
	01 / 2013	787	294	2.68	4	197	97
	02 / 2013	486	180	2.70	4	122	58
	03 / 2013	847	315	2.69	4	212	103
						कुल योग	2386
एच0पी0-14-3785	04 / 2011	3066	760	4.03	6	511	249
	05 / 2011	3401	788	4.31	6	567	221
	06 / 2011	3852	926	4.15	6	642	284
	07 / 2011	4165	1035	4.02	6	694	341
	08 / 2011	4585	1059	4.24	6	764	295
	09 / 2011	3225	770	4.18	6	538	232
	10 / 2011	2997	719	4.16	6	500	219
	11 / 2011	2755	648	4.25	6	459	189
	12 / 2011	4225	1066	3.96	6	704	362
	01 / 2012	4867	1123	4.33	6	811	312
	02 / 2012	3166	735	4.31	6	528	207
	03 / 2012	2980	708	4.21	6	497	211

	04 / 2012	4085	960	4.20	6	681	279
	05 / 2012	3485	791	4.33	6	581	210
	06 / 2012	3592	926	4.34	6	599	327
	07 / 2012	3676	894	4.11	6	613	281
	08 / 2012	5747	1328	4.32	6	958	370
	09 / 2012	4119	970	4.24	6	687	283
	10 / 2012	2980	746	4	6	497	249
	11 / 2012	2680	649	4.12	6	447	202
	12 / 2012	2383	586	4.06	6	397	189
	01 / 2013	2580	618	4.17	6	430	188
	02 / 2013	3430	856	4	6	572	284
	03 / 2013	2672	655	4.08	6	445	210
						कुल योग	6194
एच0पी0-14-2960	04 / 2011	2457	689	3.56	6	410	279
डम्पर प्लेसर	05 / 2011	2539	648	3.91	6	423	225
	06 / 2011	2367	789	3	6	395	394
	07 / 2011	1591	511	3.11	6	265	246
	08 / 2011	1041	304	3.42	6	174	130
	09 / 2011	3177	842	3.77	6	530	312
	10 / 2011	3821	1040	3.67	6	637	403
	11 / 2011	3461	1052	3.28	6	577	475
	12 / 2011	1377	410	3.35	6	230	180
	01 / 2012	1125	307	3.66	6	188	119
	02 / 2012	2147	583	3.68	6	358	225
	03 / 2012	3438	897	3.83	6	573	324
	04 / 2012	2683	738	3.63	6	447	291
	05 / 2012	4572	1223	3.73	6	762	461
	06 / 2012	4628	1140	4.05	6	771	369
	07 / 2012	3171	790	4.01	6	529	261

	08 / 2012	—	—	—	6	—	—
	09 / 2012	1474	422	3.49	6	246	176
	10 / 2012	2695	680	3.96	6	449	231
	11 / 2012	2889	799	3.62	6	482	317
	12 / 2012	3423	843	4.06	6	571	272
	01 / 2013	2593	699	3.70	6	432	267
	02 / 2013	1627	399	4.07	6	271	128
	03 / 2013	3388	745	4.54	6	565	180
						कुल योग	6265
एच0पी0-14ए-7168	04 / 2011	1136	220	5.16	6	189	31
आयशर टिप्प	05 / 2011	1759	327	5.37	6	293	34
	06 / 2011	1431	276	5.18	6	239	37
	07 / 2011	1333	262	5.08	6	222	40
	08 / 2011	2057	315	6.53	6	343	—
	09 / 2011	1585	292	5.42	6	264	28
	10 / 2011	1370	265	5.16	6	228	37
	11 / 2011	1421	237	5.99	6	237	—
	12 / 2011	1441	243	5.93	6	240	3
	01 / 2012	2011	328	6.13	6	335	—
	02 / 2012	1536	245	6.26	6	256	—
	03 / 2012	1417	261	5.42	6	236	25
	04 / 2012	1310	221	5.92	6	218	3
	05 / 2012	1608	304	5.28	6	268	36
	06 / 2012	2026	329	6.15	6	338	—
	07 / 2012	1288	246	5.23	6	215	31
	08 / 2012	1604	328	4.89	6	267	61
	09 / 2012	364	66	5.51	6	61	5
	10 / 2012	1466	252	5.81	6	244	8
	11 / 2012	1422	244	5.82	6	237	7

	12/2012	1341	246	5.45	6	224	22
	01/2013	1357	27	5.49	6	226	21
	02/2013	1476	302	4.88	6	246	56
	03/2013	1483	310	4.78	6	247	63
	कुल योग						548
	सभी वाहनों से डीजल की कुल अधिक खपत का विवरण:-						
1	वाहन संख्या एच0पी0-14ए-5030					415	
	वाहन संख्या एच0पी0-14-2400					2386	
	वाहन संख्या एच0पी0-14-3785					6194	
	वाहन संख्या एच0पी0-14-2960					6265	
	वाहन संख्या एच0पी0-14 ए-7168					548	
	कुल योग					15808 लीटर	
	माह 03/2013 में डीजल की कीमत के आधार पर				₹47.		₹752617
	कुल अधिक खपत					61X15808	

112 बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य से बाहर अनियमित प्रयोग करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0-एच(सी) (10)-9/02 दिनांक 15.9.07 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषद के वाहन को राज्य से बाहर प्रयोग करने के लिए निदेशक, शहरी विकास विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य थी लेकिन निम्नलिखित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना वाहन को राज्य से बाहर ले जाया गया जो कि अनियमित है। अतः इस प्रकार सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा तय की गई दूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसे अब सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजी यात्रा हुए ₹2148/- (358X6=2148) की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। साथ-2 उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	वाहन सं०	यात्रा का स्थान	तय की गई दूरी	दिनांक	यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम	उद्देश्य
1	एच०पी०-14 ए-5030	सोलन से चण्डीगढ़ व वापसी	180कि०मी०	6.5.2011	एस०डी०ओ० नगर परिषद	खेलने के सामान के निरीक्षण के लिए
2	-यथोपरि-	-यथोपरि-	178कि०मी०	13.3.13 से 14.3.13	अध्यक्ष, परिषद	नगर SWM सेमिनार में शामिल होने के लिए
			कुल दूरी	358 कि०मी०		

113 बिना प्रशासनिक स्वीकृति के वाहन का अनियमित प्रयोग:-

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू०एल०बी०-एच(ए) (7)-1/87 दिनांक 20.7.2001 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषद वाहनों के नगर परिषद क्षेत्र के बाहर प्रयोग हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग की अनुमति ली जानी आवश्यक है। निम्नलिखित प्रकरणों में वाहन के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति अंकेंक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है की इन यात्राओं के लिए वाहन का प्रयोग परिषद क्षेत्र के बाहर बिना सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से किया गया जो कि अनियमित है। अतः इस प्रकार सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा तय की गई दूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसे अब सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजी यात्रा मानते हुए ₹33048 (5508X6=33048) की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	वाहन सं०	यात्रा का स्थान	तय की गई दूरी	दिनांक	यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम
1	एच०पी०-	सोलन से शिमला व	123	25.4.2011	कार्यकारी

	14ए-5030	वापसी			अधिकारी
2	—यथोपरि—	—यथोपरि—	120	30.4.211	—यथोपरि—
3	—यथोपरि—	—यथोपरि—	117	18.6.2011	—यथोपरि—
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	110	27.6.2011	—यथोपरि—
5	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	8.7.2011	—यथोपरि—
6	—यथोपरि—	—यथोपरि—	117	28.7.2011	—यथोपरि—
7	—यथोपरि—	—यथोपरि—	123	3.8.2011	—यथोपरि—
8	—यथोपरि—	—यथोपरि—	123	25.8.2011	कनिष्ठ अभियन्ता
9	—यथोपरि—	—यथोपरि—	127	14.9.2011	कार्यकारी अधिकारी
10	—यथोपरि—	—यथोपरि—	123	18.9.2011	—यथोपरि—
11	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	22.9.2011	—यथोपरि—
12	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	25.10.2011	—यथोपरि—
13	—यथोपरि—	—यथोपरि—	123	8.12.2011	—यथोपरि—
14	—यथोपरि—	—यथोपरि—	121	21.12.2011	—यथोपरि—
15	—यथोपरि—	—यथोपरि—	119	4.1.2012	—यथोपरि—
16	—यथोपरि—	—यथोपरि—	127	27.1.2012	—यथोपरि—
17	—यथोपरि—	—यथोपरि—	129	28.1.2012	—यथोपरि—
18	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	30.1.2012	—यथोपरि—
19	—यथोपरि—	—यथोपरि—	120	2.2.2012	—यथोपरि—
20	—यथोपरि—	—यथोपरि—	139	14.2.2012	अध्यक्ष, नगर परिषद
21	—यथोपरि—	सोलन से मंडी व वापसी	406	5.4.2012 से 6.4.2012	—यथोपरि—
22	—यथोपरि—	सोलन से मनाली व वापसी	690	5.5.2012 से 7.5.2012	—यथोपरि—
23	—यथोपरि—	सोलन से शिमला व वापसी	127	12.3.2012	कार्यकारी अधिकारी

24	—यथोपरि—	सोलन से काला अम्ब व वापसी	230	30.3.2012	कनिष्ठ अभियन्ता
25	—यथोपरि—	सोलन से शिमला व वापसी	135	10.4.2012	कार्यकारी अधिकारी
26	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	13.6.2013	अध्यक्ष, नगर परिषद
27	—यथोपरि—	—यथोपरि—	131	11.7.2012	कार्यकारी अधिकारी
28	—यथोपरि—	—यथोपरि—	129	19.7.2012	—यथोपरि—
29	—यथोपरि—	—यथोपरि—	130	21.7.2012	एस0डी0ओ0 व कनिष्ठ अभियन्ता
30	—यथोपरि—	—यथोपरि—	130	24.8.2012	कार्यकारी अधिकारी
31	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	8.10.2012	—यथोपरि—
32	—यथोपरि—	—यथोपरि—	131	5.12.2012	कनिष्ठ अभियन्ता
33	—यथोपरि—	—यथोपरि—	127	19.12.2012	कार्यकारी अधिकारी
34	—यथोपरि—	—यथोपरि—	121	3.1.2013	कनिष्ठ अभियन्ता
35	—यथोपरि—	—यथोपरि—	125	27.2.2013	कार्यकारी अधिकारी
36	—यथोपरि—	—यथोपरि—	185	18.3.2013	—यथोपरि—
कुल दूरी			5508	कि0मी0	

114 सक्षम अधिकारी द्वारा यात्राओं का सत्यापन न करना:—

वाहन संख्या एचपी0—14 ए—5030 की लॉग बुक की पड़ताल में पाया गया कि इसका संधारण नियमानुसार सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जिनका विस्तृत विवरण

निम्नलिखित है। यात्राओं का सत्यापन, यात्रा करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। यात्राओं को यात्रा करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में दर्शाई गई यात्राओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती एवं वाहन के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन यात्राओं/प्रविष्टियों को यात्रा करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर नियमित करवाया जाए एवं भविष्य में भी लॉग बुक में प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन यात्रा करने वाले अधिकारी तथा सक्षम अधिकारी से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वाहन के दुरुपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

दिनांक	तय की गई दूरी	यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम	यात्रा का स्थान
12.12.11	122	प्रदर्शित नहीं	सोलन से शिमला व वापसी
24.12.11	93	कनिष्ठ अभियन्ता	सोलन से परवाणु व वापसी
27.12.11	12	अध्यक्ष, नगर परिषद	सोलन लोकल
10.1.12	68	कार्यकारी अधिकारी	सोलन लोकल
6.7.12	127	एस0डी0ओ0	सोलन से शिमला व वापसी
7.7.12	27	सफाई निरीक्षक	सोलन लोकल
12.7.12	45	एस0डी0ओ0	सोलन लोकल
13.7.12	30	एस0डी0ओ0	सोलन लोकल
6.8.12	20	एस0डी0ओ0	सोलन लोकल
12.11.12	34	कार्यकारी अधिकारी	सोलन लोकल
22.1.13	39	अध्यक्ष, नगर परिषद	सोलन लोकल
1.3.13	122	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से शिमला व वापसी
2.3.13	120	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से शिमला व वापसी
11.3.13	20	कार्यकारी अधिकारी	सोलन लोकल
16.3.13	42	कार्यकारी अधिकारी	सोलन लोकल
18.3.13	185	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से अर्की, शिमला व वापसी
19.3.13	28	कनिष्ठ अभियन्ता	सोलन लोकल
20.3.13	115	कनिष्ठ अभियन्ता	सोलन लोकल

21.3.13	22	एस0डी0ओ0	सोलन लोकल
23.3.13	112	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से शिमला व वापसी
25.3.13	115	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से शिमला व वापसी
26.3.13	118	कार्यकारी अधिकारी	सोलन से शिमला व वापसी
28.3.13	68	अध्यक्ष, नगर परिषद	सोलन लोकल
30.3.13	36	अध्यक्ष, नगर परिषद	सोलन लोकल

115 पैन्शन फण्ड व ग्रेच्युटी फंड:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैन्शन ग्रेच्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 16 के अनुसार नगर पालिकाओं द्वारा अपने वार्षिक बजट के 1% के बराबर अंशदान विभागीय प्रभार (डिपार्टमेंटल चार्जिज) के रूप में स्थापित फण्ड में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में ऐसा कोई भी अंशदान फण्ड में जमा नहीं किया गया था। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणाधीन अवधि के अंशदान की बकाया ₹7282728.00 को सम्बन्धित फण्ड में जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व की अवधि के बकाया अंशदान की राशि को भी इस फण्ड में जमा करवाया जाए जैसा कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 (क) में वर्णित किया गया है व भविष्य में नियमित प्रकार से इस प्रकार/अंशदान को फण्ड में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत बजट	1% विभागीय प्रभार
1	2011-12	314078331	3140783
2	2012-13	414194501	414945
		कुल राशि	₹7282728

116 ₹737656/- के असमायोजित अग्रिम:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट "23") के अनुसार 31.3.13 को ₹737656/- की अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना शेष था जोकि विभिन्न कर्मचारियों, विभिन्न व्यक्तियों तथा विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों हेतु

समय-समय पर प्रदान की गई थी। यह अग्रिम वर्ष 1999 से असमायोजित पड़े है तथा इनमें अधिकतम अग्रिम नगर परिषद के कर्मचारियों को दिए गए है। पिछले अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस अंकेक्षण की समाप्ति तक भी इस बारे कोई ठोस कार्यवाही की गई नहीं पाई गई। अतः इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार अति शीघ्र करवा के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

विविध:-

117 डिस्पैच रजिस्टर की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित न करना:-

डिस्पैच रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि इस्तेमाल की गई स्टाम्प की प्रविष्टियों में बहुत अधिक कटिंग/ओवरराईटिंग पाई गई व फ्लूड का इस्तेमाल भी किया हुआ पाया गया, जिनमें कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न दिया गया है, जिसे किसी भी सक्षम अधिकारी ने सत्यापित नहीं किया था। डिस्पैच रजिस्टर में कटिंग/ओवरराईटिंग किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इन कटिंग/ओवरराईटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा कर नियमित करवाया जाए।

पृ०सं०	दिनांक
13	20.5.11
14	30.5.11
15	8.6.11
19	13.7.11
56	13.6.12
57	16.6.12
61	27.7.12
71	14.11.12
75	15.12.12
76	3.1.13

118 विविध अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान लिखित अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण की समाप्ति तक पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण में इन्हें आवश्यक सत्यापन हेतु सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0/ दिनांक	बिल सं0/दिनांक	फर्म/संविदाकार/कर्म चारी का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
554 ऑफ 03/12 ऑफ ₹115917	-----	श्री शंकर दास	2500	धरोहर राशि (earnest money) से सम्बन्धित रसीद जिस आधार पर यह राशि लौटाई गई अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।
506 ऑफ 03/12 ऑफ ₹21893	268 ऑफ 23.12.11	आर0के0एस0 कम्प्यूटर, सोलन	10000	अवतरण/मूल्य सूची (quotations/price list) जिस आधार पर कार्य करवाया गया अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
—यथोपरि—	275 ऑफ 13.2.12	—यथोपरि—	11100	—यथापरि—
249 ऑफ 08/12 ऑफ ₹79765	-----	श्री रमेश कुमार	25625	धरोहर राशि (earnest money) से सम्बन्धित रसीद जिस आधार पर यह राशि लौटाई गई अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।
—यथोपरि—	-----	श्री महेश गुप्ता	1500	—यथोपरि—
—यथोपरि—	-----	श्री विक्रान्त शर्मा	2500	—यथोपरि—
—यथोपरि—	-----	श्री नेन सिंह	35000	—यथोपरि—
—यथोपरि—	-----	मैसर्ज हाईड्रोलिक इंजीनियरिंग	7500	—यथोपरि—
241 ऑफ 08/12	Improvement of path (Chuvvari-	श्री विशाल कौशल	98151	निर्माण कार्य से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख (ट्रेडर्स तुलनात्मक विवरणी

ghaati), ward
No. 10

आदि) प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण निर्माण की समाप्ति पर किए गए भुगतान के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी।

श्री दामोदर सिंह
(बेलदार) (सेवानिवृत्त)

कर्मचारी की 1.1.82 से पूर्व की सेवा पंजिका प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 1.1.82 को दर्शाए गए 47 दिन अर्जित अवकाश के शेष के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी।

श्री पुरुषोत्तम
सिंह/कार्यकारी
अधिकारी

मूल वेतन
=19290
+4600/
(कुल
भुगतान
किये गए
वेतन की
राशि=39
146)

सेवा पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उन्हें 08/12 में किये गए वेतन के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

श्री एम0एल0
ठाकुर/कनिष्ठ
अभियन्ता

मूल वेतन
=23790
+4200
/(कुल
भुगतान
किये गए
वेतन की
राशि=44
313)

माह 03/12 शेष –यथोपरि–

246 ऑफ

एस0के0 ट्रेडर्स, सोलन

176672

पानी की फिटिंग्स के क्रय से

सम्बन्धित अवतरण (quotations) न तो वाऊचर के साथ संलग्न पाए गए तथा न ही पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये गए

238 ऑफ 08/12 ---- हिमुडा, निगम बिहार, 573750 तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

119 लघु आपत्ति विवरणिका :- अंकेक्षण के दौरान अलग से जारी नहीं की गई।

120 निष्कर्ष :- लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है एवं वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- V(4)/73-Fin(L.A)-Vol-4-1404-06, दिनांक, 04.03.2014 शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002.
- पंजीकृत:-** 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेंजें।
- 3 वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला-171003.

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

परिशिष्ट –"I "

पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

**नगर परिषद सोलन के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट निर्णीत/अनिर्णीत अंकेक्षण
पैरों की नवीनतम स्थिति:—**

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 3/73

1	पैरा-9	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/75

1	पैरा-11 (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा-12 (एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 3/76

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-12 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा-16	अनिर्णीत
4	पैरा-26 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा-26 (4)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/82

1	पैरा-17 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा-18 (बी) (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा-20	अनिर्णीत
4	पैरा-21 (8)	अनिर्णीत

5	पैरा-21 (9)	अनिर्णीत
6	पैरा-21 (14)	अनिर्णीत
7	पैरा-21 (17)	अनिर्णीत
8	पैरा-21 (19)	अनिर्णीत
9	पैरा-21 (25)	अनिर्णीत
10	पैरा-29	अनिर्णीत
11	पैरा-31 (डी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा-18 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा-18 (एफ)	अनिर्णीत
3	पैरा-19	अनिर्णीत
4	पैरा-22	अनिर्णीत
5	पैरा-23	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा-8	अनिर्णीत
2	पैरा-9	अनिर्णीत
3	पैरा-13	अनिर्णीत
4	पैरा-14	अनिर्णीत
5	पैरा-15	अनिर्णीत
6	पैरा-17	अनिर्णीत
7	पैरा-20	अनिर्णीत
8	पैरा-21	अनिर्णीत
9	पैरा-22	अनिर्णीत
10	पैरा-24	अनिर्णीत
11	पैरा-25	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-8	अनिर्णीत
3	पैरा-9	अनिर्णीत
4	पैरा-11	अनिर्णीत
5	पैरा-13 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा-14	अनिर्णीत
7	पैरा-15	अनिर्णीत
8	पैरा-16	अनिर्णीत
9	पैरा-17	अनिर्णीत
10	पैरा-18	अनिर्णीत
11	पैरा-19	अनिर्णीत
12	पैरा-20	अनिर्णीत
13	पैरा-21	अनिर्णीत
14	पैरा-22	अनिर्णीत
15	पैरा-23	अनिर्णीत
16	पैरा-24	अनिर्णीत
17	पैरा-25	अनिर्णीत
18	पैरा-26	अनिर्णीत
19	पैरा-27	अनिर्णीत
20	पैरा-28	अनिर्णीत
21	पैरा-29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1	पैरा-3 (ए) (21) (3)	अनिर्णीत
2	पैरा-3 (ए) (21) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा-5	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा-7	अनिर्णीत
6	पैरा-8 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-8 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-8 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा-9	अनिर्णीत
12	पैरा-10 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा-10 (12)	अनिर्णीत
14	पैरा-10 (13)	अनिर्णीत
15	पैरा-10 (14)	अनिर्णीत
16	पैरा-10 (15)	अनिर्णीत
17	पैरा-10 (16)	अनिर्णीत
18	पैरा-10 (17)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

1	पैरा-6 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (एफ)	अनिर्णीत

5	પૈરા-9	અનિર્ણીત
6	પૈરા-15	અનિર્ણીત
7	પૈરા-17 (એ)	અનિર્ણીત
8	પૈરા-17 (બી)	અનિર્ણીત
9	પૈરા-19	અનિર્ણીત
10	પૈરા-20	અનિર્ણીત
11	પૈરા-21	અનિર્ણીત
12	પૈરા-22 (એ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-22 (બી)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-22 (સી)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-23 (1)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-23 (2)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-24 (એ)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-24 (બી)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-24 (સી)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-24 (ડી)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-24 (ઈ)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-24 (એફ)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-25	અનિર્ણીત
24	પૈરા-26 (એ)	અનિર્ણીત
25	પૈરા-26 (બી)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-27	અનિર્ણીત
27	પૈરા-28	અનિર્ણીત
28	પૈરા-29	અનિર્ણીત
29	પૈરા-30 (એ)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-30 (બી)	અનિર્ણીત
31	પૈરા-31 (એ)	અનિર્ણીત
32	પૈરા-31 (બી)	અનિર્ણીત

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा-5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (ई) (1 से 22)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा-6 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा-6 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा-6 (ई)	अनिर्णीत
11	पैरा-6 (एफ)	अनिर्णीत
12	पैरा-6 (जी)	अनिर्णीत
13	पैरा-6 (एच)	अनिर्णीत
14	पैरा-7 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा-7 (बी)	अनिर्णीत
16	पैरा-7 (सी)	अनिर्णीत
17	पैरा-8 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा-8 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा-9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा-9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा-9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा-9 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा-10 (ए)	अनिर्णीत
24	पैरा-10 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा-10 (सी)	अनिर्णीत
26	पैरा-10 (डी)	अनिर्णीत

27	પૈરા-10 (ઈ) (1)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-10 (ઈ) (2)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-10 (ઈ) (3)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-11	અનિર્ણીત
31	પૈરા-12	અનિર્ણીત
32	પૈરા-13	અનિર્ણીત
33	પૈરા-14 (1)	અનિર્ણીત
34	પૈરા-14 (2) (એ)	અનિર્ણીત
35	પૈરા-14 (2) (બી)	અનિર્ણીત
36	પૈરા-14 (2) (સી)	અનિર્ણીત
37	પૈરા-14 (2) (ડી)	અનિર્ણીત
38	પૈરા-14 (2) (ઈ)	અનિર્ણીત
39	પૈરા-14 (2) (એફ)	અનિર્ણીત
40	પૈરા-15 (એ)	અનિર્ણીત
41	પૈરા-15 (સી)	અનિર્ણીત
42	પૈરા-15 (ડી)	અનિર્ણીત
43	પૈરા-15 (ઈ)	અનિર્ણીત
44	પૈરા-16	અનિર્ણીત
45	પૈરા-17	અનિર્ણીત
46	પૈરા-18	અનિર્ણીત
47	પૈરા-19	અનિર્ણીત
48	પૈરા-20	અનિર્ણીત
49	પૈરા-21 (1)	અનિર્ણીત
50	પૈરા-21 (2)	અનિર્ણીત
51	પૈરા-22	અનિર્ણીત
52	પૈરા-23	અનિર્ણીત

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/94

1	पैरा-5	अनिर्णीत
2	पैरा-6	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (क से च)	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत
8	पैरा-12	अनिर्णीत
9	पैरा-13	अनिर्णीत
10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-15	अनिर्णीत
12	पैरा-16	अनिर्णीत
13	पैरा-17	अनिर्णीत
14	पैरा-18	अनिर्णीत
15	पैरा-19	अनिर्णीत
16	पैरा-20	अनिर्णीत
17	पैरा-21	अनिर्णीत
18	पैरा-22	अनिर्णीत
19	पैरा-23	अनिर्णीत
20	पैरा-24	अनिर्णीत
21	पैरा-25	अनिर्णीत

22	पैरा-26	अनिर्णीत
23	पैरा-27	अनिर्णीत
24	पैरा-28	अनिर्णीत
25	पैरा-29	अनिर्णीत
26	पैरा-30	अनिर्णीत
27	पैरा-31	अनिर्णीत
28	पैरा-32 (1 से 12)	अनिर्णीत
29	पैरा-33	अनिर्णीत
30	पैरा-34	अनिर्णीत
31	पैरा-35	अनिर्णीत
32	पैरा-36 (1 से 5)	अनिर्णीत
33	पैरा-36 (क से छ)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/96

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः समस्त अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही अब करके वांछित समीक्षा अंकेक्षण से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा-3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (ख) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (ख) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा-5 (ग) (i)	अनिर्णीत
7	पैरा-5 (ग) (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा-5 (ग) (iii)	अनिर्णीत

9	પૈરા-5 (ઘ) (ii)	અનિર્ણીત
10	પૈરા-5 (ઘ) (iii)	અનિર્ણીત
11	પૈરા-5 (છ)	અનિર્ણીત
12	પૈરા-5 (જ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-5 (ક)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-7 (ક)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-7 (ગ)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-7 (ચ) (ii)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-7 (ચ) (iii)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-7 (જ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-8 (ક)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-8 (ખ) (iii)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-8 (ગ) (i)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-8 (ગ) (ii)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-9 (ક)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-9 (ખ)	અનિર્ણીત
25	પૈરા-11 (ખ)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-11 (ગ)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-11 (ઘ)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-11 (ઙ)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-11 (ચ)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-11 (છ)	અનિર્ણીત
31	પૈરા-11 (જ)	અનિર્ણીત
32	પૈરા-12 (ક)	અનિર્ણીત
33	પૈરા-12 (ખ)	અનિર્ણીત
34	પૈરા-15 (ii)	અનિર્ણીત
35	પૈરા-15 (iii)	અનિર્ણીત
36	પૈરા-15 (ખ)	અનિર્ણીત
37	પૈરા-15 (ગ)	અનિર્ણીત

38	पैरा-15 (घ)	अनिर्णीत	
39	पैरा-15 (ङ)	अनिर्णीत	
40	पैरा-16	अनिर्णीत	
41	पैरा-17	अनिर्णीत	
42	पैरा-18 (क)	अनिर्णीत	
43	पैरा-18 (ख)	अनिर्णीत	
44	पैरा-18 (ग)	अनिर्णीत	
45	पैरा-18 (घ)	अनिर्णीत	
46	पैरा-19 (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा-19 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
48	पैरा-19 (ङ)	अनिर्णीत	
49	पैरा-19 (च) (i) तथा (ii)	अनिर्णीत	
50	पैरा-19 (च) (vi)	अनिर्णीत	
51	पैरा-19 (छ)	अनिर्णीत	
52	पैरा-19 (ज) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
53	पैरा-20 (क)	अनिर्णीत	
54	पैरा-20 (ग) से (ज)	अनिर्णीत	
55	पैरा-21 (क) (1) तथा (2)	अनिर्णीत	
56	पैरा-23 (ख)	अनिर्णीत	
57	पैरा-24	अनिर्णीत	
58	पैरा-25 (ए से जैड)	आंशिक निर्णीत	i) पैरा-25 (ए से जैड) के पैरा संख्या 25 (एच)(iii) 25(J)(3), 25(K)(iv), 25(K)(iv),25(M)(iv), 25(O)(iii), 25(P)(iii),25 (P)(iv), 25 (Q)(v), 25® (V), 25(W) (i), 25(Y) (2) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.13 के पत्र संख्या

59 पैरा-25 (एए से आई आई) आंशिक अनिर्णीत

1-548/2011-फिन(एल0ए0)
खण्ड-1-5648 दिनांक 30.8.13
द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया
गया।

ii) पैरा संख्या 25 (डी)(iii) निर्णीत
₹894/- रसीद संख्या 438/85
दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किये
गए

iii) पैरा संख्या 25 (जी)(ii) निर्णीत
₹947 रसीद संख्या 438/86
दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किये
गए।

iv) पैरा संख्या 25 (जैड) (iv)
निर्णीत ₹1539/- रसीद संख्या
438/87 दिनांक 27.9.13 द्वारा
जमा किये गए

पैरा-25 (एए, से आई,आई0) के
पैरा संख्या 25(एए)(4),
25(AA)(6),25(AA)(7), 25(BB)(ii),
25(CC)(iii), 25(EE)(iii),
25(GG)(iii), 25(HH)(5), उप
निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा
परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.13
के पत्र संख्या

1-548/2011-फिन(एल0ए0)
खण्ड-1-5648 दिनांक 30.8.13
द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया
गया।

60	पैरा-25 (क-I)(i) से (iv)	अनिर्णीत
61	पैरा-26 (ड)(v) तथा (vi)	अनिर्णीत
62	पैरा-26 (च)(ii)	अनिर्णीत
63	पैरा-26 (च)(iii) से (v)	अनिर्णीत
64	पैरा-27 (क)(i) से (iv)	अनिर्णीत
65	पैरा-27 (ख)(i) से (iii)	अनिर्णीत
66	पैरा-27 (ग)(i) से (iii)	अनिर्णीत
67	पैरा-27(घ) (1 से 17)	अनिर्णीत
68	पैरा-27 (ड)(i) से (iii)	अनिर्णीत
69	पैरा-27 (च)(i) से (viii)	अनिर्णीत
70	पैरा-27 (छ)(i) से (iii)	अनिर्णीत
71	पैरा-27 (ज) (2 से 4)	अनिर्णीत
72	पैरा-27 (झ) (i) से (iv)	अनिर्णीत
73	पैरा-27 (ञ) से (झ)	अनिर्णीत
74	पैरा-27 (क, क) से (ग,ग)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण 4/93 से 3/1999 तक की आय का विस्तृत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-7	अनिर्णीत
7	पैरा-8	अनिर्णीत
8	पैरा-9	अनिर्णीत
9	पैरा-10	अनिर्णीत
10	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत

11	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा-12	अनिर्णीत
14	पैरा-13	अनिर्णीत
15	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा-14 (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा-14 (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा-14 (घ)	अनिर्णीत
19	पैरा-15	अनिर्णीत
20	पैरा-16	अनिर्णीत
21	पैरा-17	अनिर्णीत
22	पैरा-18	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2002

1	पैरा-3	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (च)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (क) (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (ख से च)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा-9	अनिर्णीत
11	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत

15	पैरा-11 (ग)	आंशिक निर्णीत (शेष ₹480 की वसूली भी शीघ्र सुनिश्चित की जाए।)
16	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा-11 (ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा-11 (च)	अनिर्णीत
19	पैरा-11 (झ)	अनिर्णीत
20	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा-12 (घ) तथा (ङ)	अनिर्णीत
22	पैरा-12 (ज)	अनिर्णीत
23	पैरा-12 (ञ)	अनिर्णीत
24	पैरा-12 (प)	अनिर्णीत
25	पैरा-12 (फ)	अनिर्णीत
26	पैरा-12 (ब से म) तक	अनिर्णीत
27	पैरा-12 (द) तथा (ध)	अनिर्णीत
28	पैरा-14	अनिर्णीत
29	पैरा-15 (1 से 16)	अनिर्णीत
30	पैरा-15 (क से झ)	आंशिक निर्णीत i) पैरा-15 (क से झ) के पैरा संख्या 15(क) (2)(3), 15(ख) (2)(3), 15 (च)(3)व(4),15(छ)(2)(3), 15(झ)(3), 15(ञ)(4),15(प)(2),15 (फ), (1,2,3)15 (व) (2)(3),15(त), 15(द)(4), 15(ध) (4),15(ट)(2),15(र)(3), 15(ह), 15(ज)(i) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.13 के पत्र संख्या 1-548/2011-फिन(एल0ए0) खण्ड-1-5648 दिनांक 30. 8.13 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया। ii) पैरा संख्या 15 (क्ष) निर्णीत ₹1539 रसीद संख्या 438/88 दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किये गए।
31	पैरा-15 (क,क से प,प)	अनिर्णीत
32	पैरा-16 (ग)	अनिर्णीत

33	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा-17 (ग) से (ज) तक	अनिर्णीत
35	पैरा-18	अनिर्णीत
36	पैरा-19 (क से ग)	अनिर्णीत
37	पैरा-19 (ङ) तथा (च)	अनिर्णीत
38	पैरा-20	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा-2 (ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा-2 (च)	अनिर्णीत
3	पैरा-2 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा-2 (ज)	अनिर्णीत
5	पैरा-3 (क) (1)	अनिर्णीत
6	पैरा-3 (क) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-3 (क) (3)	अनिर्णीत
8	पैरा-3 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा-4 (ख) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा-4 (ख) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा-4 (ख) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा-4 (ख) (4)	अनिर्णीत
13	पैरा-4 (ख) (5)	अनिर्णीत
14	पैरा-4 (ख) (6)	अनिर्णीत
15	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा-4 (ङ)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा-4 (ङ)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा-4 (ङ)(3)	अनिर्णीत
20	पैरा-4 (ङ)(4)	अनिर्णीत

21	पैरा-4 (च)	अनिर्णीत
22	पैरा-4 (छ)	अनिर्णीत
23	पैरा-4 (ज)	अनिर्णीत
24	पैरा-4 (झ)	अनिर्णीत
25	पैरा-4 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा-4 (ट)	अनिर्णीत
27	पैरा-4 (ठ)	अनिर्णीत
28	पैरा-4 (ड)	अनिर्णीत
29	पैरा-4 (ढ)	अनिर्णीत
30	पैरा-4 (ण)	अनिर्णीत
31	पैरा-4 (ध)(न)	अनिर्णीत
32	पैरा-4 (त)	अनिर्णीत
33	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा-5 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा-5 (च)	अनिर्णीत
37	पैरा-5 (छ)	आंशिक निर्णीत (₹5222.00(2741+2481) रसीद संख्या 438/83-84 दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किए गए।)
38	पैरा-6 (क) (1)	अनिर्णीत
39	पैरा-6 (क) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा-6 (क) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा-6 (क) (4)	अनिर्णीत
42	पैरा-6 (क) (5)	अनिर्णीत
43	पैरा-6 (क) (6)	अनिर्णीत
44	पैरा-6 (ख)	आंशिक निर्णीत (क्योंकि ₹43125/- में से ₹39763/- की वसूली की जा चुकी है। शेष ₹3362/- की वसूली शीघ्र की जाए।)

45	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा-6 (घ)	अनिर्णीत
47	पैरा-6 (ङ)	अनिर्णीत
48	पैरा-6 (च)	अनिर्णीत
49	पैरा-6 (छ)	अनिर्णीत
50	पैरा-6 (ज)	अनिर्णीत
51	पैरा-6 (झ)	अनिर्णीत
53	पैरा-6 (ञ)	अनिर्णीत
54	पैरा-6 (ट)	अनिर्णीत
55	पैरा-6 (ठ)	अनिर्णीत
56	पैरा-6 (ड)	अनिर्णीत
57	पैरा-7 (1) से (2)	अनिर्णीत
58	पैरा-7 (1) (क)	अनिर्णीत
59	पैरा-7 (1) (ख)	अनिर्णीत
60	पैरा-7 (1) (ग)	अनिर्णीत
61	पैरा-7 (1) (घ)	अनिर्णीत
62	पैरा-7 (1) (ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा-7 (1) (च)	अनिर्णीत
64	पैरा-7 (1) (छ) (i)	अनिर्णीत
65	पैरा-7 (1) (छ) (ii)	अनिर्णीत
66	पैरा-7 (1) (छ) (iii)	अनिर्णीत
67	पैरा-7 (1) (छ) (iv)	अनिर्णीत
68	पैरा-7 (1) (ज)	अनिर्णीत
69	पैरा-7 (1) (झ)	अनिर्णीत
70	पैरा-7 (1) (ञ)	अनिर्णीत
71	पैरा-7 (1) (ट) (1 से 8)	अनिर्णीत
72	पैरा-7 (1) (ठ) (I से X)	अनिर्णीत
73	पैरा-7 (1) (ड)(1 से 6)	अनिर्णीत
74	पैरा-7 (1) (ढ) (1 से 5)	अनिर्णीत

75	पैरा-7 (1) (ण)(I से V)	अनिर्णीत
76	पैरा-7 (1) (त)	अनिर्णीत
77	पैरा-7 (1) (थ)	अनिर्णीत
78	पैरा-7 (1) (द)(i से iii)	अनिर्णीत
79	पैरा-7 (1) (द)(i तथा ii)	अनिर्णीत
80	पैरा-7 (1) (न)(i से iii)	अनिर्णीत
81	पैरा-7 (1) (प)	अनिर्णीत
82	पैरा-7 (1) (फ)	अनिर्णीत
83	पैरा-7 (1) (ब)(i तथा ii)	आंशिक रूप से निर्णीत (2824 /- रसीद संख्या 438 (88) दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किए गए (आंशिक रूप से निर्णीत पैरा संख्या 7 (1) (ब)(i) निर्णीत)
84	पैरा-7 (1) (भ)(i तथा iv)	अनिर्णीत
85	पैरा-7 (1) (म)(i तथा iv)	अनिर्णीत
86	पैरा-7 (1) (य)	अनिर्णीत
87	पैरा-7 (1) (र)	अनिर्णीत
88	पैरा-7 (1) (ल)	अनिर्णीत
89	पैरा-7 (1) (व) (i तथा iii)	अनिर्णीत
90	पैरा-7 (1)(श)(1 से 5)	अनिर्णीत
91	पैरा-7 (1) (ष)	अनिर्णीत
92	पैरा-7 (1) (स)	अनिर्णीत
93	पैरा-7 (1) (ह)	अनिर्णीत
94	पैरा-7 (1) (क्ष)	अनिर्णीत
95	पैरा-7 (1) (त्र)	अनिर्णीत
96	पैरा-7 (1) (ज्ञ)(i तथा ii)	अनिर्णीत
97	पैरा-8 (i)	अनिर्णीत
98	पैरा-8 (ii)	अनिर्णीत
99	पैरा-8 (iii)	अनिर्णीत
100	पैरा-8 (2)(ख)	अनिर्णीत

101	पैरा-8 (2)(ग)	अनिर्णीत
102	पैरा-8 (2)(घ)	अनिर्णीत
103	पैरा-8 (2)(ङ)	अनिर्णीत
104	पैरा-8 (2)(च)	अनिर्णीत
105	पैरा-8 (2)(छ)	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा-2 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-2 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-2 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा-2 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा-2 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा-3 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा-3 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा-3 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-3 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-3 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा-3 (6)	अनिर्णीत
12	पैरा-4 (क) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा-4 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा-4 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा-4 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत
17	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत
18	पैरा-4 (ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा-4 (च)	अनिर्णीत
20	पैरा-4 (छ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा-4 (छ) (2)	अनिर्णीत

22	पैरा-4 (ज)	अनिर्णीत
23	पैरा-4 (झ)	अनिर्णीत
24	पैरा-4 (ञ)	अनिर्णीत
25	पैरा-4 (ट)	अनिर्णीत
26	पैरा-4 (ठ)	अनिर्णीत
27	पैरा-4 (ड)	अनिर्णीत
28	पैरा-4 (ढ)(1)	अनिर्णीत
29	पैरा-4 (ढ)(2)	अनिर्णीत
30	पैरा-4 (ढ)(3)	अनिर्णीत
31	पैरा-4 (ढ)(4)	अनिर्णीत
32	पैरा-4 (ढ)(5)	अनिर्णीत
33	पैरा-4 (ढ)(6)	अनिर्णीत
34	पैरा-4 (ढ)(7)	अनिर्णीत
35	पैरा-4 (ण)	अनिर्णीत
36	पैरा-4 (त)	अनिर्णीत
37	पैरा-4 (थ)	अनिर्णीत
38	पैरा-4 (द)	अनिर्णीत
39	पैरा-4 (ध)	अनिर्णीत
40	पैरा-4 (न)	अनिर्णीत
41	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत
42	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत
43	पैरा-5 (ग)	निर्णीत (₹38 रसीद संख्या 438/79 व 80 दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किए गए)
44	पैरा-5 (घ)	निर्णीत (₹95 रसीद संख्या 438/81 व 82 दिनांक 27.9.13 द्वारा जमा किए गए)
45	पैरा-5 (ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा-5 (च)	अनिर्णीत
47	पैरा-5 (छ)	अनिर्णीत
48	पैरा-5 (ज)	अनिर्णीत

49	પૈરા-6 (ક)	અનિર્ણીત
50	પૈરા-6 (ખ)	અનિર્ણીત
51	પૈરા-6 (ગ)	અનિર્ણીત
52	પૈરા-6 (ઘ)	અનિર્ણીત
53	પૈરા-6 (ઙ)	અનિર્ણીત
54	પૈરા-6 (ચ)	અનિર્ણીત
55	પૈરા-6 (છ)(1)	અનિર્ણીત
56	પૈરા-6 (છ)(2)	અનિર્ણીત
57	પૈરા-6 (જા)	અનિર્ણીત
58	પૈરા-6 (ઝ)	અનિર્ણીત
59	પૈરા-6 (ટ)	અનિર્ણીત
60	પૈરા-6 (ઠ)	અનિર્ણીત
61	પૈરા-6 (ડ)(1)	અનિર્ણીત
62	પૈરા-6 (ડ)(2)	અનિર્ણીત
63	પૈરા-6 (ડ)(3)	અનિર્ણીત
64	પૈરા-6 (ઢ)	અનિર્ણીત
65	પૈરા-6 (ણ)	અનિર્ણીત
66	પૈરા-6 (ત)(1)	અનિર્ણીત
67	પૈરા-6 (ત)(2)	અનિર્ણીત
68	પૈરા-6 (ત)(3)	અનિર્ણીત
69	પૈરા-6 (થ)(1)	અનિર્ણીત
70	પૈરા-6 (થ)(2)	અનિર્ણીત
71	પૈરા-6 (થ)(3)	અનિર્ણીત
72	પૈરા-6 (દ)	અનિર્ણીત
73	પૈરા-6 (ધ)	અનિર્ણીત
74	પૈરા-7 (ક)	અનિર્ણીત
75	પૈરા-7 (ખ)	અનિર્ણીત
76	પૈરા-7 (ગ)	અનિર્ણીત
77	પૈરા-7 (ઘ)	અનિર્ણીત

78	પૈરા-7 (હ) (1)	અનિર્ણીત
79	પૈરા-7 (હ) (2)	અનિર્ણીત
80	પૈરા-7 (ચ)	અનિર્ણીત
81	પૈરા-7 (છ)	અનિર્ણીત
82	પૈરા-7 (જ) (1)	અનિર્ણીત
83	પૈરા-7 (જ) (2)	અનિર્ણીત
84	પૈરા-7 (જ) (3)	અનિર્ણીત
85	પૈરા-7 (ઝ)	અનિર્ણીત
86	પૈરા-7 (ળ)	અનિર્ણીત
87	પૈરા-7 (ત)	અનિર્ણીત
88	પૈરા-7 (થ)	અનિર્ણીત
89	પૈરા-7 (દ)	અનિર્ણીત
90	પૈરા-7 (ધ)	અનિર્ણીત
91	પૈરા-7 (ન)	અનિર્ણીત
92	પૈરા-7 (પ)	અનિર્ણીત
93	પૈરા-7 (ફ)	અનિર્ણીત
94	પૈરા-7 (બ)	અનિર્ણીત
95	પૈરા-7 (ભ)	અનિર્ણીત
96	પૈરા-8 (ક)	અનિર્ણીત
97	પૈરા-8 (ખ)	અનિર્ણીત
98	પૈરા-8 (ગ)	અનિર્ણીત
99	પૈરા-8 (ઘ)	અનિર્ણીત
100	પૈરા-8 (હ)	અનિર્ણીત
101	પૈરા-9	અનિર્ણીત
102	પૈરા-10 (ક)	અનિર્ણીત
103	પૈરા-10 (ખ)	અનિર્ણીત
104	પૈરા-11	અનિર્ણીત
105	પૈરા-12	અનિર્ણીત
106	પૈરા-13	અનિર્ણીત

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा-4 (ख)	आंशिक रूप से निर्णीत (केवल एफ0डी0आर0 संख्या पी0एस0 1820 ₹25 लाख पर प्राप्त ब्याज की पुष्टि नहीं करवाई गई)
2	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा-4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा-4 (छ)(1)	अनिर्णीत
7	पैरा-4 (छ)(2)	अनिर्णीत
8	पैरा-5 (क) (1)	अनिर्णीत
9	पैरा-5 (क) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-5 (ख) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा-5 (ख) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा-6 (घ)	अनिर्णीत
16	पैरा-6 (ङ)	अनिर्णीत
17	पैरा-6 (च)	अनिर्णीत
18	पैरा-6 (छ)	अनिर्णीत
19	पैरा-6 (ज)	अनिर्णीत
20	पैरा-6 (झ)	अनिर्णीत
21	पैरा-6 (ञ)(1)	अनिर्णीत
22	पैरा-6 (ञ)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा-6 (ट)	अनिर्णीत
24	पैरा-6 (ठ)	अनिर्णीत

25	पैरा-6 (ड.)	अनिर्णीत
26	पैरा-6 (ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा-6 (ण)	अनिर्णीत
28	पैरा-6 (त)	अनिर्णीत
29	पैरा-6 (थ)(1)	अनिर्णीत
30	पैरा-6 (थ)(2)	अनिर्णीत
31	पैरा-6 (थ)(3)	अनिर्णीत
32	पैरा-6 (द)	अनिर्णीत
33	पैरा-6 (ध)	अनिर्णीत
34	पैरा-6 (न)	अनिर्णीत
35	पैरा-6 (प)	अनिर्णीत
36	पैरा-6 (फ)	अनिर्णीत
37	पैरा-6 (म)	अनिर्णीत
38	पैरा-6 (य)	अनिर्णीत
39	पैरा-6 (र)	अनिर्णीत
40	पैरा-6 (ल) (1)	अनिर्णीत
41	पैरा-6 (ल) (2)	अनिर्णीत
42	पैरा-6 (व)	अनिर्णीत
43	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत
44	पैरा-7 (ख)	निर्णीत (₹233829/- रसीद संख्या 215/96 दिनांक 10.2.12 द्वारा जमा किए गए)
45	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा-7 (घ)	अनिर्णीत
47	पैरा-7 (ङ)	अनिर्णीत
48	पैरा-7 (च)	अनिर्णीत
49	पैरा-7 (छ)	अनिर्णीत
50	पैरा-7 (ज)	अनिर्णीत
51	पैरा-7 (झ)	अनिर्णीत

52	पैरा-7 (अ)	अनिर्णीत
53	पैरा-7 (ट)	अनिर्णीत
54	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
55	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
56	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत
57	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत
58	पैरा-8 (ङ)	अनिर्णीत
59	पैरा-8 (च)	अनिर्णीत
60	पैरा-8 (छ)	अनिर्णीत
61	पैरा-8 (ज)	अनिर्णीत
62	पैरा-8 (झ)	अनिर्णीत
63	पैरा-8 (ञ)	अनिर्णीत
64	पैरा-8 (ट) तथा (ठ)	अनिर्णीत
65	पैरा-8 (ड)	अनिर्णीत
66	पैरा-8 (ढ)	अनिर्णीत
67	पैरा-8 (ण)	अनिर्णीत
68	पैरा-8 (त)	अनिर्णीत
69	पैरा-8 (थ)	अनिर्णीत
70	पैरा-8(द)	अनिर्णीत
71	पैरा-8(ध)	अनिर्णीत
72	पैरा-8 (न)	अनिर्णीत
73	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
74	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
75	पैरा-9 (ग)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा-9 (ग)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा-9 (घ)	अनिर्णीत
78	पैरा-9 (ङ)	अनिर्णीत
79	पैरा-9 (च)	अनिर्णीत
80	पैरा-9 (छ)	अनिर्णीत

81	पैरा-9 (ज)	अनिर्णीत
82	पैरा-9 (झ) (i व ii)	अनिर्णीत
83	पैरा-9 (ण)	अनिर्णीत
84	पैरा-9 (त)	अनिर्णीत
85	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
86	पैरा-10 (ख)(i)	अनिर्णीत
87	पैरा-10 (ख)(ii)	अनिर्णीत
88	पैरा-10 (ख)(iii)	अनिर्णीत
89	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत